लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३१, १९५९/१८८१ (शक)

[५ मई, से ९ मई, १९५९/१५ वैशाख से १९ वैशाख १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

(Seventh Session)

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३१—अंक ६१ से ६५—५ मई से ९ मई, १९५९/१५ बैशाख से १९ बैशाख, १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ६१—मंगलवार, ५ मई, १९५९/१५ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१५, २२१६ और २२१८ से २२३३ . . ७०७५—७१००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३३ ७१००—०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१७ और २२३४ से २२३९ ७१०१—०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९६० से ४०१० और ४०१३ से ४०२१ ७१०४—३३

स्थगन प्रस्ताव . ७१३३—३४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ७१३४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति पांचवां प्रतिवेदन . . ७१३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति पैंतालीसवां प्रतिवेदन . ७१३५

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ७१३५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में प्रस्ताव ७१३५—४०, ७१४०—६२

सभा का कार्य . . . ७१४०

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) . ७१६२—७०

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७१७०—८७

दैनिक संक्षेपिका . . ७१८८—९२

अंक ६२—बुधवार, ६ मई, १९५९/१६ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २२४० से २२४५, २२४७ से २२५०, २२५०-क और २२५२ ७१९३—७२१८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२५१, २२५३ से २२५७, २२५७-क, २२५८ से २२६१, २२६१-क और २२६२ से २२६७ . ७२१८—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२२ से ४०४८, ४०५० से ४१३४, ४१३६ से ४१३७, ४१३७-क, ४१३७-ख और ४१३७-ग ७२२८—८१

सभा का कार्य . ७२८१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२८१—८२

प्राक्कलन समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन . . . ७२८२

सिन्धु नदी के पानी के उपयोग के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच करार के बारे में वक्तव्य . . ७२८२

सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कोयले की नई पर्त के बारे में वक्तव्य , ७२८३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित ७२८३

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पारित ७२८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पारित ७२८४—८५

नियम ७४ के प्रथम परन्तुक का निलम्बन ७२८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ७२८६—७३२३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७३२३—२६

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७३२६—४७

दैनिक संक्षेपिका ७३४८—५५

अंक ६३—गुरुवार, ७ मई, १९५९/१७ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६८, २२६९, २२७१ से २२७५, २२७५-क और २२७७ से २२८१ ७३५७—७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२७०, २२७६, २२८२ से २३०३, २३०३-क और २३०४ से २३०६ ७३७८—९२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३८ से ४२०३, ४२०५ से ४२१९, ४२२१ से ४२२८ और ४२२८-क . ७३९२—७४२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली में पानी की कमी ७४२८

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न ७४२८-२९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४२९—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही-सारांश ७४३२

राज्य सभा से सन्देश ७४३२

प्राक्कलन समिति

इक्सठवां प्रतिवेदन ७४३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत का पाकिस्तान पर विभाजन ऋण ७४३३-३४

अनुपस्थिति की अनुमति ७४३४-३५

बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में ७४३५–३६

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक ७४३६—३८, ७४३९—६०

विचार करने का प्रस्ताव ७४३६—३८, ७४३९—५७

खण्ड २ से ३१, १, पहली और दूसरी अनुसूची ७४५८-५९

पारित करने का प्रस्ताव ७४५९–६०

श्री एम० ओ० मथाई के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का प्रतिवेदन ७४३८–३९

जनगणना (संशोधन) विधेयक ७४६०—७१

विचार करने का प्रस्ताव ७४६०—७१

खण्ड १ से ३ ७४७१

पारित करने का प्रस्ताव ७४७१

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७४७१–७२

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७४७२—८४

दैनिक संक्षेपिका ७४८५—९४

अंक ६४—शुक्रवार, ८ मई, १९५९/१८ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३०७ से २३१०, २३१२ से २३१८, २३१८-क और २३१९ से २३२१ ७४९५—७५२१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३११ और २३२२ से २३३७ . ७५२१--२९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२९ से ४३०८, ४३१०, ४३११ और ४३१३ से ४३१८ ७५२९--६५

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली में पानी की कमी ७५६५-६६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७५६७-६८

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . ७५६८

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश ७५६८

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

कार्यवाही सारांश ७५६८

लोक लेखा समिति

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन ७५६९

याचिका समिति

छठा प्रतिवेदन . ७५६९

मंत्री द्वारा वक्तव्य की शुद्धि ७५६९

तिब्बत की स्थिति के बारे में चर्चा . . ७५६९-९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ७५९४-९५

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प ७५९५--७६१०

आधे घण्टे की चर्चा--

विलियर्स कोयला खान ७६१०--१४

दैनिक संक्षेपिका ७६१५--२१

अंक ६५--शनिवार, ९ मई, १९५९/१९ बैशाख, १८८१ (शक)

डा० केशवलाल विट्ठलदास ठक्कर का निधन ७६२३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ७६२३-२४

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश ७६२४

राज्य सभा से सन्देश ७६२४--२६, ७६७८

पृष्ठ

लोक लेखा समिति—

अठारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्य में असाधारण वृद्धि. . . ७६२६—२९

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के विस्तार के बारे में वक्तव्य ७६२९

विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के बारे में . . . ७६३०

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ७६३०, ७६३१—७१

केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) नियमों के बारे में प्रस्ताव. ७६७१—७८

दैनिक संक्षेपिका ७६७९-८०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा है ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शनिवार ९ मई, १९५९
१९ वैशाख, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

डा० केशवलाल विठलदास ठक्कर का निधन

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि डा० केशवलाल विट्ठलदास ठक्कर का ४ मई, १९५९ को भावनगर में ७९ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया। वह वर्ष १९५०–५२ में अन्तःकालीन संसद् के सदस्य थे।

मुझे विश्वास है कि डा० ठक्कर के परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में सभा मेरा साथ देगी।

माननीय सदस्य दुख प्रकट करने के लिए एक मिनट तक मौन खड़े हों।

(इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समवाय अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिनियम की प्रथम अनुसूची की तालिका (क) के विनियमों में कुछ परिवर्तन करने वाली दिनांक २ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५२१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० १४४३/५९]

†मूल अंग्रेजी में

उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० १४४२/५९]

जाली पारपत्रों के बारे में विवरण

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : ५ मई को जाली पारपत्रों के संबंध में लोक सभा में एक प्रश्न पूछा गया था। उस पर कई अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गये थे। जो जाकारी हमने दी थी वह अपर्याप्त थी। अतः दिल्ली के चीफ कमिश्नर व पुलिस अधिकारियों से जानकारी मंगाई गयी और एक विवरण तैयार किया गया है जिसे मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी प्रतियां परिचालित करवा दूंगा।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की सातवें सत्र में हुई बैठकों (ग्यारहवीं से तेरहवीं) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा सें संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न-लिखित सन्देश मिले हैं:—

(१) कि राज्य सभा ने अपनी ६ मई, १९५९ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

श्री के० पी० माधवन्, नायर, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री जसपत राय कपूर, श्रीमती पुष्पलता दास, श्री यादव जी केशवजी मोदी, डा० अनूप सिंह, श्री एन० एम० लिंगम्, सैय्यद मजहर इमाम, श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री निरंजन सिंह, श्री पेरथ नारायणन् नायर, श्री हरिहर पटेल, श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी, डा० पी० जे० थामस, डा० वी० गोपाल रेड्डी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कि राज्य सभा ने अपनी ६ मई, १९५९ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा भारत के राज्य बैंक के सहायक बैंकों के रूप में कुछ सरकारी या सरकार से सम्बद्ध बैंकों के निर्माण की तथा इस प्रकार बने बैंकों की रचना, प्रबन्ध और नियंत्रण की तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुसंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मजनोनीत किये जायें :—

श्री के० पी० माधवन् नायर, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री जसपत राय कपूर, श्रीमती पुष्पलता दास, श्री यादवजी केशवजी मोदी, डा० अनूप सिंह, श्री एन० एम० लिंगम्, सैय्यद मजहर इमाम, श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री निरंजन सिंह, श्री पेरथ नारायणन् नायर, श्री हरिहर पटेल, श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी, डा० पी० जे० थामस, डा० वी० गोपाल रेड्डी ।"

(३) कि राज्य सभा ने अपनी ६ मई, १९५९ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

श्री तारकेश्वर पाण्डे, श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू, श्रीमती शारदा भार्गव, श्री एम० गोविन्द रेड्डी, श्री लवजी लाखमशी, श्री महेश शरण, श्री त्रयम्बक दामोदर पुस्तकें, श्री नवाबसिंह चौहान, श्री वी० सी० केशवराव, श्री एम० डी० टुमपल्लीवार, डा० राज बहादुर गौड़, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कामता सिंह, श्री ए० चक्रधर, डा० बी० गोपाल रेड्डी ।"

(४) कि राज्य सभा ने अपनी ८ मई, १९५९ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि वह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

श्री खण्डूभाई के० देसाई, श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार, श्री पी० डी० हिम्मतसिंहका, श्री बाबूभाई एम० चिनाई, श्री जे० एस० विष्ट, डा० आर० पी० दुबे, श्री अकबर अली खां, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह, श्री पी० टी० ल्यूवा, श्री एम० पी० भार्गव,

श्री आर० एस० डूगर, श्री जे० वी० के० वल्लभराव, श्री एच० डी० राजा, श्री वी० के० ढागे, श्री रोहित एम० दवे।"

(५) कि लोक सभा द्वारा १ मई, १९५९ को पारित बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९५९ के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(६) कि लोक सभा द्वारा ४ मई, १९५९ को पारित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९ को राज्य सभा ने अपनी ७ मई, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

लोक लेखा समिति

अट्ठारहवां प्रतिवेदन

†**डा० सुब्बरायन** (तिरुचेंगोड) : मैं विनियोग लेखे (प्रोफार्मा वाणिज्यिक लेखे सहित) (असैनिक) १९५५-५६ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५७ के बारे में लोक लेखा समिति का अट्ठारहवां प्रतिवदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्य में असाधारण वृद्धि

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्य में असाधारण वृद्धि तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यद्यपि इस वर्ष चीनी का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से कुछ कम होने की आशा है, पर इस वर्ष के उत्पादन तथा पिछले वर्ष की बची चीनी को मिला कर इस चीनी वर्ष की खपत व मांग के लिये पर्याप्त चीनी हो जायेगी। कुछ गैर-जिम्मेदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में विशेष रूप से लखनऊ और कानपुर में चीनी की कमी पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी कारण मूल्य बढ़ गये हैं। कानपुर और लखनऊ में चीनी का फुटकल मूल्य १० से २० प्रतिशत तक बढ़ गया है।

कुछ समय से सरकार की नीति यह रही है कि उसने सरकार द्वारा सीधे आवण्टन से बेची जाने वाली चीनी की मात्रा बढ़ा दी है और मिलों द्वारा बेची जाने वाली चीनी की मात्रा घटा दी है पर चीनी के आवण्टन की कुल मात्रा पुराने स्तर पर ही है। ऐसा इसलिये किया गया है कि बाजार पर नियंत्रण रहे और जब आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार आवण्टन बढ़ा देगी। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी है कि सम्पूर्ण कोटे में कमी

---

†मूल अंग्रेजी में

कर दी गई है। अतः मूल्य की यह वृद्धि बिना किसी कारण के है और अस्थायी है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि वह चीनी के थोक व्यापारियों को लाइसेंस दे दे। मूल्य वृद्धि को समाप्त करने के लिये सरकार ने कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और बनारस में पिछले ४ दिनों में ५,००० टन चीनी बिकने के लिये दे दी है जब कि सम्पूर्ण अप्रैल के महीने में लगभग ३,५०० टन चीनी दी गई थी। अभी जो ५,००० टन चीनी दी गई है वह भेजी जा रही हैं और शीघ्र ही इन शहरों में पहुंच जायेगी। आशा है कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश का चीनी बाजार नियंत्रण में आ जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह स्थिति उत्पन्न की है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है? दूसरे क्या माननीय मंत्री को पता है कि कानपुर और लखनऊ में चीनी का थोक व फुटकल मूल्य क्या है?

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : जो टेंडर डाइरेक्टर आफ शूगर के पास जाते हैं वे सब के सब मंजूर नहीं होते हैं और इसमें किसी किसी के साथ खास रियायत की जाती है। कुछ लोगों के टेंडर मंजूर होते हैं कुछ के टेंडर मंजूर नहीं होते। और क्या डाइरेक्टर आफ शूगर ने यह भी हुक्म दे दिया है कि जिन शहरों की आबादी एक लाख से कम है वहां के कोई टेंडर मंजूर न किये जायें?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : पंजाब में भी कुछ ही जिले के लोगों को टेण्डर देने का अधिकार है। बाकी शहरों व देहातों की जनता को बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं। पहले प्रथा यह थी कि अनेक स्थानों के व्यापारियों को टेण्डर देने की अनुमति थी। क्या माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे?

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ कारखान ३६ रु० प्रति मन से कम दाम पर चीनी बेच रहे हैं?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि चीनी बाजार पर हमारा क्या नियंत्रण है। फुटकल बिक्री पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम (१) विभिन्न मिलों से चीनी बाहर भेजने का विनियमन करके (२) कुछ क्षेत्रों में कारखाने पर मूल्य निर्धारित करके (३) सरकार के आदेश के अनुसार वितरित किये जाने के लिये कुछ प्रतिशत उत्पादन रक्षित करके, हम चीनी बाजार पर नियंत्रण रखते हैं।

माननीय सदस्य जानते हैं कि फुटकल बाजार पर नियंत्रण लगाना बहुत कठिन होगा। जब हमने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में फुटकल बिक्री के लिये ऐसा नहीं किया तो चीनी के लिये हम देश भर में फुटकल बिक्री की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते। जब खाद्यान्नों पर नियंत्रण था उस समय चीनी पर भी नियंत्रण था। पर इस समय नियंत्रण नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इसकी मांग नहीं करेगा।

मूल्यों की वृद्धि का प्रश्न कुछ दिनों पूर्व श्री हेडा के एक प्रश्न के द्वारा उठाया गया था। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या इस वृद्धि का एक कारण यह अफवाह नहीं है कि चीनी के उत्पादन में काफी कमी हो गयी है? मैंने बताया था कि कमी उतनी नहीं है जितनी बताई जाती है। इस वर्ष चीनी का उत्पादन लगभग १९ लाख टन है और गत वर्ष की बची चीनी को मिलाकर इस वर्ष की

†मूल अंग्रेजी में

श्री आर० एस० डूगर, श्री जे० वी० के० वल्लभराव, श्री एच० डी० राजा, श्री वी० के० ढागे, श्री रोहित एम० दवे।"

(५) कि लोक सभा द्वारा १ मई, १९५९ को पारित बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९५९ के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(६) कि लोक सभा द्वारा ४ मई, १९५९ को पारित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९ को राज्य सभा ने अपनी ७ मई, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

लोक लेखा समिति

अट्ठारहवां प्रतिवेदन

†**डा० सुब्बरायन** (तिरुचेंगोड) : मैं विनियोग लेखे (प्रोफार्मा वाणिज्यिक लेखे सहित) (असैनिक) १९५५-५६ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५७ के बारे में लोक लेखा समिति का अट्ठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्य में असाधारण वृद्धि

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्य में असाधारण वृद्धि तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यद्यपि इस वर्ष चीनी का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से कुछ कम होने की आशा है, पर इस वर्ष के उत्पादन तथा पिछले वर्ष की बची चीनी को मिला कर इस चीनी वर्ष की खपत व मांग के लिये पर्याप्त चीनी हो जायेगी। कुछ गैर-जिम्मेदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में विशेष रूप से लखनऊ और कानपुर में चीनी की कमी पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी कारण मूल्य बढ़ गये हैं। कानपुर और लखनऊ में चीनी का फुटकल मूल्य १० से २० प्रतिशत तक बढ़ गया है।

कुछ समय से सरकार की नीति यह रही है कि उसने सरकार द्वारा सीधे आवण्टन से बेची जाने वाली चीनी की मात्रा बढ़ा दी है और मिलों द्वारा बेची जाने वाली चीनी की मात्रा घटा दी है पर चीनी के आवण्टन की कुल मात्रा पुराने स्तर पर ही है। ऐसा इसलिये किया गया है कि बाजार पर नियंत्रण रहे और जब आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार आवण्टन बढ़ा देगी। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी है कि सम्पूर्ण कोटे में कमी

---

†मूल अंग्रेजी में

कर दी गई है। अतः मूल्य की यह वृद्धि बिना किसी कारण के है और अस्थायी है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि वह चीनी के थोक व्यापारियों को लाइसेंस दे दे। मूल्य वृद्धि को समाप्त करने के लिये सरकार ने कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और बनारस में पिछले ४ दिनों में ५,००० टन चीनी बिकने के लिये दे दी है जब कि सम्पूर्ण अप्रैल के महीने में लगभग ३,५०० टन चीनी दी गई थी। अभी जो ५,००० टन चीनी दी गई है वह भेजी जा रही हैं और शीघ्र ही इन शहरों में पहुंच जायेगी। आशा है कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश का चीनी बाजार नियंत्रण में आ जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह स्थिति उत्पन्न की है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है? दूसरे क्या माननीय मंत्री को पता है कि कानपुर और लखनऊ में चीनी का थोक व फुटकल मूल्य क्या है?

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : जो टेंडर डाइरेक्टर आफ शूगर के पास जाते हैं वे सब के सब मंजूर नहीं होते हैं और इसमें किसी किसी के साथ खास रियायत की जाती है। कुछ लोगों के टेंडर मंजूर होते हैं कुछ के टेंडर मंजूर नहीं होते। और क्या डाइरेक्टर आफ शूगर ने यह भी हुक्म दे दिया है कि जिन शहरों की आबादी एक लाख से कम है वहां के कोई टेंडर मंजूर न किये जायें?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार)** : पंजाब में भी कुछ ही जिले के लोगों को टेण्डर देने का अधिकार है। बाकी शहरों व देहातों की जनता को बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं। पहले प्रथा यह थी कि अनेक स्थानों के व्यापारियों को टेण्डर देने की अनुमति थी। क्या माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे?

†**श्री काशीनाथ पांडे (हाता)** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ कारखाने ३६ रु० प्रति मन से कम दाम पर चीनी बेच रहे हैं?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि चीनी बाजार पर हमारा क्या नियंत्रण है। फुटकल बिक्री पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम (१) विभिन्न मिलों से चीनी बाहर भेजने का विनियमन करके (२) कुछ क्षेत्रों में कारखाने पर मूल्य निर्धारित करके (३) सरकार के आदेश के अनुसार वितरित किये जाने के लिये कुछ प्रतिशत उत्पादन रक्षित करके, हम चीनी बाजार पर नियंत्रण रखते हैं।

माननीय सदस्य जानते हैं कि फुटकल बाजार पर नियंत्रण लगाना बहुत कठिन होगा। जब हमने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में फुटकल बिक्री के लिये ऐसा नहीं किया तो चीनी के लिये हम देश भर में फुटकल बिक्री की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते। जब खाद्यान्नों पर नियंत्रण था उस समय चीनी पर भी नियंत्रण था। पर इस समय नियंत्रण नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इसकी मांग नहीं करेगा।

मूल्यों की वृद्धि का प्रश्न कुछ दिनों पूर्व श्री हेडा के एक प्रश्न के द्वारा उठाया गया था। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या इस वृद्धि का एक कारण यह अफवाह नहीं है कि चीनी के उत्पादन में काफी कमी हो गयी है? मैंने बताया था कि कमी उतनी नहीं है जितनी बताई जाती है। इस वर्ष चीनी का उत्पादन लगभग १९ लाख टन है और गत वर्ष की बची चीनी को मिलाकर इस वर्ष की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

जरूरत पूरी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु के पहले चीनी के मूल्य हमेशा कुछ बढ़ जाते हैं। आप जानते है कि इस मौसम में शीतल पेय तथा अन्य कामों के लिए चीनी की मांग बहुत बढ़ जाती है।

आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर ही मूल्य में वृद्धि हुई है। अन्य स्थानों पर मूल्य बढ़े नहीं हैं। जहां तक मुझे पता है कि कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में, मूल्य में १ रु० २ आने प्रतिमन के लगभग वृद्धि हुई है। हम चीनी भेज रहे हैं ताकि बाजार में पर्याप्त चीनी आ जाये। २९ अप्रैल को हमने खुली बिक्री के लिए १,४०,००० टन चीनी भेजी। टेण्डरों पर बांटने के लिए हमने ३०,००० टन चीनी रक्षित रखी। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या सब टेण्डर मंजूर कर लिए जाते हैं। सब टेण्डर मंजूर करना सम्भव नहीं है। इस मामले में हमारी नीति यह है कि बड़े-बड़े शहरों में मूल्य पर नियंत्रण रखा जाये। यदि इन क्षेत्रों में पर्याप्त चीनी बाजारों में पहुंचाई जाये, तो मूल्य फिर कम हो जायेंगे और सम्पूर्ण देश का बाजार कब्जे में आ जायेगा। इसी उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब में मूल्य निर्धारित कर दिये हैं, चूंकि अधिकांश चीनी का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है और यदि यहां कारखानों पर मूल्य निर्धारित कर दिया जायेगा, तो आय बाजारों पर भी स्वयं नियंत्रण हो जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पंजाब के मामले का जिक्र किया। पहले भी उन्होंने मुझ से इसका जिक्र किया था। मैं उनकी बात का ध्यान रखूंगा। पर जहां तक मुझे पता है मूल्य केवल लखनऊ और कानपुर में बढ़े हैं और हमने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर दी है हमने टेण्डरों से अधिक मात्रा में चीनी भेज दी है। हमें आशा है कि यह कठिनाई अस्थायी है और शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जायेगी।

मैं लाइसेंस प्रणाली के बारे में भी, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ कहना चाहता हूं। चीनी के थोक व्यापार के लिए अब लाइसेंस दिये जायेंगे इस प्रकार नियंत्रण अच्छा हो जायेगा। हमें लाइसेंस रद्द करने व लाइसेंसधारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा।

श्री स० म० बनर्जी ने पूछा कि हमने क्या कार्यवाही की है। हमारे सामने ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है, जिसमें किसी ऐसी मिल ने जहां मूल्य निर्धारित है, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर चीनी बेची हो। अतः कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। यदि हमारे सामने कोई मामला लाया जाये, तो हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बतायें कि लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सरकार सावधानीपूर्वक स्थिति का अध्ययन कर रही है। इस समय हमने निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी चीनी के थोक व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाये। आशा है कि इस लाइसेंस प्रणाली से हम स्थिति को काबू में कर लेंगे। आज किसी भी स्थिति को देखकर कुछ अनुमान लगाते हैं और उसी अनुमान के आधार पर आप कार्यवाही करते हैं। हमारा अनुमान यही है और आशा है कि शीघ्र ही यह कठिनाई समाप्त हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस नियंत्रण की क्या आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : चीनी की कमी तो है नहीं। अतः नियंत्रण से लोगों को चीनी जमा करने को नहीं मिलेगी। इस कारण हमने थोक व्यापारियों को लाइसेंस देने का मध्यम मार्ग अपनाया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों आदि का इन्तजार किये बिना माननीय मंत्री को स्वयं वक्तव्य दे देना चाहिये था। यदि सभा का सत्र न चल रहा हो, तो उन्हें वक्तव्य जारी करने चाहियें कि सरकार यह कार्यवाही करने जा रही है। इससे बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : आपने जो सुझाव दिया है वह बिल्कुल ठीक है। कठिनाई यह है कि यदि हम कोई कार्यवाही करना चाहते हैं और उसकी सब बातों को जनता के सामने रख देते हैं तो हो सकता है कि उससे हमें लाभ के बजाय हानि हो। हम कई प्रकार की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार करते हैं, राज्य सरकार से विचार-विनिमय करते हैं। यह बात हमेशा संभव नहीं है कि हम जनता को बता दें कि हम क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य रूप से आपको विज्ञप्ति निकाल देना चाहिये कि चावल या चीनी की कमी नहीं है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह मैंने कर दिया है। कई दिनों पूर्व यह बात समाचार पत्रों में भी आ गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के विस्तार के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: कल जब भविष्य निधि योजना के अधीन आने वाले मोटर परिवहन उद्योग के कर्मचारियों के बारे में एक अधिसूचना यहां रखी गई थी, तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह केवल ५,००० कर्मचारियों पर लागू होती है और एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि यह २३,००० कर्मचारियों पर लागू होती है। तथ्य यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के २१५ संस्थानों के जिनमें लगभग २१,००० कर्मचारी हैं और सरकारी क्षेत्र के लगभग ८३ संस्थानों के जिनमें लगभग ८२,००० कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को अन्य भविष्य निधि योजना का लाभ मिलेगा।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन (मुकंदपुरम्)** : पहली अधिसूचना फरवरी १९५९ में जारी की गयी थी और माननीच मंत्री ने लगभग ३ महीने बाद उसे सभा-पटल पर रखा।

†**श्री आबिद अली** : वह अधिसूचना विशेष रुप से इसीके संबंध में नहीं थी। वह एक विविध प्रकार की अधिसूचना थी। परिपाटी यह है कि विविध प्रकार की अधि-सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है और अन्य अधिसूचनाओं के साथ उन्हें भी सभा-पटल पर रख दिया जाता है; यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि विविध अधिसूचनाओं को भी पहले ही सभा-पटल पर रख दिया जाया करे, तो मैं वैसा ही करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव ह कि सभी मामलों में अधिसूचना जारी होने के बाद, यदि सत्र चल रहा हो तो, एक सप्ताह बाद अधिसूचना को सभा-पटल पर रख दिया जाये ताकि माननीय सदस्य उसे देख सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब ७ मई, १९५९ को श्री दातार द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन पर, जो २४ नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: कल मैं प्रतिवेदन की कुछ बातों का जिक्र किया था। मैं अन्य बातों को माननीय सदस्यों पर ही विचार के लिये छोड़ता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जरा ठहरें।

विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि श्री एन्थनी परसों विशेषाधिकार सम्बन्धी एक प्रश्न उठाना चाहते थे। उनका कहना था कि "टाइम्स आफ इण्डिया" के अनुसार श्री जोकीम आल्वा ने यह कहा है कि श्री एन्थनी का अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प विदेशियों द्वारा अनुप्रेरित था। अतः वह इस बात पर सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं। श्री जोकीम आल्वा ने उसी समय खड़े होकर यह कहा कि उन्होंने यह बात नहीं कही अपितु उन्होंने कुछ और बात कही थी। मैं समाचार पत्र में प्रकाशित बात से माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात को अधिक महत्व देता हूं; तथापि श्री एन्थनी ने आकर मुझ से यह अनुरोध किया कि मैं टाइम्स आफ इण्डिया के सम्वाददाता से इस बात का जबाब मांगूं कि उन्होंने इस प्रकार का समाचार क्यों प्रकाशित किया। मैंने उनसे कहा कि मैं सम्बन्धित सम्वाददाता से इसका उत्तर मांगूंगा; लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य एक दूसरे के प्रति और संसद् के प्रति सम्मान की भावना रखें। इन मामलों में मैं माननीय सदस्यों की बातों को अधिक महत्व देता हूं और इसलिये सम्वाददाता के जबाब पर इस प्रश्न को आधारित न करते हुए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : जिस बैठक में मुझ पर यह बात कहने का आरोप लगाया गया है, वहां बहुत से दलों के कोई आधे दर्जन सदस्य मौजूद थे; उन सभी ने यह कहा है कि मैंने ऐसी बात नहीं कही है। डा० अणे भी वहां मौजूद थे।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम): मेरे विचार से पत्र के संवाददाता से कोई उत्तर मांगने की जरूरत नहीं है।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर): इस मामलें को समाप्त कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा की यही राय है तो संवाददाता से इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं पूछी जायेगी। वस्तुतः जब कोई संसद् सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति कोई बात कहने का आरोप लगाता है तो मैं दूसरे संसद् सदस्य से उस बारे में पूछता हूं और इस प्रकार दोनों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी प्रणाली से काम लिया जाये। अतः इस मामले को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

†**श्री दातार** : परसों मैंने यह बताया था कि आयोग के काम में बहुत वृद्धि हो रही है और विशेषतः आलोच्य वर्ष में ऐसा एक भी मामला नहीं हुआ जब कि सरकार ने आयोग आयोग की सलाह के अनुसार काम नहीं किया।

एक अन्य अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग ने यह शिकायत की थी कि विद्यार्थियों के ज्ञान का सामान्य स्तर गिरता जा रहा है। अतः इस समस्या पर प्रत्येक स्तर पर विचार करना चाहिये। इस प्रश्न पर विश्वविद्यालयों और अन्तरविश्वविद्यालय के बोर्ड को विचार करना चाहिये। इस समय भी यही शिकायत दुहराई गई है। इसके लिये दो उपचार हैं। पहिला विश्वविद्यालय इस बात का ध्यान रखें कि विश्वविद्यालयों का स्तर न गिरे। सेवाओं के हित में यह सिफारिश की गई है कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लियें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर उनकी कमियां दूर की जायें। दूसरी सिफारिश के संबन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय प्रशासन सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा के लिये हमने पाठ्यक्रम निर्धारित किये हुए हैं। सदस्यों को ज्ञात है कि अखिल भारतीय प्रशासन सेवाओं के परिवीक्षाधीन उम्मीदवारों के लिये दिल्ली में तथा अखिल भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन उम्मीदवारों के लिये माउन्ट आबू में प्रशिक्षण केन्द्र है। वहाँ केवल कुछ विषयों के अन्तर्गत ही शिक्षा नहीं दी जाती अपितु वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। अन्य सेवाओं के संबंध में भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि नियुक्ति के कुछ वर्षों पश्चात् भी प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम चालित किया जाय। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालयों के अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि शिक्षा का सामान्य स्तर न गिरने पावे। हम अपनी ओर से उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे और सरकारी नौकरों को नौकरी में आने के पश्चात् भी गहन प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग ने एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही है। अभी हाल भारतीय प्रशिक्षण सेवा के लिये एक विशेष परीक्षा हुई थी। हम भारतीय प्रशासन सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं के लिये प्रतिवर्ष परीक्षायें लेते हैं। आयोग ने इन परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के संबंध में यह बताया है कि भले ही वे लोग आवेदन पत्रों में भारतीय विदेश सेवा के लिये अधिमान्यता दें तो भी वे लोग भारतीय प्रशासन सेवाओं में आना ही पसन्द करते हैं। यहां तक कि जिन युवकों ने टेक्नीकल डिग्रियां प्राप्त की हैं वे भी टेक्नीकल पदों से प्रशासन सेवाओं में जाना अधिक अच्छा समझते हैं। निसंदेह हम चाहते हैं कि भारतीय प्रशासन सेवाओं में सभी क्षेत्रों से सर्वोत्तम व्यक्ति लिये जायें तथापि हम यह भी चाहते हैं कि टेक्नीकल या व्यवसायिक उपाधि लिये हुए व्यक्ति इन पदों के लिये आवेदन न करें। उनकी सेवायें टेक्नीकल क्षेत्रों के लिये काफी महत्वपूर्ण हैं। हमें इस प्रश्न पर विचार करना है। आयोग ने इस संबंध में यह कहा है कि ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। उन्होंने तकनीकी और प्रोद्योगिकीय अध्ययन के संबंध में यह सिफारिश की है कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलना चाहिये। यद्यपि हम जो वेतन दे रहे हैं वह भी पर्याप्त संतोषजनक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

जहां तक टेक्नीकल योग्यता वाले व्यक्तियों पर भारतीय प्रशासन सेवाओं में आने पर रोक लगाने का प्रश्न है, हमने भारतीय प्रशासन सेवाओं के लिये विशेष परीक्षा के संबंध में अधिसूचना जारी करने के पूर्व कुछ नियम बनाये थे। तब सभा में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि डाक्टरों और वैज्ञानिकों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाय दूसरी ओर यह कहा गया कि जो स्नातक हों उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाय। इस प्रकार इस संबंध में दो परस्पर विरोधी मत थे। अब इस समस्या पर विचार किया जा रहा है।

अब मैं पुनर्नियुक्ति संबंधी आयोग की सिफारिशों को उद्धृत करना चाहता हूं। सभा में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुनर्नियुक्ति या सेवा की अवधि बढ़ाने का कोई कारण न होने पर भी सेवा की अवधि क्यों बढ़ाई जाती है। मैंने इस संबंध में सरकारी नीति का उल्लेख किया था। आयोग ने इस प्रतिवेदन में बताया है कि पुनर्नियुक्ति के संबंध में कितनी कठिनाइयां पैदा होती हैं। वस्तुतः ज्येष्ठ अधिकारी के पदनिवृत्त होने पर पदाधिकारी मिलना बहुत कठिन होता हैं। प्रतिवेदन में इस संबंध में जो कुछ कहा गया है उसका सारांश यह है कि पुनर्नियुक्ति के २५० मामले आयोग के समक्ष लाये गये उनमें से २२४ मामलों में आयोग ने सलाह दी इसका कारण यह है कि टेक्नीकल क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों की बहुत कमी है। इस प्रकार आयोग ने इस संबंध में सरकार के रवैये का समर्थन किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कोडियान** (क्वलोन–रक्षित अनुसूचित जातियां): प्रतिवेदन से कई महत्वपूर्ण बातों का पता लगता है। उनमें एक यह है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों का स्तर गिरता जा रहा है। वैसे भी देश में यह भावना फैलती जा रही है कि लोक सेवाओं की कुशलता, नैतिकता व स्तर गिरता जा रहा है। इसका कारण यही है कि ऊंचे स्तर के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः स्तर बढ़ाने की समस्या बड़ी व्यापक है। इसके लिये माननीय मंत्री ने बताया है कि शिक्षा का सामान्य स्तर बढ़ाया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में भरती पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है तथा चुनाव के बाद भी उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि विश्वविद्यालयों के प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाये और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही नहीं अपितु पहिले भी प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाये। मुख्यतः अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के लिये ऐसा ही प्रबन्ध किया जाये जैसा कि इलाहबाद विश्वविद्यालय ने किया है।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि लोग अधिकांश प्रशासन सेवा में ही जाना चाहते हैं। और कई प्रकार की जगहों के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं। विशेषतः विज्ञान तथा टैक्नालाजी से सम्बन्धित पदों के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि देश में वैज्ञानिक शिक्षा देने के उपयुक्त सुविधायें प्राप्त नहीं हैं तथा कई लोग जिन्हें उपयुक्त योग्यता प्राप्त हैं वे वेतन की कमी या अन्य कारणों से इन पदों पर नहीं आना चाहते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि उक्त पदों के लिये वे उचित वेतन स्तर निर्धारित करें जिस से योग्य और सकुशल व्यक्ति इन पदों के लिये उपलब्ध हो सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं अस्थायी नियुक्तियों को लेता हूं। सामान्यतः किसी पद के लिये अस्थायी नियुक्तियां कर दी जाती हैं और एक वर्ष के अन्दर उसके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से पूछना होता है। लेकिन कई मामलों में दो दो वर्ष के पश्चात् संघ से सलाह ली गई है। पिछले वर्ष मैंने एक ऐसे मामले की ओर संघ का ध्यान आकर्षित किया था जिसमें एक व्यक्ति को कई पदों पर अस्थायी तौर पर नियुक्त करने के पश्चात् एक ऐसे पद पर स्थायी कर दिया गया था जिसके लिये वह आयोग से अस्वीकृत ठहरा दिया गया था।

दूसरी ओर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में ऐसे भी अधिकारी हैं जो पिछले १४, १५ वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं अब उन्हें स्थायी करने के लिये आयोग द्वारा बुलाया गया है। समझ में नहीं आता कि इन्हें इतने समय तक अस्थायी क्यों रखा गया। इस से यह होता है कि बाद में इन लोगों के अनुभव को देखते हुए अन्य व्यक्तियों को इन पदों पर नहीं लिया जाता है।

मेरे राज्य में इस प्रकार की भावना फैलती जा रही है कि केन्द्रीय सेवाओं में वहां के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की भावना अन्य राज्यों के हृदयों में भी विद्यमान है। इस अवसर पर मैं इस बात की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केरल में संघ लोक सेवा आयोग का कोई केन्द्र नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि राज्य में आयोग का एक परीक्षा केन्द्र खोला जाये जिस से परीक्षार्थियों को असुविधा न हो।

यह प्रथा है कि नियुक्ति के पश्चात् गृह मंत्रालय उम्मीदवार के सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट भेजता है। पुलिस रिपोर्ट के ठीक न होने पर उसे उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता ह। मेरे विचार से यह उचित नहीं है क्यों कि इससे भ्रष्टाचार फैलता है। रिपोर्ट पुलिस के सिपाही या हेड कान्सटेबल के द्वारा लिखी जाती है उसे बरगलाया जा सकता है या किसी कारणवश उस से विरोध होने पर भी खराब रिपोर्ट दी जा सकती है राजनीति में भाग लेने पर उनकी रिपोर्ट खराब कर दी जाती है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है। केरल में यह प्रथा समाप्त कर दी गई है। तथा नियुक्तियों के मामले में किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाता है। तथापि यदि वह नौकरी में घुसने के पश्चात् कोई अवांछनीय कार्यवाही करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : आज हमारे देश की प्रशासकीय व्यवस्था के कधों पर बड़े-बड़े दायित्व हैं। इसलिये हमें अपनी सेवाओं का मनोबल ऊंचे से ऊंचे स्तर पर बनाये रखने की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये। पर इस के लिये यह भी जरूरी है कि हमारा संघ लोक सेवा आयोग उचित ढंग से गठित हो और जनता को उस पर पूरा भरोसा रहे।

संविधान में लोक सेवा आयोग को इसीलिये इतना महत्व दिया गया है। क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपना दायित्व पूरी तौर से निभाया है ? उसमें यदि कुछ त्रुटियां हुई हैं, तो उन के लिये आयोग जिम्मेदार है, या मंत्रालय ?

जैसा कि इस प्रतिवेदन से स्पष्ट है, आयोग ने इस काल में काम का परिमाण काफी बढ़ा दिया है, पहले से ज्यादा परीक्षायें ली गई हैं, पत्र लिखे गये हैं। लेकिन दुख की बात है कि आयोग को सेवाओं और जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

सब से पहले तो आयोग के गठन को ही देखिये। प्रतिवेदन में दिया गया है कि आयोग के एक सदस्य—श्री ए० ए० फैजी—के निवृत्त होने पर, उन के स्थान पर एक नये सदस्य—श्री एस० एच० जहीर—को नियुक्त किया गया है। इससे जनता के दिमाग में यह बात जमती है कि आयोग में एक मुस्लिम सदस्य रखा ही जायेगा। जबकि जनता के दिमाग में जमायी यह बात जानी चाहिये कि आयोग के सदस्यों का चुनाव केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। यही दृष्टिकोण स्वस्थ भी होगा।

दूसरी खामी यह है कि निवृत्ति-काल के करीब पहुंचने वाले, साधारण किस्म के अधिकारियों को ही संघ लोक सेवा आयोग में भेजा जाता है। इससे उन्हें पांच-छः साल और सेवा में बने रहने की छूट मिल जाती है। इसे रोका जाना चाहिये।

आयोग को मंत्रालय के कृपापात्र अधिकारियों के लिये काम जुटाने के साधन नहीं बनाया जाना चाहिये।

और, आयोग कुछ ऐसे ढंग से काम करता है कि जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है। इसके दो–एक उदाहरण लीजिये। अभी कुछ दिन पहले, आयोग ने प्रान्तीय सेवाओं के कुछ अधिकारियों को भारतीय प्रशासकीय सेवा में लेकर पदोन्नत किया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान प्रशासकीय सेवा के कुछ ऐस अधिकारियों को भी भारतीय प्रशासकीय सेवा में ले लिया गया है, जो पहले कई बार राजस्थान प्रशासकीय सेवा के योग्य भी नहीं समझ गये थे और दो-तीन बार असफल होने के बाद, कुछ तरीकों से ही, उस सेवा में पहुंच पाये थे। आयोग ने भी उनको पहले लगातार दो–तीन बार असफल घोषित कर दिया था, भारतीय प्रशासकीय सेवा की श्रेणी में नहीं लिया था। लेकिन अब, कई बरिष्ठ अधिकारियों के रहते हुए भी, उनको सीधे-सीधे पदोन्नत करके भारतीय प्रशासकीय सेवा में ले लिया गया है। जब कि क्रमानुसार सूची में उनसे पहले ७९ नाम और भी मौजूद थे। और यह भी अनुचित है कि दो पदों के चुनाव के लिये १३ की सूची बनाई जाये। इससे अन्य अधिकारियों के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक और विचित्र बात है, शायद संयोग ही है, कि जहां पहले दस वर्षों में केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को भारतीय प्रशासकीय सेवा में लिया था, वहां इस बार, सौभाग्य या दुर्भाग्य से, तीन मुस्लिमों को चुना गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भांति ही, अन्य लोगों को भी कुछ रियायतें दी गई हैं?

†**श्री दातार** : जी, नहीं, सिर्फ अनुसूचित जातियों को ही दी गई हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह माना तो बहुत ज्यादती होगी कि तीनों मुस्लिमों को इसलिये चुना गया है कि आयोग के एक मुस्लिम सदस्य इस बार चुनाव समिति के सभापति थे। फिर भी, इससे जनता को संदेह तो होता ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायण कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्): एक औचित्य प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो यह संदेह की बात कही है, यह अनुचित है। यह चुनाव करने वाली समिति के सभापति के आचरण पर आक्षेप है। जब तक माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई ठोस सबूत न हो कि वे तीनों मुस्लिम उम्मीदवार योग्यता के विहित मानदण्ड के आधार पर नहीं चुने गये थे, तब तक ऐसी बात कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

†**श्री दातार**: माननीय सदस्य को कुछ संयम से काम लेना चाहिये। वह सिर्फ शाब्दिक तौर पर कहते जा रहे हैं कि उनका मंशा आक्षेप करने का नहीं है, पर वह आक्षेप तो करते ही जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में कुछ भी कहते समय हमें सावधानी रखनी चाहिये। वह एक संविहित निकाय है और अपना काम बड़ी अच्छी तरह निभा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं तो समझ रहा था कि माननीय सदस्य उम्मीदवारों की सूची के क्रम को भंग करने के सम्बन्ध में ही कह रहे हैं। एक ओर तो माननीय सदस्य कहते हैं कि उम्मीदवारों में भेद-भाव नहीं करना चाहिये, और दूसरी ओर वह खुद ही समुदाय के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। हमारे देश में हर समुदाय के व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं। ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहियें। किसी भी समुदाय या धर्म के लोगों का इस तरह उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य उनको तथ्य मान सकते हैं लेकिन तथ्यों को भी इस ढंग से नहीं कहना चाहिये। अयोग के सदस्यों को हटाने के भी तरीके दूसरे हैं। संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिये दूसरी ही प्रक्रिया संविहित है। उसके लिये यहां या राज्य-सभा में अलग से प्रस्ताव रखा जा सकता है। लेकिन मैं इस तरह के आक्षेपों की अनुमति नहीं दे सकता।

यदि तीन मुस्लीम उम्मीदवार चुने गये है, तो उसमें उनके धर्म का सवाल कहां उठता है? इसमें की क्या बात है?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: कुछ चुनावों के लिये स्वयं संघ लोक सेवा आयोग ने एक प्रक्रिया विहित कर रखी है। आयोग भारतीय पुलिस सेवा के लिये उम्मीदवार चुनता है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले को 'इन्टरव्यू' के लिये नहीं बुलाता।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या अनिवार्य रूप से आयोग को पुलिस वालों को चुनाव के समय उपस्थित रहने के लिये बुलाया ही जाना चाहिये?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: मैं चुने वाले उम्मीदवारों को न बुलाने की बात कह रहा हूं। उनकी पदोन्नतियां सिर्फ फाइलें और रिकार्ड देखकर कर दी जाती हैं। लेकिन भारतीय प्रशासकीय सेवा के लिये चुनाव करते समय, आयोग उम्मीदवारों का पुराना रिकार्ड भी देखता है और उन्हें 'इन्टरव्यू' के लिये भी बुलाता है। और कुछ अधिकारियों को तो इन्टरव्यू के लिये चौबीस घन्टे पहले ही सूचना दी जाती है। और होता तो यहाँ तक है कि "इन्टरव्यू' में न आने वाले कुछ लोग भी कभी-कभी चुन लिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन तीन उम्मीदवारों के चुनाव में भी यह किया गया है? 'इन्टरव्यू' के लिये न आने पर भी, उनको चुना गया है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं उसी चुनाव की बात कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब माननीय सदस्य को उन उम्मीदवारों के धर्म को बीच में नहीं घसीटना चाहिये था। श्री नारायणन कुट्टि मेनन ने यही आपत्ति उठाई है। माननीय सदस्य ने यह क्यों कहा कि पिछले साल केवल एक ही मुस्लिम चुना गया था, जबकि इस वर्ष तीन मुस्लिम चुने गये?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने कहा था कि पिछले दस साल में भी एक ही मुस्लिम चुना गया थां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसा कोई अनुपात तो नहीं रखा जाता कि एक वर्ष में कितने मुस्लिम चुने जायें। यह दलील ही गलत है। ऐसी दलीलें नहीं दी जानी चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं इसके अधिक ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, हालांकि मेरे पास जानकारी मौजूद है। पूरी राजस्थान प्रशासकीय सेवा को इसके लिये विवश सा किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन माननीय सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे आक्षेप नहीं करने चाहिये। यदि वह चाहें तो आयोग के सभी सदस्यों को हटाने के लिये अलग से एक संकल्प रख सकते हैं। मैं उसकी भी अनुमति दे दूंगा। उनके अपने कथन को प्रमाणित तो करना चाहिये। संकल्प के दौरान में वह जो चाहें कह सकते हैं और उसे प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के अप्रत्यक्ष आक्षेपों से सारे देश का वातावरण गंदा होता है। यदि आयोग के सदस्य बुरे हैं, तो उन्हें उचित रूप से हटा देना चाहिये । मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे कथन का आशय यही था कि लोक सेवा आयोग को जनता का सम्मान प्राप्त करना चाहिये ।

इस प्रतिवेदन में, लोक सेवा आयोग ने सफलता के सामान्य मानदण्ड का भी उल्लेख किया है। उसमें सुझाव दिया गया है कि गृह-कार्य मंत्री को शिक्षा मंत्री से परामर्श करके, इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय करने चाहिये। इसीलिये मैंने यह पूछा था कि क्या दोनों मंत्रियों ने इस विषय पर विचार किया है और क्या वे इस दिशा में कुछ करने की सोच रहे हैं।

औद्योगिक प्रबन्ध पदालि और उसके लिये किये जाने वाले चुनावों के बारे में, आयोग ने शिकायत की है कि उसके लिये चुनाव करना कठिन है। वह इसलिये और भी कठिन बन गया है कि, आयोग की शिकायत के अनुसार, गृह-कार्य मंत्रालय में उसे औद्योगिक प्रबन्ध पदालि का ब्यौरा नहीं दिया है। मंत्रालय को यह सूचना आयोग को देनी चाहिये थी। मैंने इसीलिये इसके बारे में प्रश्न पूछा था। और आपने गृह-कार्य मंत्री से इस पदालि के गठन से सम्बन्धित सभी सरकारी अधिसूचनायें सभा-पटल पर रखने के लिये कहा था। लेकिन उस अधिसूचना में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि शुरू में इस पदालि में कुल २०० उम्मीदवार लिये जायेंगे। उसमें भी उनकी श्रेणियों का कोई ब्योरा नहीं बताया गया है

†मूल अंग्रेजी में

अब जनमत के दबाव के कारण, व्यक्तित्व परीक्षा पास करने की शर्त हटा दी गई है। व्यक्तित्व-परीक्षा तो अभी भी जारी है, लेकिन उसमें कम नम्बर पाने वाले को भी सेवा में ले लिया जाता है। लेकिन अभी अनितम रूप से यह निर्णय नहीं किया गया है कि व्यक्तित्व-परीक्षा को बिलकुल हटाया जाये, या नहीं। यह निर्णय करने के लिये, अब जरुरी हो गया है कि हम उन अधिकारियों के काम की जांच करें, जिन्हें व्यक्तित्व-परीक्षा में असफल होने पर भी सेवा में लिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग ने ६७ उम्मीदवारों का 'इन्टरव्यू' विदेशों में किया था और उनमें से ३२ चुने गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये चुनाव किस प्रकार, किस प्रक्रिया से किये जाते हैं। ऐसे चुनावों के लिये कोई बोर्ड गठित किया जाता है, या आयोग की ओर से आयोग का कोई एक सदस्य ही ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव करता है?

इस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों का एक सम्मेलन भी किया है और उन्होंने उस सम्मेलन में कुछ निर्णय भी किये हैं। यह बड़ी अच्छी चीज है।

संघ लोक सेवा आयोग के गठन में एक खामी यह है कि उसमें न्यायपालिका का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। आयोग के हित में भी यह अच्छा रहेगा कि किसी उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश आयोग में रखा जाये। इससे आयोग की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और उसके हाथ भी मजबूत होंगे।

हमारे देश की सेवाओं का मनोबल उतना अच्छा नहीं है, जितना कि चाहिये। इसलिये संघ लोक सेवा आयोग का क्षेत्र विस्तृत किया जाना चाहिये और उसे अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उनके जीवन के अन्य पहलूओं के सम्बन्ध में भी कुछ करना चाहिये। इससे हमारे अधिकारियों में दायित्व संभालने की प्रवत्ति बढ़ेगी।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, किसी देश और समाज के उन्नत होने के लिये आवश्यक है कि जनता का उस के शासन में अटूट विश्वास हो। शासन की सफलता के लिये शासन के तीन अंग होते हैं : विधायक, कार्यकारी और न्याय अर्थात् लेजिस्लेटिव, एग्जिक्यूटिव और जुडीशियरी। अगर लेजिस्लेचर के अन्दर जनता का विश्वास न हो तो उस को उसे हर चार या पांच वर्ष पर बदलने का अधिकार है और उसे बदला जा सकता है। इसलिये जहां तक विधायक का प्रश्न है उसे स्वयम् प्रयत्नशील रहना होता है जनता का उस पर विश्वास रहे। दूसरा जो सब से बड़ा अंग है शासन का वह कार्यकारी अंग है और उस के बाद न्याय। इन दोनों अंगों के आदमियों के चुनावों में सिवा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के, विशेष अधिकार हमारे कमिशन (आयोग) का है। स्टेट लेवेल (राज्य-स्तर) पर भी और वैसे ही यूनियन लेवेल पर भी। जहां तक कमिशन का प्रश्न है उस के प्रति जनता का अदम्य विश्वास हो, किसी के ऊपर कोई भी उंगली न उठा सके। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि ऐसी नौबत न आनी चाहिये कि कमिशन के सदस्यों के ऊपर किसी की उंगली उठे। उन के प्रति सब का विश्वास हो। उन की कार्यक्षमता में सरकार का विश्वास हो और सरकार में उन का विश्वास हो। आज के दिन उभय पक्ष एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना से नहीं देखते।

[श्री सिंहासन सिंह]

इन बातों के साथ, कमिशन के व्यक्तियों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । जो जहां पर हैं अच्छे हैं । मुझे केवल एक बात कहनी है कि उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में एक जगह बतलाया है कि कमिशन के काम के लिये जरूरी है उस में लोगों का विश्वास हो । वे इस बात की ताईद करते हैं कि ऐसा जरूरी है ।

ऐब्सोल्यूट फेअरनेस ऐंड इम्पार्शिएलिटी (पूर्ण न्यायशीलता और निष्पक्षता) यह दोनों ही कमिशन के गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकते हैं, और हमें यह देखना है कि वह उन पर कितनी तवज्जह देता है । मैं ने चैप्टर १३ के अन्दर देखा कि सीनियारिटी के बारे में कमिशन के पास कुछ नाम भेजे गये थे । कमिशन ने अपनी रिकमेंडेशन किया, लेकिन पता नहीं क्यों बावजूद कमिशन की सिफारिशों के, हालांकि जिन सिद्धांतों को मैं ने पढ़ कर सुनाया उन के अनुसार एक दूसरे के प्रति काफी विश्वास होना चाहिये, उन सिफारिशों को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है । जो ४८७ नाम डिटरमिनेशन आफ सीनियारिटी (वरिष्टता के निर्धारण) के लिये भेजे गये थे वह अपेंडिक्स १३ में १४ नं० पर दिये हुए हैं ।

२८५ आदमियों के बारे में कमिशन ने रिकमेन्डेशन कर के भेजा । उन में से गवर्नमेंट ने केवल ६४ को उन को सीनियारिटी दे दी, लेकिन २२१ को नहीं दी । अब माननीय मंत्री जी स्वयम् विचार करें कि इस गवर्नमेंट के प्रति कमिशन की भावना क्या होगी । जब कमिशन ने आप के कहने पर उन को सीनियारिटी दे दी तो गवर्नमेंट की तरफ से उन को सीनियारिटी देने में क्यों देरी हो रही है ? मेरा खयाल है कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिये । कमिशन ने आखिर में कहा है कि यह खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने कभी उन से डिफर (मतभेद) नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट ने उन की सिफारिश को पूरी भी तो नहीं किया ।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह रिएम्प्लायमेंट (पुनः सेवा में रखना) के बारे में है । गवर्नमेंट से रिएम्प्लायमेंट की चीज भी रक्खी है। इस के सम्बन्ध में मेरी एक खास धारणा है, मैं नहीं चाहता कि रिएम्प्लायमेंट अधिक हो । रिएम्प्लायमेंट अधिक होने के माने यह है कि इस से बहुत से लोगों को निराशा होती है। आज बहुत से लोग आशा लगाये रहते हैं कि वे कुछ समय बाद उन्नति पायेंगे, ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे। यह काम क्रमबद्ध होता है । जिस क्रम से लोग जाते रहते हैं उसी क्रम से वे आगे बढ़ते जाते हैं । लेकिन अगर आदमी रिएम्प्लाय हो जाता है तो फिर आगे बढ़ने की गति रुक जाती है और उस का परिणाम यह होता है कि नीचे काम करने वालों को जो आशा बंधी होती वह खत्म हो जाती है और आगे बढ़ने में उन का विश्वास उठ जाता है । आज हमारी सर्विसेज में चारों तरफ इनएफियशिएंसी (अकार्यक्षमता) है । कार्यक्षमता कम दिखलाई पड़ती है । अगर हम इस को इस चीज में मिला कर विचार करें, और मेरा अनुभव भी है कि जब बहुत से आदमी रिएम्प्लाय किये जाते हैं तो वे अपने मातहतों में ज्यादा क्षमता के साथ वह विश्वास नहीं ला सकते जो उन के प्रति पहले मातहतों में था । और इस प्रकार का खर्च भी होता है और काम भी ठीक से नहीं होता। कमिशन ने रिमार्क किया है कि चूंकि आज टेक्निकल आदमियों की कमी पड़ती है इसलिये यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि पुराने और अनुभवी लोगों को रिएम्प्लाय किया जाय । २५० केसेज (मामले) गवर्नमेंट ने रिएम्प्लायमेंट के लिये कमिशन को रिफर किये (सौंपे)

जिन में से कमिशन ने २२४ केसेज को रिकमेन्ड किया । गवर्नमेंट ने उन में से २१६ आदमियों को रिएम्पलाय किया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुभव के नाम पर २५० केसेज रिफर किये गये । मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अंग्रेज यही कहा करते थे कि भारत के लोग अभी शासन के योग्य नहीं हुए हैं उन को शासन दे देने के माने होंगे भारत में गड़बड़ी । जिस समय भारत का शासन सूत्र हमारे नेताओं के हाथ में आया, मेरी गुस्ताखी माफ हो, उन को शासन करने का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यक्षमता से दिखला दिया कि जहां खून की नदी बही उसी स्थान में भी और दुनिया में भी हिन्दुस्तान का स्थान ऊंचा रहा । काम काम को सिखाता है । काम को सीखने से दूर रहने से कर्तव्यपरायणता कैसे आ सकती है? इसलिये अनुभव के नाम पर किसी को मौका न देना, मेरी समझ में देश के साथ न्याय करना नहीं है । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बिठलाई थी कि ताकि वह देखे कि गवर्नमेंट कहां कहां लोगों की संख्या अधिक बढ़ा रही है और खर्च को बढ़ा रही है । उस की रिपोर्ट देखने को नहीं मिली लेकिन अखबारों में हम ने पढ़ा कि उसने सिफारिश की है कि गवर्नमेंट से कहा जाय कि वह साल दो साल के लिये रिक्रूटमेंट (भर्ती) बन्द कर दे । काफी लोग नौकरी में आ गये हैं, उन के कारण ही देश की सरकार में बहुत भीड़ हो गई है, और अधिक भीड़ न की जाय। उनकी यह सिफारिश है, लेकिन शायद उन्होंने यह खयाल नहीं कि रिक्रूटमेंट रोक देने से हमारे यहां बेकारी कितनी बढ़ेगी, आज हम इस का अनुमान नहीं लगा सकते । अगर उस ने यह सिफारिश की होती कि रिएम्प्लायमेंट और एक्स्टेंशन (सेवा का कार्यकाल बढ़ाना) रोक दिये जायें तो देश का ज्यादा कल्याण होता, ऐसी मेरी धारणा है । मैं समझता हूं कि इस रिएम्प्लायमेंट और एक्स्टेंशन के सारे मसले पर गवर्नमेंट को बहुत ठंडे दिल से ध्यान देना है । अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो मैं नहीं कह सकता कि देश किधर जायेगा । हमारे विनोबा जी, जो कि गांधी जी के प्रतीक स्वरूप कहलाते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि राजनीति में भी अवकाश ग्रहण होना चाहिये । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के मरने पर उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि अवकाश ग्रहण इस में भी होना चाहिये : जीवन के हर क्षेत्र में, हर स्रोत में अवकाश ग्रहण होना चाहिये । लेकिन सरकारी क्षेत्र में अवकाश ग्रहण का नियम होने पर भी अवकाश न दिया जाना मैं समझता हूं कि देश के साथ न्याय नहीं है और मैं इन विचारों को बड़ी दृढ़ता के साथ सदन के सामने खाना चाहता हूं।

दूसरी बात कमिशन ने बड़े मार्के की कही है । गवर्नमेंट की जगहों की सूचनायें कमिशन को भेज दी जाती है कि इतनी जगहें हम भरना चाहते हैं और तुम उसे ऐडवर्टाइज (विज्ञापित) करो।

उनकी सूचना अखबारों में दी जाती है, पोस्ट्स ऐडवरटाइज की जाती है और आवेदन पत्र आते हैं और उन की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, यह सब करने के बाद यह सूचना निकाल दी जाती है कि यह सब पोस्ट्स कैंसिल (रद्द) हो गई और आप स्वयं समझ सकते हैं कि इससे कितने लोगों में कमिशन के प्रति गुस्सा और नाराजगी पैदा होती होगी । ऐसा होने से लोगों में काफी बेचैनी पैदा होती है और मैं समझता हूं कि कमिशन द्वारा ऐसा करना उचित नहीं है । कमिशन की रिपोर्ट के पेज ६

पर यह रिमार्कस है कि आयोग को सरकार द्वारा रद्द किये जाने वाले पदों की सूचना तत्काल देनी चाहिये।

यह जो फीगर्स दी गई हैं उनके अनुसार करीब ३७ पोस्ट्स तो ऐपिंडिक्स ११ में और ७ पोस्ट्स ऐपिंडिक्स १२ में थीं और इस तरह से ४४ पोस्ट्स के लिए इंटरव्यु हुआ, दरख्वास्तें मंगाई गईं और यह सब करने के बाद एक दम से उन पोस्ट्स का भरना रोक दिया गया। अब जनता में इन चीजों को लेकर हमारे प्रति जो एक भ्रम और शक पैदा होता है वह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। लोग कहते हैं कि साहब वहां पर तो बगैर सिफारिश के काम नहीं चलता और लोग तो यह भी कहते हैं कि जगहें जो बनती हैं वे कुछ खास उम्मीदवारों को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं ताकि उनको किसी तरह ऐकौमोडिट किया जा सके। अब मैं नहीं जानता कि आम जनता के यह आक्षेप कहां तक सच हैं ? लेकिन यह मैं अवश्य कहूंगा कि पोस्ट्स ऐडवरटाइज करने के बाद और इंटरव्यु पर लोगों को बुला लेने के बाद फिर यकायक उन पोस्ट्स को कैंसिल कर देना, ठीक नहीं है और उससे लोग इस तरह का शक करने लगते हैं कि मालूम होता है कि उनके आदमी जिनको कि वह ऐकौमोडेट करना चाहते थे वे चूंकि इंटरव्यु में पास नहीं हो सके हैं इसलिए इन पोस्ट्स को नहीं भरा गया। जनता के मन में स्वाभाविक तौर पर भ्रम पैदा होता है कि पोस्ट्स कुछ खास लोगों के वास्ते बनाई जाती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कमिशन की नीति ऐसी रहनी चाहिये जिससे जनता के मन में उनके और सरकार के प्रति अविश्वास न पैदा हो और कोई किसी किस्म की शंका न हो। इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि किसी पोस्ट को ऐडवरटाइज़ करने से पहले खूब अच्छी तरह से देख भाल कर ले कि वाकई इस पोस्ट की ज़रूरत भी है कि नहीं और जब यह जान पड़े कि नहीं यह पोस्ट भरी जानी निहायत आवश्यक है तभी कमिशन उसके लिये अर्जियां मंगाये और लोगों को इंटरव्यु पर बुलाये। ऐडवरटाइज़मेंट्स देने के बाद और उम्मीदवारों का इंटरव्यु ले लेने के बाद पोस्ट्स के कैंसिलेशन से उम्मीदवारों को बहुत ही दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है और मेरी निगाह में तो एक दम से पोस्ट्स को कैंसिल कर देना अक्षम्य काम है और मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहियें कि किसी को भी तकलीफ़ हो, उम्मीदवारों को भी तकलीफ़ हो और उनके घर वालों को भी तकलीफ़ हो, इतना उनका रुपया पैसा खर्च कराया जाय और बाद में पोस्ट्स को कैंसिल कर दिया जाय।

दूसरी बात कमिशन ने बड़ी मार्के की दिखलाई है। अभी हमारे माथुर साहब ने सदन का ध्यान दिलाया था कि अभी तक जो एक पर्सनालिटी टैस्ट (व्यक्तित्व-परीक्षा) था वह निकाल दिया गया है और उसके निकालने के कारण काफ़ी ऐसे व्यक्तियों की भरती हो गई है जो कि अगर पर्सनालिटी टैस्ट होता तो शायद उसमें वे पास न होते। लेकिन यह तो उभय पक्ष की बात है और इसमें दोनों तरफ के लिये कहा जा सकता है। पहले ज़माने में जब पर्सनालिटी टैस्ट था तो वही एक मात्र डिसाइडिंग फैक्टर (निर्णायक चीज) हुआ करता था और ५ मिनट के इंटरव्यु में लोगों को भरती और रिजेक्ट कर दिया जाता था और ऐसा भी होता था कि जो रिटन टैस्ट में पास हो चुके हैं लेकिन अगर वह पर्सनालिटी टैस्ट में नहीं आ सके तो उनको निकाल दिया जाता था। इसलिये मेरी समझ में पर्सनालिटी टैस्ट को ही एक मात्र नौकरी के वास्ते डिसाइडिंग फ़ैक्टर मान लेना अनुचित था और गवर्नमेंट ने यह सही ही किया कि पर्सनालिटी टैस्ट की जो प्रभुता थी उसकी जो विशेषता थी उसको कम किया लेकिन उसको एक दम से बिलकुल निकाल दिया जाना भी अपने स्थान पर सही नहीं होगा

एक माननीय सदस्य : कहां निकाला गया है ? वाईवा वोसी (मौखिक परीक्षा) है तो ।

श्री सिंहासन सिंह : मगर वह डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उसके भी नम्बर जोड़े जाते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : अगर नम्बर जोड़े जाते हों तब तो ठीक बात है लेकिन साथ ही पर्सनालिटी टैस्ट में कुछ सर्टेन नम्बर तक आना जरूरी होना चाहिये ताकि एक उम्मीदवार की पर्सनालिटी भी एकाउन्ट फौर (लेखी जा सके) हो सके ।

डिफेंस सर्विसेज (प्रतिरक्षा सेवाओं) के बारे में इस कमिशन ने एक बात कही है और वह बात सोचने और समझने की है । उन्होंने कहा कि डिफेंस में रिटेन टैस्ट (लिखित परीक्षा) की बिना पर जो भर्ती होजाया करती है और वह जब मिलेटरी के टैस्ट में जाते हैं तो वहां जाकर वे सब के सब फेल हो जाते हैं । पढ़ने-लिखने के इम्तिहान में तो वे आ जाते हैं लेकिन वहां तो दौड़ने, कूदने आदि में इम्तिहान देना होता है और डिफेंस सर्विसेज के सेलेक्शन बोर्ड के टैस्ट में वे पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसमें तो सुगठित शरीर और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है । अब इसकी वजह यह है कि शहरों में रहने वाले बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के जो कि अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाते हैं वे तो इन रिटन टैस्ट्स में पास हो जाते हैं लेकिन चूंकि वे शहरों में रहते हैं और शारीरिक दृष्टि से वे काफ़ी हृष्ट पुष्ट नहीं होते इसलिये वे डिफेंस सर्विसेज़ के उन दौड़ने कूदने आदि सम्बन्धी टैस्ट्स में पास नहीं हो पाते लेकिन चूंकि उन्हीं में से उनको लेना होता है तो इस तरह हमारी मिलेटरी की क्षमता भी कम होती है । यह तो ठीक है कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद से हमने डिफेंस सर्विसेज़ में भरती के वास्ते जो एक विशेष वर्ग के लोग ही उपयुक्त समझे जाते थे लड़ने वाले समझे जाते थे और केवल उसी वर्ग के लोगों को चांस मिलता था उस मोनोपली (एकाधिकार) को तो हमने खत्म कर दिया है और मैं समझता हूं कि यह ठीक ही किया गया और सबको फौज में भरती होने, देश की रक्षा करने और अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिये । लेकिन इस सम्बंध में मेरा एक सुझाव है कि जो इम्तिहान हों वे ऐसे रक्खें ताकि देहात के लड़के भी उनमें बैठ सकें और उनमें पास हो सकें । आज देहात के लड़के बिलकुल वंचित ह जिनको कि वास्तव में मिलेटरी में स्थान मिलना चाहिये क्योंकि शहर के लड़कों के मुकाबले में वे ज्यादा हृष्टपुष्ट होते हैं औरदौड़ने कूदने में उनसे आगे रहते हैं और फिर लड़ाई के मैदान में जो लड़ते हैं वह सिपाही भी वही होते हैं । कमिशन ने कहा है कि स्टैंडर्ड गिर गया है । अब इस स्टैंडर्ड के गिरने का वही कारण है जो कि मैंने आपको अभी बतलाया ।

अभी हमारे माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे यहां पर लोगों का ध्यान आई० ए० एस० की तरफ सब से अधिक रहता है और आई० ए० एस० का ज्यादा चार्म (आकर्षण) रहता है और इन्हीं शब्दों का कमिशन ने भी प्रयोग किया है । अब आखिर इसका कारण क्या है कि जो इन्जीनियर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और डाक्टर्स होते हैं वे भी आई० ए० एस० में जाना चाहते हैं । जिस लाइन में वे विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं अर्थात् डाक्टरी, प्रोफेसरी या इंजीनियरिंग, उनमें न जाकर वे आई० ए० एस० में ही क्यों जाना चाहते हैं, यह एक विचारणीय विषय है । वह इसलिये जाना चाहते हैं कि सरकार की लिस्ट में आई० ए० एस० को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है जैसे कि ब्रिटिश शासन काल में आई० सी० एस० वालों को प्राप्त था और जिन आई० सी० एस० वालों के वास्ते पंडित जी ने अपनी पुस्तक में "स्टीलफ्रेम" शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, वही पुरानी स्थिति आज भी कायम है . . . . . .

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : पंडित जी अब उसको भूल गये हैं।

श्री सिंहासन सिंह : अब जहां तक भूलने की बात है तो वह शायद और भी बहुत सी बातों को भूल गये होंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कि जिस समय हिन्दुस्तान की आजादी की समस्या भारतवर्ष के नेताओं के सामने मौजूद थी और यह तय करना था कि देश का बंटवारा किया जाय अथवा नहीं तो जब लार्ड माउंटबैटेन के साथ नेताओं की भारतवर्ष का बंटवारा करने के लिये सहमति हो गई थी और वे डिवीजन के लिये रजामंद हो गये थे तो इस बंटवारे के सवाल को लेकर गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गया था और गांधी जी यहां से बिहार चले गये थे और रास्ते में उन्होंने स्वर्गीय सरदार पटेल को लिखा था कि इस मामले में मेरा तुम से मतभेद है। अब समय और स्थान में परिवर्तन आने से मतभेद अगर पैदा हो जाय और ख्यालात बदल जायें तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये। यह मुमकिन है कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं भी शायद वही सोचता और मेरा भी वही खयाल होता जो कि आप का है तो स्थान और समय का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है लेकिन बातें अपनी जगह पर उसी तरह कायम है। अब लोगों में आई० ए० एस० के वास्ते इसलिये चार्म है कि आई० ए० एस० वाले हर चीज के लिये योग्य खयाल किये जाते हैं। कमिशन की रिपोर्ट जो निकली है उस में भी यही दिखाया गया है कि आई० ए० एस० वाले हर चीज के लिये योग्य हैं और इसलिये हर एक भले ही वह इंजीनियरिंग पास हो, डाक्टरी की योग्यता रखता हो अथवा प्रोफेसर हो, आई० ए० एस० में जाने का इच्छुक रहता है। अब यूनाइटेड किंगडम आदि में सांइटिस्ट्स, प्रोफेसर्स और डाक्टर्स का उचित मान होता है और उनकी काफी औनर की जाती है और मैं चाहता हूं कि हमें यहां पर भी उसी चीज को लाना होगा और हमें अपने सर्विसेज के दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर हम अपने यहां के प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और सांइटिस्टस आदि की अधिक औनर (सम्मानित) करें तो शायद हमारे यह लोग आई० ए० एस० में जाने के लिये उतने लालायित न होंगे जितने कि आज होते हैं। कमीशन खुद लिखता है कि इसके लिये बहुत दरखास्तें आती हैं। आज तो लोग यह भी कहने लगे हैं कि कहीं से सिफारिश भी भेजो न। पहले हम सुना करते थे कि एक कमीशन है। यह नहीं मालूम होता था कि कौन मेम्बर है। सिफारिश की बात सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। आज तो हालत यह है कि चाहे कामयाबी हो या न हो, दौड़ धूप पहले से शुरू हो जाती है।

गवर्नमेंट ने कई कमेटियां सर्विसेज के रिआरगेनाइजेशन (सेवा पुनर्गठन) के लिये बिठायीं, उनकी रिपोर्टें भी आयीं, लेकिन वे दाखिल दफ्तर हो गयीं उन पर कोई अमल नहीं हुआ। तो मेरा सुझाव है कि सरविसेज का रिआरगेनाइजेशन इस तरह से किया जाये कि उनमें ऐसा चार्म न रहे जैसा कि आजकल है।

श्री ब्रजराज सिंह : गवर्नमेंट को ही दाखिल दफ्तर कर दीजिये।

श्री सिंहासन सिंह : वह तो आप कीजिये। हम तो इस गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं और इसमें जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट होगी तो हमारा खयाल है कि देश खतरे में पड़ जायेगा।

तो मेरा सुझाव है कि सरविसेज को रिआरगेनाइज किया जाये। आपने कई एक्सपर्ट कमेटियां बिठायीं, लेकिन सरविसेज का रिआरगेनाइजेशन नहीं हुआ। आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि सारे लोग एक ही सरविस में न जाना चाहें। तो मेरा सुझाव है कि इस पर सरकार विचार करे।

दूसरा सवाल टेंटेटिव एप्वाइटमेंट्स (अस्थायी नियुक्तियां) का है। इस बारे में खुद कमीशन का सुझाव है और मेरा सरकार से इस बारे में बड़ा मतभेद है कि बगैर कमीशन को रेफरेंस के टेंटेटिव एप्वाइटमेंट्स कर दी जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मिनिस्टर से कह कर हमको नौकरी दिलाओ। हम उनको मना कर देते हैं पर कभी कभी करना भी पड़ता है क्योंकि उधर वोट का डर रहता है। मैं आप से यह बात ईमानदारी से कह रहा हूं। चूंकि आप इस तरह से लोगों को मुकरर करते हैं इसलिये आप पर जोर दिया जाता है। तो यह जो ६९२ टेंटेटिव एप्वाइन्टमेंट्स हुए ये क्यों। कमीशन बना हुआ है। आप को बड़ी आवश्यकता पड़ती है तो आप लोगों को रख लेते हैं फिर उनमें से किसी को ६ महीने बाद, किसी को एक साल बाद किसी को दो साल के बाद कमीशन के सामने कनफरमेशन के लिये भेजते हैं। अब आप जानते हैं कि जो आदमी एप्वांइट हो जाता है और काम कर लेता है उसको अनुभव भी हो जाता है, और उसकी तरफ से लोगों का यह खयाल भी हो जाता है कि इसको क्यों निकाला जाये। इस तरह से योग्य न होने पर भी बहुत से आदमी रख लिये जाते हैं और जो दूसरे योग्य आदमी आ सकते थे वे नहीं आ पाते। तो यह जो टेंटेटिव एप्वाइटमेंट्स के नाम से जो बहुत से आदमी रख लिये जाते हैं यह नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा लोगों को टेम्पोरेरी तौर पर रखने का भी एक बड़ा सवाल है। इस के बारे में मैंने कई बार सवाल भी किया पर जवाब नहीं मिला। बहुत सी सरविसेज़ हैं जिन में लोग दस दस पन्द्रह पन्द्रह बरस से टेम्पोरेरी चल रहे हैं, खासकर रेलवे के इंजिनियरिंग विभाग में। बहुत से उनमें से यह समझते हैं कि टेम्पोरेरी रहते हुए ही वह रिटायर हो जायेंगे। यह बड़े दुःख की बात है। हमको यह निश्चित करना होगा कि टेम्पोरेरी कब तक किसी को रखा जा सकता है। एक बार गवर्नमेंट ने कहा था कि जो आदमी तीन साल तक टेम्पोरेरी रहेगा उसको परमानेंट कर दिया जायेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये बातें क्यों चलती हैं। हम क्यों न अपनी आवश्यकता के अनुसार आदमी रखें और उनको मुस्तकिल रखें। जो आदमी टेम्पोरेरी होता है उसके सिर पर एक तलवार सी लटकती रहती है कि न जाने कब निकाल दिया जाऊं, और इससे उसकी एफीशेंसी कम हो जाती है। जैसे कि जब आप किसी रिटायर्ड आदमी को दुबारा नौकर रखते हैं तो उसको काम की ज्यादा परवाह नहीं होती, अपनी एफीशेंसी बढ़ाने की परवाह नहीं होती क्योंकि वह समझता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे निकाल ही तो देंगे, मैं रिटायर तो हो ही चुका हूं। इसी तरह से टेम्पोरेरी आदमी के मन में खयाल रहता है। वह समझता है कि मैं परमानेंट तो हूं ही नहीं। अगर काम खराब होगा तो मुझे निकाल देंगे। और वह अपनी एफीशेंसी बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां तक हो सके आप टेम्पोरेरी आदमी कम रखें, जहां तक हो सके परमानेंट आदमी रखें ताकि वे ज्यादा अच्छा काम कर सकें। टेम्पोरेरी के मन में यह खयाल रहता है कि मैं आज हूं न जाने कल रखा जाऊंगा या निकाल दिया जाऊंगा।

इन शब्दों के साथ मैं कमीशन की रिपोर्ट की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे सुझावों पर गौर किया जायेगा।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : हमारी सरकारी सेवाओं की कार्यक्षमता का स्तर बहुत ऊंचा रहना चाहिये। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संघ लोक सेवा आयोग की शिकायत है कि उसके सामने आने वाले उम्मीदवारों का स्तर आम तौर पर बहुत नीचा होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सूपकार]

प्रशासन का भी सामान्य मानदण्ड बहुत गिर गया है। इसका मूल कारण यह है कि दश का परिस्थिति तो बिलकुल बदल गई है, सरकारी अधिकारियों का काम तो बिलकुल बदल गया है, लेकिन परीक्षाओं और व्यक्तित्व परीक्षण का अभी भी वही मान-दण्ड चला आ रहा है, जो ब्रिटिश शासन के काल में था। बीस साल पहले के जिलाधीशों के काम कुछ और थे, और आज कुछ और हैं। पहले के जिलाधीशों और प्रशासकीय अधिकारियों के मुख्य काम दो थे--विधि और व्यवस्था बनाये रखना तथा राजस्व वसूल करना।

आज उनका मुख्य काम बन गया है--देश के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करना। आज उन्हें सामाजिक काम अधिक करना पड़ता है।

सरकारी क्षेत्र बनने के कारण, अब हमारे प्रशासकीय अधिकारियों को राष्ट्रीय विकास के सिलसिले में पहले से अधिक दायित्व संभालना पड़ता है।

इसलिये अब भारत सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को प्रशासकीय पदों के लिये किये जाने वाले चुनावों में परीक्षाओं और व्यक्तित्व परीक्षण की प्रणाली भी बदलनी चाहिये। इसी सम्बन्ध में, डा० एपिलबी ने १९५३ में संगठन तथा रीति विभाग और लोक प्रशासन प्रतिष्ठान बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने जोर दिया था कि सरकार के नई विकास योजनाओं के लिये जरूरी है कि लोक प्रशासन में एक नई समझदारी पैदा की जाये।

इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिये।

आयोग के प्रतिवेदन में एक दो बातों का विशेष उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट ११ में उन पदों की सूची दी गई है जिसको विज्ञापन जारी करने के बाद रद्द कर दिया गया था। परिशिष्ट १२ में इन पदों की सूची दी गई है जिनको उम्मीदवारों के इन्टरव्यू के बाद रद्द कर दिया गया था। श्री सिंहासन सिंह ने बताया है कि इससे सरकारी धन का बड़ा अपव्यय होता है। इससे उम्मीदवारों के समय तथा उनकी शक्ति का भी अपव्यय होता है।

मेरा सुझाव है कि यदि सरकार इस तरह कुछ पदों को रद्द करती है, तो उसे उसका स्पष्ट कारण बताना चाहिये। तभी इस अपव्यय को रोका जा सकता है।

फिर परिशिष्ट १४ में इन पदों की सूची दी गई है, जिन्हें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमन के विनियमन ४(ख) के अन्तर्गत स्वयं भर लिया था, लोक नियुक्त कर दिये थे, और बाद में आयोग को उन्हें सौंपा गया था। कुछ पदों के मामले में तो ५ और ६ वर्ष के बाद आयोग को बताया गया था। ऐसे विलम्बों के लिये भी, सभी सरकारी विभाग को सफाई देनी चाहिये। और, प्रतिवेदन के परिशिष्ट में वे कारण भी बताये जाने चाहियें।

†**श्री चे० रा० रामन (कुम्बकोणम्)** : भारत एशिया के उन तीन देशों में है जिन में नियमित शासन चल रहा है तथा इस बात का श्रेय भारतीय सेवाओं को दिया जाना चाहिये जिन की बड़ी स्वस्थ परम्परायें हैं। संविधान में सेवाओं के संबंध में एक पृथक भाग--भाग १४--रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न सेवाओं की नियुक्ति का कार्य लोक सेवा आयोग करता है । आयोग की सदस्यता लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों को ही दी जाती है । इसलिये हमें उन का सम्मान करना चाहिये । वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । एक इस प्रकार का सुझाव दिया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिये । मैं इस का विरोध करता हूं । न्यायाधीशों को आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से उन की निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ेगा । यह हो सकता है कि किसी विशेष नियुक्ति के सम्बन्ध में न्यायाधीशों से परामर्श किया जाय ।

इस के बाद मैं केन्द्रीय विधि सेवा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिस का प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है । इस सेवा की स्थापना उचित है और उस के लिये गृह-कार्य मंत्रालय ने जो प्रयत्न किया हैं उस के लिये वह बधाई का पात्र है । इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों से नवयुवक वकीलों को ले कर उन कीं तालिकायें बनानी चाहियें जो केन्द्रीय मामलों में परामर्श दें ।

उदाहरण के लिये औद्योगिक विनियोजन निगम को ले लीजिये । ऐसे निकायों में अनेक प्रकार के मंत्रणा कार्य होते हैं । ऐसे कार्य के लिये जो नियुक्तियां की जायें वे संरक्षण के आधार पर न की जायें । बहुत से योग्य व्यक्ति पहुंच न होने के कारण कोई जगह नहीं पाते । मैं समझता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय इस पहलू पर विचार करेगा ।

प्रतिवेदन में स्वास्थ्य सेवाओं का निदेश भी है । एक भारतीय चिकित्सा सेवा की स्थापना बहुत आवश्यक है । ऐसी सेवा न होने से यह होता है कि योग्य व्यक्तियों को इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं । यदि एक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्थापित हो जायगी तो वे ज्यादतियां खत्म हो जायेंगी जो आजकल डाक्टरों के साथ की जा रही हैं । मैं एक मामला यहां रखना चाहता हूं । एक डाक्टर नेत्र विशेषज्ञ हैं परन्तु उन्हें दुर्घटना वार्ड में रखा गया है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना पर विचार करेगा ।

जहां तक सेवाओं में नियुक्ति का प्रश्न है इस के सम्बन्ध में कभी कभी बहुत विलम्ब किया जाता है । विशेष भर्ती के सम्बन्ध में बहुत समय लिया गया । अन्त में जिन व्यक्तियों को सफल घोषित किया गया उन में से भी बहुत को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है । प्रबन्ध पुंज के सम्बन्ध में इसी प्रकार का विलम्ब किया जा रहा है । बहुत से व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र दिये हैं जिन में बहुत से व्यापारी तथा विशेषज्ञ भी हैं । आयोग ने इस विलम्ब के लिये कुछ कारण दिये हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उन कारणों का निराकरण किया जा सकता था । विज्ञापन करने के पूर्व नियुक्ति सम्बन्धी समस्त बातों का निर्णय कर लिया जाना चाहिये ताकि बाद में विलम्ब न हो ।

अर्ध-स्थायीकरण के सम्बन्ध में भी बहुत से मामले विचाराधीन हैं । अस्थायी कर्मचारी को थोड़े से नोटिस पर निकाला जा सकता है । परन्तु अर्ध-स्थायी कर्मचारियों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं । किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के पश्चात् अस्थायी नहीं रखा जा सकता । इस के सम्बन्ध में नियम अवश्य हैं परन्तु उन्हें माना नहीं जाता । आयोग ने स्वयं इन मामलों के निर्णय में विलम्ब स्वीकार किया है । इसलिये इस मामले में भी गृह मंत्रालय को विचार करना चाहिये ।

मुझे इस बात की खुशी है कि व्यक्तित्व-परीक्षा (पर्सनैलिटी टैस्ट) खत्म कर दी गई है । बहुत से व्यक्ति योग्य होते हुए भी व्यक्तित्व अच्छा न होने के कारण अयोग्य ठहरा दिये जाते थे । इस के अतिरिक्त व्यक्तित्व परीक्षा का उपयोग दबाव डालने व भेदभाव करने के लिये किया जाता था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य आयोग पर यह आरोप लगा रहे हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : जी, नहीं। मेरा तात्पर्य यह है कि कभी कभी राजनैतिक दबाव डाला जाता है। हाल में मद्रास के एक विख्यात मुसलमान ने यह कहा था कि हमारी जाति की उपेक्षा की जा रही है। यह बात 'दि हिन्दू' पत्र में छपी है। मेरा तात्पर्य इस प्रकार के प्रचार से है। मैं आयोग पर वैसा आरोप नहीं लगा रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस स्पष्टीकरण से कोई लाभ नहीं, माननीय सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये तथा इस आरोप को वापस लेना चाहिये।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं ऐसा करने को तैयार हूं। परन्तु वास्तव में मेरा तात्पर्य था कि आयोग पर दबाव डालने का प्रयत्न किया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आयोग उस से प्रभावित हो जाता है। इसलिये यह अच्छा हुआ कि व्यक्तित्व परीक्षा अब हटा दी गई है।

इस के बाद मैं पेंशन के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पेंशन के बहुत से मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं जिन में निवृत्त कर्मचारियों को बहुत समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। वे लोग बिना आय के कैसे जीवित रहेंगे ? मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि लोक सेवा आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें आयोग के सदस्यों की निष्ठा में सन्देह नहीं करना चाहिये।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद-बिहार)**: मेरा निवेदन है कि आयोग के प्रतिवेदन में कुछ अधिक ब्यौरा दिया जाना चाहिये ताकि हमें यह मालूम हो सके कि उस का कार्य किस प्रकार चलता है। जिस प्रकार का प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है उस से आयोग के कार्य-संचालन पर समुचित प्रकाश नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिये मौखिक परीक्षा को ले लीजिये। हम देखते हैं कि लिखित परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने वालों को उस में १० प्रतिशत अंक ही मिले हैं। ऐसा क्यों है इस का कोई स्पष्टीकरण उस में नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उस में यह बताया जाय कि आयोग किस कसौटी पर अभ्यर्थियों की परीक्षा करता है। इस से अभ्यर्थियों को भी लाभ होगा और आयोग के कार्य संचालन सम्बन्धी सन्देह भी दूर हो जायेंगे। न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है अपितु यह भी आवश्यक है कि लोगों को उस का आभास भी हो। विश्वविद्यालय सिंडिकेट का सदस्य होने के नाते मैं जानता हूं कि विश्वविद्यालय के कार्यालय से अभ्यर्थियों की योग्यता का जो क्रम निर्धारित किया जाता है वह आयोग में व्यक्तिगत इन्टरव्यू के पश्चात् उलट पलट जाता है। यही कारण है कि हम यह सोचने लगते हैं कि आयोग की योग्यता की कसौटी क्या है ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आयोग को इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि उस की ईमानदारी में संदेह न किया जा सके और हम न्यायाधीशों की तरह ही उन का आदर करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: हमें आयोग की ईमानदारी में सन्देह नहीं करना चाहिये वरन् उस की कार्य-प्रक्रिया की ही आलोचना करनी चाहिये और यदि उस में कुछ दोष हों तो उन का संकेत करना चाहिये।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**: मैं आयोग की ईमानदारी में सन्देह नहीं करता वरन् इस बात के लिये उत्सुक हूं कि उसे वैसा समझा जाये। इसीलिये मैं यह सुझाव रख रहा हूं कि जब वह कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तो उस में उस कसौटी का ब्यौरा दिया जाय जिस के आधार पर वे प्रवरण करते हैं ताकि हमें सन्देह करने का अवसर न मिले ।

जहां तक व्यक्तित्व-परीक्षा का सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि यह उपबन्ध हटा दिया गया है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस परिवर्तन के इन सेवाओं में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों पर प्रभाव का अध्ययन किया जायगा । मैं जानना चाहता हूं क्या इस प्रभाव को जानने के लिये आयोग ने अपना कोई अभिकरण नियुक्त किया है अथवा सरकार पर निर्भर रहेगा ?

गत वर्ष आयोग के प्रतिवेदन पर बहस के दौरान बहुत से माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि समस्त देश के लिये एक ही लोक सेवा आयोग होना चाहिये और राज्य के आयोग उस की शाखाओं के रूप में होने चाहियें । यह संविधान के अन्तर्गत संभव नहीं है । परन्तु आयोग ने राज्य के आयोगों के सभापतियों का एक सम्मेलन आयोजित किया है जिस में सामान्य समस्याओं पर विचार किया जायगा । मैं इस कदम का स्वागत करता हूं । गत वर्ष राज्यों के आयोगों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शिकायतें की गई थीं । यदि इस प्रकार का सम्मेलन आगे भी आयोजित होता रहा तो एक सामान्य प्रक्रिया का विकास होगा और इस प्रकार की शिकायतें दूर हो जायेंगी ।

जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है पता नहीं क्यों उन की नियुक्तियों को आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा गया है । मेरा विचार है कि सरकारी उपक्रमों में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवायें उतनी सुरक्षित नहीं हैं जितनी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की हैं । बड़े-बड़े अधिकारियों को भी इन उपक्रमों के प्रबन्ध संचालक नौकरी से निकाल सकते हैं । मेरा निवेदन है कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को वही सुविधायें दी जानी चाहिये जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । गत वर्ष भी यह प्रश्न उठाया गया था । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस का उत्तर दें ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिस का निर्देश अन्य सदस्य भी कर चुके हैं । यह बड़ी विचित्र चीज है कि कोई पद पहले तो विज्ञापित किया जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है और फिर सरकार उस नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय करती है । इस में व्यय व्यर्थ जाता है । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

जहां तक अस्थायी नियुक्तियों का संबंध है, जिन का निर्देश आयोग को बाद में किया जाता है, प्रतिवेदन में कहा गया है कि बहुत से मामलों में इस प्रकार का निर्देश निश्चित समय में नहीं किया गया । इस विलम्ब के कारण उन लोगों का अनुभव काल बढ़ता जाता है और नये अभ्यर्थियों के मुकाबले में उन्हें अग्रिमता मिल जाती है । यह अनुचित है । आयोग ने गत वर्ष भी इस का निर्देश किया था और इस वर्ष भी किया है । पता नहीं सरकार इस को बन्द करने का रास्ता क्यों नहीं निकालती । ऐसे व्यक्तियों का पलड़ा इसलिये भी भारी हो जाता है कि आयोग में एक-दो विभागीय अधिकारी भी विशेषज्ञ के रूप में बैठते हैं तथा वे उन्हीं की सिफारिश करते हैं क्योंकि वे अनुभव प्राप्त होते हैं । मेरा निवेदन है कि इस चीज को रोका जाना चाहिये ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : लोक सेवा आयोग की स्थापना इसलिये की गई थी कि प्रशासकीय विभाग अपनी मनमानी व पक्षपात न कर सकें । मूलतः उसका कार्य कुछ उच्च पदों के लिये नियुक्तियां करना था । परन्तु विभिन्न योजनाओं तथा सरकारी उपक्रमों के प्रारम्भ किये जाने से आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है । इसलिये यह आवश्यक है कि भर्ती के लिये कोई तेज प्रक्रिया अपनाई जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है पर आयोग के कर्मचारियों की संख्या में उसके अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि न करने से भर्ती के कार्य में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया जाना भी आवश्यक है क्योंकि आयोग के माध्यम से भर्ती करने में लगभग एक वर्ष लग जाता है। अस्थायी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि का कारण यही है।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों के ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों पर अधिक जोर दिया जाता है इसलिये विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ पाता। इसलिये शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों के वेतन क्रम भी इतने आकर्षक नहीं हैं कि योग्य व्यक्ति उधर आकृष्ट हों। एक तो हमारे देश में योग्य व्यक्तियों की वैसी ही कमी है। फिर जो थोड़े से योग्य व्यक्ति हैं भी वे गैर-सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं क्योंकि उनमें वेतन अधिक होता है। इसलिये अच्छे व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिये सरकार को वेतन क्रमों में वृद्धि करनी चाहिये।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि असैनिक तथा प्रशासकीय पदों के लिये तो बहुत अभ्यर्थी उपलब्ध हैं परन्तु प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए अभ्यर्थी कम मिलते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिये कि इस प्रवृत्ति का क्या कारण है।

जहां तक आयोग तथा सरकार के बीच सहयोग का प्रश्न है संघ आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के बीच तो सहयोग है परन्तु राज्य के आयोगों और सरकारों के बीच इस प्रकार के सहयोग का अभाव है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने राज्य की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि अधिकाधिक पदों को आयोग के पर्यालोकन के बाहर ले जाया जा रहा है। इससे सेवाओं में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति को रोका जाय और आयोग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय ताकि भर्ती की गति बढ़ सके।

श्री ब्रज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, देश में नौकरियों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ़ इस लिहाज़ से कि उससे बहुत से लोगों को अपनी जीविका अर्जित करने का अवसर मिलता है, बल्कि इस लिहाज़ से भी कि उस से देश की सेवा एक ढंग से करने का भी अवसर मिलता है। इसलिये जब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो, तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्य-क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है हमें यह भी बताया गया है कि कुछ इस तरह की नौकरियां थीं, जिन के लिये विज्ञापन देने के बाद भी उम्मीदवार नहीं मिल सके। इस रिपोर्ट के एपेंडिक्स ९ में उन नौकरियों की लिस्ट दी गई है, जिनका ज़िक्र पैराग्राफ १२ में किया गया है कि उनके लिये विज्ञापन दिया गया, लेकिन फिर भी उम्मीदवार नहीं मिल सके और इसलिये पर्सनल कन्टेक्ट कैंडीडेट्स के नाम से कुछ कैंडीडेट्स छांटे गये अगर इन पर्सनल कन्टेक्ट कैंडीडेट्स में कुछ ऐसे लोग रहे होते, जो टैक्निकल किस्म के लोग हों, तो मैं सोचता कि हो सकता है कि इन पदों के लिये विज्ञापन से भी लोग नहीं आए, और उन्होंने परीक्षायें नहीं दीं, इम्तिहान नहीं दिये। इस रिपोर्ट के पेज ३६ पर परसनल कांटैक्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है और उसमें ९५ नम्बर पर दो कापीराइटर्स, मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग (सूचना तथा प्रसारण) को

जिनका ग्रेड ३५०—६२० है, परसनल कांटैक्ट कैंडिडेट्स के तौर पर भरती किया गया। मैं गृह मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कापीराइटर भी कोई टैक्नीकल लोग होते हैं और उनके लिये विज्ञापन देने के बावजूद भी लोग मिल नहीं सकते हैं ? इस तरह से नम्बर १०९ पर कम्पाइल (गेजेटीयर्स), मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन का जिक्र है, जिस पद का ग्रेड ६००—११५० है और इनके बारे में भी कहा गया है कि ये मिल नहीं सके हैं। ११० नम्बर पर दो रिसर्च आफिसर्स, प्लानिंग कमीशन का जिक्र है जिस पद का ग्रेड ३५०—८५० है और उनके बारे में भी यही कहा गया है। इसके बाद १११ नम्बर पर एक पद के लिये जो कि सीनियर रिसर्च आफिसर, प्लानिंग कमीशन का था और जिसका ग्रेड ६००—११५० है, कोई नहीं मिल सका है। इसी तरह से ११७ नम्बर पर डिप्टी डायरैक्टर आफ एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी, मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग का जिक्र है जिसका ग्रेड १०००—१३०० है और कहा गया है कि इसको भी परसनल कांटैक्ट कैंडिडेट के तौर से भरा गया है। १२५ नम्बर पर डिप्टी डायरैक्टर (सर्वे आफ लेबर कंडिशन्स) आफिस आफ डायरैक्टर लेबर ब्यूरो, शिमला, मिनिस्ट्री आफ लेबर एण्ड एम्पलायमेंट के पद का जिक्र है जिसका ग्रेड ८००—११५० है और यह पद भी इरसी तरह से भरा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि जब ये टैक्नीकल पोस्ट्स नहीं हैं, तो क्या वजह थी कि इनके लिए विज्ञापन दिये जाने के बाद भी लोग नहीं मिल सके। मैं जानना चाहता हूं कि विज्ञापन देने का तरीका क्या अखत्यार किया जाता है और किस तरह से विज्ञापन दिये जाते हैं? एक तरफ तो हमारे मुल्क में बहुत अधिक बेकारी है, लाखों लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या कारण है कि इन नान-टैक्नीकल पोस्ट्स के लिये आदमी विज्ञापन देने के बावजूद भी नहीं मिल सके, कापी-राइटर नहीं मिल सके। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि गृह मन्त्रालय इस ओर ध्यान देगा और पब्लिक सर्विस कमीशन भी भविष्य में यह कोशिश करेगी कि परसनल कांटैक्ट कैंडिडेट्स वाली जो चीज है वह कम से कम हो और यह कोशिश की जाए कि जो विज्ञापन दिया जाता है, अगर उससे लोग नहीं आते हैं तो किसी दूसरे तरीके से भी विज्ञापन दिया जाए।

अब जहां तक विज्ञापनों का ताल्लुक है, उनको भी एक अजीब स्थिति है। अंग्रेजी के मुख्य मुख्य अखबारों में ही विज्ञापन दिये जाते हैं और जिसे अभी तक दुर्भाग्य से लैंगुएज प्रेस कहा जाता है और जिसे वाकई में राष्ट्र भाषा प्रेस कहा जाना चाहिये, चाहे वह तमिल की हो, बंगला की हो, गुजराती की हो, मराठी की हो, हिन्दी की हो, इन सभी भाषाओं के जो अखबार हैं, इनमें आम तौर से एक विज्ञापन भी नहीं दिया जाता है। इसलिये जिन लोगों को अंग्रेजी के अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है या किसी वजह से किसी दिन पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी निगाह से वह चीज गुजर जाती है, उनकी नजर में वह चीज आती नहीं है तो इसका नतीजा यह होता है कि वे एप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर परसनल कांटैक्ट कैंडिडेट्स के तौर पर इन लोगों को भरती कर लिया जाता है। मैं समझता हूं कि जो विज्ञापन इन जैसे पदों के बारे में दिये जाते हैं, वे सभी अखबारों में दिये जाने चाहियें, उन सभी भाषाओं के अखबारों में दिये जाने चाहियें, जो कि हमारे देश में निकलते हैं।

एक और प्रवृत्ति हमारे देश में चल पड़ी है कि केवल मैरिट के आधार पर ही लोगों को भरती किया जाए। इसका नतीजा यह है कि जैसा रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ १६ शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ही आल-इंडिया सर्विस में आ सके हैं और जहां तक ट्राइबल जातियों का सम्बन्ध है, केवल दो व्यक्ति ही आ सके हैं और जो कोटा उनका था, वह पूरा नहीं हो सका। हमने अपनी कांस्टीट्यूशन में व्यवस्था कर रखी है कि बैकवर्ड क्लासिस के लोगों के लिये खास रियायतें की जायेंगी और उनके लिये कोटा रिजर्व किया गया है और ऐसी व्यवस्था होते हुए भी अगर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे कि इन जातियों के लोग नौकरी में अधिक संख्या में आ सकें, तो फिर मैरिट वाली बात जो है वह तो उन्हीं लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाती रहेगी जो कि ऊंची शिक्षा पाये हुये हैं या जिन की आर्थिक स्थिति हमेशा से ही अच्छी रही है और उसकी वजह से अच्छा पढ़ लिख गये हैं और उन्हीं को हमेशा

[श्री ब्रजराज सिंह]

उच्च पद का मौका मिलता रहेगा और इन पदों पर हमेशा वही लोग बने रहेंगे । इस तरह से समाज में जो ना बराबरी का दर्जा है वह हमेशा कायम रहेगा । भरती के बारे में जो यह केवल मैरिट का तरीका अपनाया गया है मैं चाहता हूं कि इस पर फिर से गम्भीरता के साथ विचार किया जाए । मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय तथा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सोचें कि क्या यह मुनासिब होगा कि आज की स्थिति में जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा शिक्षा पाये हुए नहीं हैं और जो कि मैरिट में नहीं आ सकते हैं, कम्पीटीशन में नहीं आ सकते हैं, हमेशा ही उनको नौकरी से वंचित रखें, इन पदों से वंचित रखें ? जिस प्रकार की व्यवस्था हम आगे करने जा रहे हैं, समाज की जिस प्रकार की रचना हम करने जा रहे हैं. उसमें यह आधार तय करना होगा कि सब तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके ।

मुझे खुशी है कि परसनैलिटी टैस्ट (व्यक्तित्व की परीक्षा) को छोड़ दिया गया है । यह एक प्रतिक्रियावादी चीज थी । इस को भूतकाल में इसलिये लागू किया गया था कि अंग्रेज यह देखना चाहते थे कि कोई किस तरह से टाई बांधता है, अंग्रेजी बोलने का उस का लहजा कैसा है, चलने फिरने का ढंग क्या है, किस तरह से बाल बनाता है और जो उन की कसौटी पर पूरा उतरता था उसी को लिया जाता था । लेकिन आज के जमाने में ये चीजें जरूरी नहीं रह गई हैं और यह भी जरूरी नहीं है कि देखा जाय कि कोई किस तरह से कुरता पहनता है या धोती पहनता है । नौकरी में उस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है । हो सकता है कि कहीं ब्याह शादी की बात हो तो फक आये । लेकिन नौकरी में फर्क नहीं पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि इस परसैनिलिटी टैस्ट को हमेशा के लिये छोड़ दिया जाय और उस पर चिन्ताकरने की कोई आवश्यकता नहीं है । आज अगर इस ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता भी है या किन्हीं पदों के बारे में दिया जाता भी है, तो उस को भी छोड़ दिया जाना चाहिये ।

भारत सरकार द्वारा घोषित कुछ दूसरी नौकरियां भी हैं जिन के लिये कमिशन प्रत्यक्ष रूप से तो भरती नहीं करती है या प्रोमोशन नहीं देती है लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मैम्बर उस बोर्ड के चैयरमैन होते हैं जिसके कि ज्वाइंट सैक्रेटरी इत्यादि मैम्बर होते हैं जोकि मिनिस्ट्रीज से लिये जाते हैं और उन सब का एक बोर्ड बनता है और यह बोर्ड लोगों को ग्रेड ३ से ग्रेड २ में प्रोमोशन देने के लिये, एक पैनल तैयार करता है । इस बोर्ड के बारे जब कभी भी सवाल किये गये तो गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि हम ने कोई नियम निर्धारित नहीं किये हैं और कमिशन अपनी तरफ से ही कैंडीडेट्स की सूटेबिलिटी तैय करती है और उस के मुताबिक भरती करती है । लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को पत्र लिखे गये तो उन में कहा गया कि हम ने कुछ नियम निर्धारित किये हुए हैं और वे ये हैं कि ५० फी सदी को सीनियारिटी के आधार पर ग्रेड ३ से ग्रेड २ में लाया जायेगा और बाकी ५० फीसदी को एग्जामिनेशन के आधार पर लिया जायेगा, मेरिट के आधार पर लिया जायेगा और इस तरह से रेग्युलर टैम्पोरेरी इस्टैबिलिशमेंट बनाई जायेगी । यह इस्टेबलिशमेंट उन की होगी जो ५० फीसदी तो एग्जेमिनेशंस के आधार पर आयेंगे और बाकी ५० फी सदी सीनियारिटी के आधार पर । इस से काफी असन्तोष चल रहा है । १३७ आफिसर्स की अभी हाल ही में २८ फरवरी, १९५९ को एक लिस्ट प्रकाशित की गई है जिन को कि १ मई १९५८ से ग्रेड ३ से ग्रेड २ में नियुक्त किया गया है, सैक्शन आफिसर्स नियुक्त किया गया है, प्रोमोशन दी गई है । इन में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन को जिस वक्त प्रमोशन मिली ग्रेड ३ से ग्रेड २ में तो उन की सर्विस केवल १० महीने, बीस महीने था दो साल ही की थी । अब इस रेग्युलर टैम्पोरेरी एस्टैबशिलमेंट का जो पूल बना हुआ है, उस में ५० फीसदी सीनियरटी के आधार पर लिये जाने थे और बाकी ५० फीसदी परीक्षा तथा मैरिट के आधार पर लेकिन केवल चार आफिसर्स ही सीनियरिटी के आधार पर लिये गये और एग्जामिनेशन के आधार पर, मेरिट के आधार पर लिये जाने वालों की संख्या १३३ है । इन १३३ आदमियों में से कुछ तो १६० रुपया तनख्वाह ही पा रहे थे, असिस्टेंट ही थे और अब फौरन ही

उन की पे ३२५ हो गई है, दस महीने के अन्दर ही। ये लोग एक साल के अन्दर ५३० के ग्रेड में आ जायेंगे। अगर कोई एक्सपशनली योग्य व्यक्ति है, तो आप उस को दूसरे तरीके से भरती कर सकते हैं। लेकिन यहां नौकरियां मौजूद थीं, और व्यक्ति भी मौजूद थे और आप उन को ग्रेड ३ से ग्रेड २ में लाना चाहते थे। कितने ही आदमी इस तरह के थे जिन को कि आप ने रेग्युलर टैम्पोरेरी एस्टेबशिलमेंट में रखा हुआ था और आपने कहा हुआ था कि जितनी भी नियुक्तियां होंगी, उन से ५० परसेंट सीनियारिटी के आधार पर होंगी और ५० परसेंट परीक्षाओं के आधार पर, मेरिट के आधार पर होंगी। तो उचित तो यह था कि दोनों में से बराबर लिये जाते लेकिन बराबर नहीं लिये जाते। लोग यह जानना चाहते हैं कि यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन सूटेबिलिटी अर्थात् योग्यता को किस तरह से जांचेगा। उस के सम्बन्ध में उन्होंने कोई स्कीम बनाई है? कोई नियम आदि बनाये गये हैं? अगर कोई नियम आदि हैं तो मैं चाहूंगा कि उन को ठीक से प्रकाशित किया जाय ताकि लोगों को यह मालूम हो सके कि उन नियुक्तियों के वास्ते क्या अवश्यकतायें हैं और उन को किस चीज के लिये तैयार होना है; अगर कोई नियम नहीं हैं और सूटेबिलिटी सिर्फ दिमाग में ही रहती है तो इस से लोगों के अन्दर असन्तोष हो सकता है। जो आदमी आज किसी के नीचे काम कर रहा है और १६०रु० तनख्वाह पा रहा है, उस को एक दम से ३५० रु० दे दिया जाय और साल दो साल में उसे ५३० रु० पर कर दिया जाय यह कहां तक उचित है। अभी २८ फरवरी, १९५९ को सूची प्रकाशित हुई है जिस में १३३ आदमी मेरिट्स के आधार पर लिये गये हैं ग्रेड ३ से ग्रेड २ में। उन की तनख्वाह नई ग्रेड में १-५-५८ से दी गई जब कि सूची प्रकाशित की गई २८ फरवरी, १९५९ को। इस में हर एक अफसर को एक एक हजार रुपये एरियर्स के मिले हैं जब कि वे उस स्थिति में काम नहीं कर रहे थे। इस के ऊपर गवर्नमेंट ३ लाख रु० खर्च करने जा रही है। यह कहा जा सकता है कि जब कि सरकार का ८०० करोड़ का बजट है तो उस में ३ लाख रु० कुछ ज्यादा नहीं हैं। मैं मानता हूं कि ३ लाख रु० ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जब चपरासियों की तनख्वाह ५ रु० बढ़ाने की बात कही जाती है तो उसे न दे कर कह दिया जाता है कि सरकार के पास रुपया नहीं है। आज जिन को हक नहीं है उन को देने के लिये ३ लाख रु० खर्च कर दिया जाता है लेकिन जो हकदार हैं, जिन को जरूरत है उन के लिये कुछ नहीं किया जाता। आप ३ लाख रु० की बात कहते हैं, लेकिन आप १० लाख रु० खर्च कर दीजिये, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नाजायज तरीके से यह सब न किया जाय। मैं चाहूंगा कि स में निष्पक्ष रूप से जांच की जाये। जो आर० टी० ई० से १३३ अफसर ग्रेड ३ से ग्रेड २ में लिये गये हैं उन की पूरी जांच फिर से की जाय।

पब्लिक सर्विस कमिशन के आदमियों में से सिर्फ चेयरमैन बैठता है। एक उस में गवर्नमेंट आफ इंडिया का ज्वाइंट सैक्रेटरी बैठता है। यह बड़ी अजीब स्थिति है। सरकार कहती है कि पबलिक सर्विस कमिशन जो सिफारिशें करता है हम उसी के आधार पर भर्ती करते हैं। पबलिक सर्विस कमिशन का तो एक ही आदमी होता है बाकी लोग गवर्नमेंट आफ इंडिया के होते हैं। नतीजा यह होता है कि जिन को गवर्नमेंट आफ इंडिया के लोग चाहते हैं उन को प्रोमोशन मिल जाता है, जिन की एक एक साल के अन्दर ३०० या ४०० रु० तनख्वाह बढ़ जाती है। मैं तो यह कहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के ज्वाइंट सैक्रेटरी वहां पर क्यों बैठे? गवर्नमेंट आफ इंडिया में एक चीज ओ० ऐंड एम० डिवीजन कही जाती है। इस ओ० ऐंड एम० डिवीजन का स्तर इतना गिर गया है कि सैंट्रल सेक्रेटेरियट में उस का नाम हो गया है ओइल एड मैसार्जिंग डिवीजन। जो तेल लगा सकता है, मालिश कर सकता है उस को प्रोमोशन मिल जायेगा। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अगर ओ० ऐंड एम० को लोग ओइल ऐंड मैसार्जिंग कहने लगें तो कोई अच्छी बात नहीं है। भले ही इस बात में पबलिक सर्विस कमिशन का हाथ न हो, लेकिन इस तरह से उस की बदनामी हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि न्याय वह नहीं है जो कि किया जाता है, न्याय वह होता है

[श्री ब्रजराज सिंह]

जो जनता को मालूम हो कि न्याय हो रहा है। जब तक जनता के दिल में विश्वास न हो कि न्याय किया जा रहा है तब तक उसे न्याय नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो सैलेक्शन किया जाता है कुछ ओहदों पर, या सैंट्रल सर्विसेज में प्रोमोशन दिया जाता है, उस के लिये इस बात का ध्यान रक्खा जाये कि पूरे का पूरा सैलेक्शन जो हो वह पबलिक सर्विस कमिशन की तरफ से हो, उस में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के मातहत लोग हैं उन का कोई हाथ नहीं होना चाहिये, और अगर उन का हाथ रहता है तो लोगों में यह शंका बनी रहेगी जिस का मैं ने जिक्र किया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस की जांच जरूर की जाये कि किस तरह से १३३ अफसर, जो कि दो साल के अन्दर १६० रुपये मासिक पर भरती हुए थे और दो साल के अन्दर ५३० रु० पर पहुंच जायेंगे भर्ती किये गये। तो इस की जांच हो और अगर कोई अन्याय हुआ है तो उस को ठीक किया जाय, लेकिन चूंकि इस में पबलिक सर्विस कमिशन के आदमी रहते हैं और उन की बदनामी होने का डर है इस लिये मैं चाहूंगा कि भविष्य में अगर प्रोमोशन देने की कोई जरूरत पड़े तो वह पबलिक सर्विस कमिशन के जरिये किया जाय, और तरीके से नहीं।

एक बात और भी कहना चाहता हूं। जहां तक पबलिक सर्विस कमिशन के मेम्बरों की नियुक्ति का सवाल है, उस में ऐसे लोग होने चाहियें जिन की तिष्ठा देश में उसी प्रकार की हो जैसे कि सुप्रीम कोट या हाई कोर्ट के जजों की होती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम को पबलिक सर्विस कमिशन को भी उसी प्रतिष्ठा पर रखना चाहिये जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस् के बारे में आम तौर से देश में यह भावना है कि वहां जाने से हम को न्याय मिलेगा, यह दूसरी बात है कि गरीबी की वजह से हम वहां जा न सके। पबलिक सर्विस कमिशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की भावना नहीं है। अब भी लोगों में यह भावना है कि वहां सिफारिश से सब कुछ हो सकता है। अब भी लोग सोचते हैं कि वहां पर और आधारों पर भी लोगों की नियुक्तियां हो सकती हैं और प्रोमोशन हो सकते हैं। भले ही यह न होता हो, लेकिन अगर यह भावना लोगों में रहती है तो यह हमारे जनतन्त्र के लिये घातक भावना है। इस लिये मैं कहूंगा कि पबलिक सर्विस कमिशन में जिन लोगों की नियुक्ति हो उन का व्यक्तित्व इतना ऊंचा होना चाहिये कि उन के बारे में कभी कोई शक होने का सवाल ही न आये। कुछ लोग अगर डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर रहे हों और उन से लाठी चाज करने के लिये कहा जाये तो वे यह काम अच्छा कर सकते हैं लेकिन अगर उन से कह दिया जाय कि वे ठीक तरह के उम्मीदवारों को छांटने का काम करें तो मैं बहुत विनम्र शब्दों में इस में अपना शक जाहिर करना चाहता हूं कि वे इस काम को कर सकेंगे। इस पबलिक सर्विस कमिशन में आप ऐसे लोगों को नियुक्त करें जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों। इस से लोगों में उस के प्रति विश्वास पैदा होगा। अगर कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद हो तो उस के होने से विश्वास पैदा होगा। अगर प्रशासनिक सेवा के लोग वहां ज्यादा जायेंगे तो वह ठीक नहीं है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि वहां बड़े बड़े शिक्षाविद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने वाले लोग या इस तरह के जज जिन के बारे में सारे मुल्क के लोगों के दिल में प्रतिष्ठा हो, भेजे जायें।

अन्त में मैं अपने पहले प्वाइंट पर फिर जोर देना चाहूंगा कि सिर्फ मैरिट्स के आधार पर नियुक्तियां ठीक नहीं हो सकतीं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में जो विधान तैयार किया है उस के अनुसार नियुक्तियां सही तौर से प्रशासनिक सेवाओं में होती हैं या नहीं। अगर नहीं होती हैं तो इस से जनता के दिल में असन्तोष पैदा होता रहेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : लोकतन्त्रात्मक देश में प्रशासकीय सेवाओं का महत्व सब को विदित है। और इसी कारण संविधान में सेवाओं की पूर्ति के लिये विशेष व्यवस्था की गयी

†मूल अंग्रेजी में

है। अतः सेवाओं के लिये योग्य व्यक्ति चुने जाने चाहियें। उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और ठीक जगह उन की नियुक्ति होनी चाहये। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रशासकों का चुनाव एक निष्पक्ष निकाय द्वारा किया जाता है।

परन्तु कई बार यह बात सुनने में आई है कि हमारे देश में कर्मचारियों की भर्ती ठीक ढ़ंग से नहीं की जा रही है। इस बात की जांच हमारे अपने विशेषज्ञों के अलावा विदेशी विशेषज्ञों ने भी की है वास्तव में जब शासन का स्वरूप ही बदल गया है, भर्ती के तरीकों में तदनुसार वांछनीय परिवर्तन होना चाहिये।

यद्यपि केन्द्र तथा राज्यों में लोक सेवा आयोग बनाये गये हैं परन्तु परीक्षायें लेने के उन के ढंग पुराने ही हैं। हाल ही में अखिल भारतीय औद्योगिक सेवा का गठन भी हुआ है और औद्योगिक सेवा आयोग बनाने की बात भी चल रही है। तदपि परीक्षा की प्रणाली सन्तोषप्रद नहीं है।

अब संघ लोक सेवा आयोग में व्यक्तित्व के मूल्यांकन में न्यूनतम अंक लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है। सुना गया है कि अभी आयोग इस के परिणामों पर पूरा ध्यान कर रहा है उन्हों ने प्रतिवेदन में लिखा भी है कि जिन लोगों ने व्यक्तित्व की परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की उन का काम देखा जाये। परन्तु आयोग को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि इस काम का निरीक्षण संगठन तथा प्रणाली विभाग करता है।

इस सम्बन्ध में श्री गोरवाला वे पहले एक सुझाव दिया था। पता नहीं सरकार ने उस पर विचार किया या नहीं। १५ मिनट की भेंट से एक युवक की योग्यताओं का ज्ञान नहीं हो सकता। हमें तो यह देखना चाहिये कि क्या युवक लोकतन्त्रात्मक प्रणाली की मान्यता को समझ कर सेवा करने के लिये पूर्णतः विकसित चित्त हो चुका है या नहीं। अतः एक उम्मीदवार के मानसिक स्तर का निर्धारण करने के लिये आयोग को उस का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी लेना चाहिये। यह बात अत्यावश्यक है। हो सकता है कि एक व्यक्ति योग्य तो हो परन्तु संसद् द्वारा निर्धारित नीति में आस्था न रखता हो। तो उसका परिणाम क्या होगा। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो संविधान के निदेशक तत्वों में आस्था रखते हों और देश सेवा की आग जिन के हृदयों में धधक रही हो।

संघ लोक सेवा आयोग ने राज्यों के आयोगों के सभापतियों को यहां बुलाया था और उन का सम्मेलन भी हुआ था। परन्तु हमें यह पता भी लगना चाहिये कि उन्हों ने क्या निर्णय किया ? ऐसे सम्मेलन बड़े लाभदायक होते हैं परन्तु उसकी कार्यवाही से भी हमें अवगत किया जाना चाहिए।

आयोग का कहना है कि भारत में शिक्षा का सामान्य स्तर गिरता जा रहा है। यह ठीक है। मैं समझता हूं कि इस के सुधार के लिये यह आवश्यक है कि जिस प्रकार आयोगों के सभापतियों का सम्मेलन हुआ था, उसी प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चाहिये कि वह देश के समस्त विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन बुलाया करें और वहां शिक्षा स्तर में सुधार करने की कार्यवाही के तरीकों के बारे में निर्णय किया जाये। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश की शिक्षा का स्तर इस प्रकार से नीचे गिरता जाये।

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि सरकार और आयोग के परस्पर सम्बन्ध अच्छे रहे हैं इस कारण हमें प्रसन्नता है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि ऐसी निकायों के कर्मचारियों की नियुक्तियां भी आयोग को ही करनी चाहियें जिन में सरकार के हिस्से ज्यादा हों। मैं उन के इस सुझाव का समर्थन करता हूं। अधिक नहीं तो आयोग की निगरानी इस पर अवश्य रहनी चाहिये।

[श्री श्रीनारायण दास]

कई बार कुछ पदों के लिये विज्ञापित वेतन पर उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिलते तो ऐसे मामलों में आयोग सरकार से वेतन बढ़ाने के लिये कहता है। सरकार को भी आयोग की ऐसी सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए ऐसे पदों का वेतन स्तर बढ़ा देना चाहिये ताकि केवल योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति ही पदों पर भर्ती किये जा सकें।

ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि परीक्षा और इंटरव्यू लेने के बाद सरकार पदों को ही न भरे।

ऐसा भी सुना है कि आयोग की परीक्षाओं में कुछ पर्चे में विकल्प रहता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन में दूसरों की अपेक्षा अधिक अंक आते हैं। अतः यह बात भी न्योचित नहीं। सभी वैकल्पिक विषयों का स्तर एक समान होना चाहिये।

स्वतन्त्र और निष्पक्ष प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को इस राज्य में न लगाया जाय जिस से वे सम्बन्ध रखते हों। इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर इस समय विचार हो रहा है। मुझे यह देख कर कुछ आश्चर्य और निराशा भी हुई कि इस के जितने चेयरमैन और सदस्य हुए हैं उन में से सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले लोग कोई नहीं हैं। यह समझा जाता है कि सिविल सर्विस के लोगों को प्रशासन का जो अनुभव होता है उसी के आधार पर इस पद के लिये वे पूरी तरह योग्य हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जैसा कि कुछ मित्रों ने पहले भी बतलाया है कि अब केवल कानून और व्यवस्था रखने का कार्य हमारे प्रशासकों के हाथ में नहीं है, बल्कि देश के विकास की बागडोर भी उन के ही हाथों में आ गयी है। अब उन के कन्धों पर बहुत बड़ा दायित्व आगया है, इसलिये अब उन का दृष्टिकोण भी बदलने की आवश्यकता है। अगर सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलना है तो उन का निर्वाचन भी ऐसे तरीके से होना चाहिये कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले जो नया दृष्टिकोण ले कर सेवा में प्रवेश करें। इस के लिये यह आवश्यक है कि लोक सेवा आयोग के गठन पर बुनियादी तौर से विचार किया जाये। मेरा अनुरोध है कि जो हमारे बहुत से राज्यपाल लोग रिटायर होते हैं, और उस के बाद उन को कोई काम नहीं रह जाता उन को इन स्थानों पर नियुक्त किया जाये। यहां पर एक बार सदन में वाद-विवाद के दौरान यह कहा भी गया था कि राज्यपाल लोग बाद में वकालत करने लगते हैं तथा और कोई दूसरा काम करने लगते हैं। इस से अच्छा हो कि उन को लोक सेवा आयोग में नियुक्त किया जाये क्योंकि इन को सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव होता है और प्रशासन का भी कुछ अनुभव होता है। अगर इन लोगों को आयोग में नियुक्त किया जाये तो इस दृष्टिकोण के बदलने में बहुत कुछ सफलता मिल सकती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जिन को विशेष महत्व दिया गया है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल है और तीसरा यह संघ लोक सेवा आयोग है। मेरा अपना यह ख्याल रहा है मैं नहीं समझता कि हमारा मंत्रिमंडल इस से कहां तक सहमत होगा, कि इन संस्थाओं की स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये, और इन के प्रति किसी प्रकार की भी कोई आशंका न उठे, इसलिये यह जरूरी है कि इन को दिल्ली में न रहने दिया जाये। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि अगर इन को दिल्ली में न रखा गया और दूसरे स्थान पर रखा गया तो इन की स्वतन्त्रता बढ़ जायेगी, हो सकता है कि मेरी यह दलील गलत हो लेकिन यह अवश्य है कि अगर इन को दिल्ली में न रहने दिया गया तो ऐसा वातावरण अवश्य पैदा हो जायेगा कि किसी को

इन की स्वतन्त्रता के प्रति आशंका न रहे। हमारा यह बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत से लोग इसे सौभाग्य कहेंगे, कि सुप्रीमकोर्ट का इतना बड़ा भवन यहां बन चुका है कि उस को यहां से हटाया नहीं जा सकता। इस तरह से कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल के लिये भी भवन का निर्माण किया जा चुका है और उन को यहां से नहीं हटाया जा सकता। परन्तु यह लोक सेवा आयोग अभी तक एक किराये के मकान में चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इस आयोग के लिये यह मकान सुविधाजनक नहीं है। इस बात की शिकायत है कि इस में जगह की पूरी गुंजाइश नहीं है। और जितनी गोपनियता होनी चाहिये वह इस मकान में नहीं रखी जा सकती है। इसलिये गवर्नमेंट के सामने यह सवाल जरूर आयेगा कि इस के लिये भी भवन का निर्माण किया जाये।

तो मेरा शासन से यह अनुरोध है कि इस भवन का निर्माण करने से पहले वह इस बात पर विचार करले कि आया यह आयोग दिल्ली में रहे या न रहे। मेरा ख्याल है कि इस को ऐसे किसी स्थान पर रखा जाये जहां कोई राजधानी न हो। मैं मसूरी के लिये तो नहीं कहता क्योंकि आज कल उस का दूसरा महत्व हो रहा है, लेकिन अगर इस आयोग को किसी पर्वतीय स्थान पर भेज दिया जाये तो उन का दिमाग भी ठंडा रहेगा और जो दूसरे लोग वहां जायेंगे उन का दिमाग भी ठंडा होगा। और अगर ऐसा करना सम्भव न हो तो इस आयोग को किसी केन्द्रीय स्थान पर भेज दिया जाये, जैसे नागपुर, है, जो कि राजधानी रह चुका है।

श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : वाराणसी में भेजना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : वह उचित स्थान नहीं है और जगह की भी कमी है।

एक माननीय सदस्य : ग्वालियर।

श्री भक्त दर्शन : मेरा किसी स्थान विशेष के बारे में कोई अनुरोध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन का अनुरोध तो इस को दिल्ली से हटाने पर है।

श्री भक्त दर्शन : मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे कि आया यह उचित है या नहीं कि इस को दिल्ली में रहने दिया जाये। अगर गवर्नमेंट विचार करने के बाद फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस को दिल्ली में ही रहना चाहिये, तो मेरा अनुरोध है कि इस के लिये भी एक अच्छा भवन बना दिया जाये जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के लिये और कंम्पट्रोलर एन्ड आडीटर जनरल के लिये बनाया गया है, चाहे वह इतना बड़ा न हो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भवन है, ताकि वहां पूरी गोपनीयता रखी जा सके और जहां पर रिकार्ड आदि ठीक तरह से रखे जा सकें। इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये।

इस रिपोर्ट में कमीशन ने भी कहा है और बहुत से पूर्व वक्ताओं ने भी बतलाया है कि उम्मीदवारों का जनरल स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। चारों तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है और यूनिवर्सिटि ग्रान्ट्स कमीशन ने भी इस पर काफी कहा है। लेकिन रिपोर्ट में कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि कैसे यह स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाये। इस बात पर तो उन्हों ने जरूर चिन्ता व्यक्त की है कि स्टैण्डर्ड गिरता चला जा रहा है लेकिन इस का कोई उपाय नहीं सुझाया कि उस को किस तरह से ऊंचा किया जा सकता है। मेरा अपना यह विचार है कि स्टैंडर्ड गिरने का एक बड़ा भारी कारण यह है कि हमारे बहुत से विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार की जितनी भी सेवायें हैं उन के लिये परीक्षायें अंग्रेजी के माध्यम से ली जाती हैं। हमारे छात्रों के सामने एक कठिनाई आती है। वह यह है कि वह किसी बात की जानकारी रखते हुए भी अपनी शब्दावली (वेकेब्यूलरी) की कमी की वजह से और अपने विचारों को व्यक्त

[श्री भक्त दर्शन]

करने की अभिव्यंजना शक्ति की, पावर आफ एक्सप्रेशन की कमी की वहज से ठीक प्रकार से प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते ।

इस से पहले राजभाषा आयोग नें केन्द्रीय सेवाओं के लिये परीक्षाओं का माध्यम क्या हो इस सम्बन्ध में बड़े विषद रूप से विचार किया और फिर संसद की समिति नें भी इस प्रश्न पर विचार किया । इस संसदीय समिति ने और राजभाषा आयोग ने भी शासन के सामने यह सुझाव रखे हैं कि हम केन्द्रीय सरकार की प्रतियोगिताओं की परीक्षायें हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से रखें । संसदीय सभिति के द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उन में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है ।

> "अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम रहे और उसे कुछ समय बाद परीक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जाये । इस प्रकार कैन्डीडेट के लिये दोनों भाषाओं का विकल्प रह सकता है ।"

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरो करना चाहता हूं कि इस समिति ने गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दिया है कि वह निर्णय करें कि यह क्या होगा । यह "कुछ समय बाद" एक रबड़ छन्द है, यह एक ऐसा लचकीला शब्द है कि इस को कितनी ही लम्बा भी किया जा सकता है । हो सकता है कि इस में दस साल लग जाये या १५ साल लग जाये । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब गवर्नमेंट केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में इस पर विचार करे कि परीक्षाओं का माध्यम क्या हो, तो वह इस बात का ध्यान रखे कि जो छात्र आज विश्वविद्यालयों में हिन्दी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन के हितों की रक्षा की जाये । हम देख रहे हैं कि जिन विश्व-विद्यालयों में शिक्षा हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से दी जाती है उन के छात्रों के सामने यह एक बड़ी अड़चन है कि किस तरह से केन्द्रीय सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें । इसलिये मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में जितनी जल्दी हो सके निर्णय कर दे ।

इस संसदीय समिति की रिपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ में यह सुझाव दिया गया है "आफ्टर ड्यू नोटिस" । मैं ने पहले भी इस सवाल को उठाया था कि इस की परिभाषा क्या होगी । कितने दिन का नोटिस चाहिये, एक साल का दो साल का । पर यह चीज गवर्नमेंट के हाथ में है । अतः गवर्नमेंट को बड़ी सच्चाई और तत्परता के साथ इस सिफारिश पर अमल करना चाहिये ताकि जो छात्र हिन्दी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन को शिकायत न रहे और उन की समस्या हल हो जाये ।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । लेकिन एक खास बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में जो हमारे सशस्त्र सेनाओं के अफसर लिये जाते हैं उन के बारे में भी प्रकाश डाला गया है । लेकिन इस बारे में एक साधारण सा जिक्र कर दिया गया है कि जो लोग लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं जब उन की शारीरिक परीक्षा होती है उस में वे अक्सर असफल हो जाते हैं । इस ओर कमीशन ने जो ध्यान दिया यह उचित ही है लेकिन इस में कहा गया है ।

> "आयोग आशा करता है कि उम्मीदवार सफलता के अवसरों को देख कर ही परीक्षा में बैठेंगे और व्यर्थ ही अपना धन बर्बाद न करेंगे ।"

यह बड़ा कठिन है कि यह आशा पूरी होगी क्योंकि हर पिता चाहता है कि उस का लड़का करनल या जनरल हो और वह बड़े से बड़ा पद पाये और लोग उस को सलाम करें । माता पिताओं की यह भावना स्वाभाविक भी है । मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार और डिफेंस

मिनिस्ट्री इस प्रश्न पर विचार करें और इस का हल निकालें। आज यह हो रहा है कि मान लीजिये कि दस हजार लड़के लिखित परीक्षा में बैठे और उन में से २००० पास हुए और उन दो हजार में से २०० छांटे गये। उन में से बहुत से लोग, जो लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे निकलते हैं, शारीरिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जितने लोग सशस्त्र सेनाओं की परीक्षा में बैठते हैं, उन की शारीरिक परीक्षा पहले ले ली जाये कि आया वे इस के योग्य भी हैं या नहीं। मान लीजिये दस हज़ार व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र दिये और उन में से दो हजार शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त निकले, तो उन्हीं दो हजार की फिर परीक्षा हो और सब व्यक्तियों की परीक्षा ले की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज-कल क्रम यह है कि पहले लिखित परिक्षा होती है, और फिर वे लोग सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाते हैं। इस क्रम को बदलने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जिन का शरीर पुष्ट है, जिन का स्वास्थ्य अच्छा है, वही लिखित परीक्षा में जायें। इस प्रकार इस समय जो वेस्टेज होता है, वह खत्म हो जायेगा।

अन्त में मैं आयोग को और गृह मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए एक उलाहना देना चाहता हूं। जितने भी मंत्रालय हैं, उन के प्रतिवेदन हम को हिन्दी में भी मिलते हैं। पता नहीं कि कमीशन के प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण क्यों नहीं तैयार किया जाता है? शायद कमीशन का वातावरण ही ऐसा है कि इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद तैयार करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। आखिर वहां कौन से टेक्निकल विषय हैं कि जिन के लिये उपयुक्त शब्द आदि नहीं मिलते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि कम से कम अगले वर्ष यह व्यवस्था की जायगी कि अंग्रेज़ी के साथ साथ रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण भी हम लोगों को उपलब्ध हो सके।

श्री आसर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने उस की सभी सिफारिशों को मान्य कर लिया है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं सरकार से अर्ज़ करूंगा कि मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हमेशा के लिये यह परिपाटी रख दी जाये कि अन्य कमीशन की ओर से दी गई सिफ़ारिशों को भी माना जाये। इस रिपोर्ट में दी गई कई बातों पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है और सरकार के द्वारा उन के संबंध में जल्द से जल्द कदम उठाना भी आवश्यक है।

इस रिपोर्ट में एक जगह यह लिखा गया है—

> "देखा गया है कि टेक्निकल पदाधिकारी भी प्रशासनिक सेवाओं के लिये लालायित रहते हैं। भारतीय असैनिक सेवा (विशेष भर्ती) परीक्षा में अनेक टेक्निकल पदाधिकारियों ने भी प्रशासनिक सेवा प्राप्त करने के आवेदन भेज थे। यह बात देश हित में नहीं है।"

इस विषय पर सरकार को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि आज हमारे देश में सैकंड प्लान चल रहा है, लेकिन फिर भी टैक्निकल और सायंटिफ़िक व्यक्ति अपनी नौकरियां छोड़ कर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं। यह हमारे लिये बड़ी चिन्ता की बात है। यह क्यों हो रहा है? आज हमारे देश में उद्योग बढ़ रहे हैं और कई प्राजेक्ट्स में काम चल रहे हैं और हम उन के लिये पर्याप्त टेक्निकल और साइंटिफिक परसानल न होने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी ओर वे लोग अपनी नौकरियां छोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा रहे हैं। इस का कारण यह है कि टैक्निकल सर्विस से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पे-स्केल, सुविधायें और प्रास्पैक्ट्स आदि अच्छे होते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि सायंटिफिक और टैक्निकल परसनेल को भी वही तन्ख्वाह और सुविधायें देनी चाहियें, जोकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में दी जाती हैं। इस का अर्थ यह है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहियें कि टेक्निकल और सायंटिफिक परसानेल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का व्यामोह कम किया जाये। मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम कोई

[श्री आसर]

रिसर्च करना चाहते हैं और उस के लिये रखे गये व्यक्ति को २५० रुपये तन्ख्वाह देते हैं। इस तन्ख्वाह में कोई भी अच्छा रिसर्च करने वाला रिसर्च करने के लिय तैयार नहीं होगा। इसलिये रिसर्च वर्क रुक जाता है। इसलिये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो पे-स्केल आदि हैं, वे टैक्निकल और सायंटिफिक परसानेल को देना आवश्यक है।

एक दूसरी चिन्ता की बात यह है कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि--

"प्रत्येक वर्ष बहुत से ऐसे पद रह जाते हैं जिन के लिये आयोग को प्रतियोगिता प्रशिक्षण के आधार पर उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते।"

हमारा देश चारों ओर से बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। सरकार का कार्य-क्षेत्र भी बढ़ रहा है और जैसे-जैसे उस का कार्य-क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। लेकिन रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि योग्य क्षमता रखने वाले व्यक्ति मिलते नहीं हैं। ३१ मार्च, १९५८ को ३१६ स्थानों के लिये व्यक्तियों की आवश्यकता थी, लेकिन कमीशन ने केवल १०३ व्यक्तियों को चुना और २३२ व्यक्तियों की आवश्यकता है? यह क्या बताता है? हमारे यहां काम्पीटेंट आदमियों की कमी है, लेकिन मुझे यह बताना आवश्यक है कि हमारे यहां काम्पीटेंट आदमियों की कमी नहीं है, लेकिन पिछले ग्यारह सालों में हमारी ओर से काम्पीटेंट आदमियों का निर्माण करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आज हमारा कारोबार उन व्यक्तियों के ऊपर चल रहा है, जिन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आई० सी० एस० बना कर आल-राउंड शिक्षा दी और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। इस का मतलब यह है कि हमारी शिक्षा का स्तर गिर गया है। अभी दो तीन दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री ने हाउस में बताया कि हमारा स्टैण्डर्ड बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में लोग प्रगति कर रहे हैं, सायंटिफिक क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। हम नहीं जानते कि गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की कापी शिक्षा मंत्रालय को भेजी है या नहीं। जो कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है, उस का स्पष्ट अर्थ है कि हमारा एजूकेशनल स्टैंडर्ड गिर रहा है, जिस के कारण काम्पीटेंट आदमी नहीं मिलते हैं। इस का परिणाम यह है कि आज हमारे देश की डिमांड को पूरा करने के लिये अच्छे आदमी नहीं मिलते हैं। मेरी प्रार्थना है कि देश की प्रगति के लिए कार्यक्षमता और देशभक्ति से भरे व्यक्तियों का निर्माण करना आवश्यक है। इसलिये यह आवश्यक है कि देश में अच्छे बुद्धिमान, कार्यक्षम और कुशल व्यक्तियों को चुन कर उन को अच्छी सर्वांगीण शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाये। अगले पांच दस सालों में हम को कितने आदमियों की आवश्यकता है, इस का विचार कर के उपयुक्त व्यक्तियों के निर्माण करने की व्यवस्था की जाये।

आखिर में एक और बात बताना आवश्यक है। आज देश में अच्छे व्यक्तियों की कमी बताई जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि सब दृष्टि से काम्पीटेंट और देश की सेवा करने की क्षमता और आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति विद्यमान हैं, लेकिन चूकि वे सत्तारूढ़ दल के विचारों स सहमत नहीं होते हैं, इसलिये उन की इच्छा होते ए भी उन देशभक्त और कार्यक्षम नौजवानों को सेवा के क्षेत्र में भरती होने से रोका जाता है। इस पर विचार किया जाये जो देशभक त और राष्ट्रीय विचार के योग्य व्यक्ति हैं, देश की प्रगति करने के लिये उन को सर्विसेज़ में भरती होने का मौका दिया जाये, भले ही उन के विचार सरकार के विचारों के विरुद्ध हों। ऐसा दिखाई देता है कि सरकार की ओर से ऐसे व्यक्तियों की भरती करते समय पक्षपात किया जाता है, खुले तौर पर नेपाटिज्म का प्रदर्शन किया जाता है। इसलिये मेरा यह नम्रतापूर्वक निवेदन है कि सरकार के अन्य अन्य दफ़तरों में काम करने वाले जो सुयोग्य व्यक्ति हैं, उन को चाहे तो एक आध साल तक विशेष शिक्षा दे कर उन को नियुक्त करना चाहिये। देश में ऐसे कई सरकारी कर्मचा ी हैं, जोकि अपनी क्षमता और योग्यता से देश की सेवा कर सकते हैं, उन की आयु एक दो साल बढ़ जाने से उन को सर्विस से वंचित करना उचित नहीं है।

रिपोर्ट के पैराग्राफ २३ में कहा गया—

"भारत सरकार की सेवाओं में २१ गैर-भारतीयों की भर्ती के मामले . . . . ."

लेकिन ये नान-इंडियन कौन हैं, वे कौन से स्थानों पर नियुक्त हैं, कौन से देश के हैं, इस का खुलासा नहीं किया गया है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो लोग चुन कर लिये गये ह, वे किस देश के नेशनल्ज़ हैं और किन पदों पर काम कर रहे हैं, यह बताना आवश्यक है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : श्री भक्त दर्शन ने प्रशासकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात कही जिससे मुझे एक बात याद आ गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मैंने एक पदाधिकारी से पूछा कि क्या वह देश की सेवा में लगेंगे। वह कहने लगा कि मैं उसके ठीक विपरीत आशा करता हूं। वास्तव में उन्हें प्रशिक्षण ही शासन करने का दिया जाता है वे लोग ऊपर के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। जनता क्या सोचती है इसकी परवाह उन्हें नहीं है।

किन्तु अब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। ब्रिटिश ने जो असैनिक सेवा की पदालि सारे साम्राज्य में स्थापित की थी वह दक्षता में विख्यात थी। हम भी अपनी असैनिक सेवा से यही आशा करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में यहां विन्सेंट हेली और हैलट जैसे दक्ष कर्मचारी थे। हम यह नहीं चाहते कि हमारे पदाधिकारी उन्हीं के समान नौकरशाह बनें, वरन् हमारी इच्छा यही है कि हमारे पदाधिकारी दक्षता में अवश्य उनके बराबर हों। अंग्रेज इस देश के योग्यतम व्यक्तियों को सेवा में खपा लेते थे। इसी कारण महात्मा जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया था ताकि हमारी सहायता से ही अंग्रेज इस देश पर शासन न करें। कुछ विभूतियां जो सेवा छोड़ कर राजनीति में आयीं, उन्होंने राजनीति में भी कमाल किया। जब सुभाषचन्द्र बोस ने नौकरी पर लात मारी थी तब "स्टेट्समैन" ने लिखा था कि उनके नौकरी छोड़ने से भारत को हानि हुई है।

इस प्रतिवेदन से एक दुखदायी पहलू का पता चला है और वह यह है कि अपराधियों को दण्ड देने के बावजूद भी लोग झूठे प्रमाण पत्र देकर परीक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने से नहीं टलते। सरकार को इस कुकर्म की सख्ती से रोकथाम करनी चाहिये।

इसमें एक दूसरी बात यह है कि बहुत से उम्मीदवार जो लिखित परीक्षाओं में पास हु व प्रतिरक्षा सेवा के संवरण बोर्ड में चुने नहीं गये। अतः हमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि इस बोर्ड में लोगों को यूंही अस्वीकार न किया जायें।

इसके अलावा जिन पदों के लिये कम वेतन के कारण उम्मीदवार नहीं मिलते, उनका वेतन क्रम बढ़ा दिया जाना चाहिये। इसी तरीके से उपयुक्त उम्मीदवार हमें मिल सकते हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सामान्यतया देखा गया है कि सरकारी पदाधिकारी सेवा से निवृत्त होकर सरकार की आलोचना करने लगते हैं। इस मनोवृत्ति का कारण हमारी समझ में नहीं आया। उनकी आलोचनाएं पढ़ कर हम हैरान हो जाते हैं कि ये लोग नौकरी करते समय कैसे निभे होंगे? जो लोग सरकार के काम को न्यायोचित नहीं समझते उन्हें नौकरी छोड़ देना चाहिए।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : सभा के सामने जो प्रस्ताव है वह अस्पष्ट और अपूर्ण है। मैं वस्तुतः इस प्रस्ताव का अर्थ ही नहीं समझ सका हूं।

प्रतिवेदन की एक ही बात सुखद है और वह यह कि कभी भी सरकार ने आयोग की सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

जहां तक इंटरव्यू के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उस बारे में प्रक्रिया सम्बन्धी बातों पर ही बोलूंगा। शेष बातों पर अन्य माननीय सदस्य प्रकाश डाल चुके हैं। जब कभी किसी पद का विज्ञापन होता है तो उसके लिये इंटरव्यू भी होता है और जब इंटरव्यू होता है उस समय सम्बद्ध मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी आयोग के बोर्ड में आ बैठता है। उसका अपना ही दृष्टिकोण होता है। अकसर वही अपनी इच्छा को मनवाता हैं। यह नहीं होना चाहिये। इससे निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। आयोग के सारे सदस्य जब इतने योग्य होते हैं तो एक अवर सचिव या उप-सचिव को उनके साथ बैठाने की क्या आवश्यकता है। आयोग के सदस्यों को आवश्यक रूप से उसकी राय नहीं माननी चाहिये।

जब कभी सरकार को आयोग की सिफारिश मंजूर नहीं होती तब वह यह कह देती है कि वह उस पद को ही न भरेगी। और उधर आयोग के सदस्यों को भी यह आदत बन गयी है कि सामान्यतया वे विभाग के प्रतिनिधि की राय को ही मान लेते हैं। जब लोग उन्हें न्यायाधीशों के समान रखते हैं तो जरूरी नहीं कि वे विभागीय प्रतिनिधियों की बात ही मानें। इसी बात पर बहुत से उम्मीदवारों को निराशा का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा स्त्रियों की भर्ती का प्रश्न है। यह ठीक है कि संविधान के अनुसार हम किसी से लिंग आदि के कारण भेद नहीं कर सकते। परन्तु कई व्यवसायों में स्त्रियां पुरुष से अधिक अनुकूल होती हैं, इस कारण उन्हें उन्हीं व्यवसायों में जगह देनी चाहिये। उनका पुलिस से भला क्या वासता।

यदि हम इस आयोग को, वैज्ञानिक एवं टैक्निकल आयोग, इंजीनियरिंग आयोग तथा प्रशासकीय सेवा आयोग के तीन भागों में बांट दें तो फिर विभागीय प्रतिनिधियों के आयोग में आ बैठने की आवश्यकता हो न रहे। भविष्य में हमें टैक्निकल कर्मचारियों की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी और इस प्रकार का सुव्यवस्थित विभाजन स्वयमेव अनिवार्य हो जायगा।

जहां तक सेना के पदाधिकारियों को असैनिक पदों पर दुबारा लगाने का सम्बन्ध है इस बारे में मैं यह कहूंगा कि ये लोग असैनिक पदों के लिये उपयुक्त नहीं होते क्योंकि ये एक दूसरे वातावरण में ही पले होते हैं। इन्हें असैनिक पद नहीं दिये जाने चाहियें।

इटरव्यू लेने के लिये आयोग को स्थान-स्थान पर जाना चाहिये। उन्हें उम्मीदवारों को एक ही स्थान पर बुलाना नहीं चाहिये इससे बिचारे उम्मीदवारों का बहुत खर्चा होता है।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय नैशनल डिफेंस एकेडेमी में भरती के सिलसिले में जो ज्यादा तादाद भरती के लिये उम्मीदवारों की बढ़ती जा रही है उसको रोकने की एक ही तरकीब है और नैशनल डिफेन्स ऐकेडमी में और अच्छे आदमी भरती हों, उसके लिये भी एक ही तरकीब है कि जो भी वहां भरती होना चाहते हैं वे सब पहले जवान भरती हों और कम से कम एक साल तक जवान के तौर पर चाहे आर्मी में, चाहेनेवी में, चाहेएअर फोस में सर्विस करें। उसके बाद उन्हें मौका दिया जाये कि जो इम्तहान में बैठना चाहे वह बैठे। और सेलेक्शन बोड जो होगा वह उसके बाद रिजैक्शन बोड नहीं रहेगा जैसा कि मेरे साथी ने डर जाहिर किया था। इसी तरह से इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव प्सर्विस.....

उपाध्यक्ष महोदय : सेलेक्शन बोर्ड तो हमेशा रिजैक्शन बोर्ड रहेगा साथ में, वरना सेलेक्शन कैसे होगा ?

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : जिसमें काबिलियत होगी वह बैठ जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिसे सेलेक्शन करना है जब तक वह रिजैक्शन नहीं करेगा तब तक सेलेक्शन कैसे करेगा ?

चौ० रणवीर सिंह : इस तरह से औसत रिजैक्शन कम हो जायेगा । जहाँतक इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उस को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिये, और जितनी जल्दी हम उसे कर दें उतना ही अच्छा है देश के लिये । एक तो वह साहब जिन को दफ्तरों में बैठ कर काम करना है और एक वह साथी जिन को जिलों में जाकर जिलाधीश या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना होता है । मैं मानता हूं कि एक आदमी अच्छी नोटिंग एण्ड ड्राफ्टिंग कर सकता है और वह जो किताबी इम्तहान हो उसमें आगे आ सकता है । लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह जरूरी नहीं है कि जो अच्छी नोटिंग एण्ड ड्राफ्टिंग जानता हो वह जिलाधीश अच्छा बन सकेगा या एडमिनिस्ट्रेशन चला सकेगा । मैं समझता हूं कि पर्सनलिटी टैस्ट उनके लिये तो जरूरी है जिनको दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है । लेकिन फर्ज कीजिये किसी को दफ्तरों में आकर काम करना है, मैं समझता हूं कि उन के लिये यह जरूरी नहीं है । जिन को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उनके लिये पंसनैलिटी टैस्ट ठीक है । क्योंकि अगर उन का यह टैस्ट नहीं होगा तो हो सकता है कि वे बहुत अच्छे लिखने वाले हों, लेकिन जो दूसरे मसले सामने आते हैं उन के लिये क्या करेंगे । कहीं पर सत्याग्रह चला करता है, कहीं दूसरी चीज चलती रहती है । मुझे अपने पंजाब का तजुर्बा है, हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी तरह की आवाज़ उठा करती है । उन पर काबू पाने के लिये अच्छी नोटिंग और ड्राफ्टिंग काम नहीं आ सकती । उसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिये भले ही वह अच्छा लिखने वाला न हो । कई दफा हालत ऐसी आ जाती है कि गोली चलाने की जरूरत पड़ सकती है, जिस आदमी को एड मिनिस्ट्रेशन चलाना है, अगर वह यह सोचे कि गोली नहीं चलानी है भले ही उसके न चलाने से एक के बजाय १०० आदमियों के मरने का खतरा हो तो फिर किस तरह से काम चल सकता है । जब कभी इस तरह का खतरा हो जाय तो गोली चलाना जरूरी हो जाता है । इस के लिये एडमिनिस्ट्रेटर के दिल में हौसला चाहिये । जैसा मेरे भाई श्री बनर्जी ने कहा कि वह इसी डर में फंस जायेगा कि भगवान, कहीं खुद मुझे ही न लोग गिरा दें । इसलिये यह जरूरी है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर के दिल में हौसला हो । इसके आलावा उसकी पर्सनलिटी ऐसी होनी चाहिये जो कि लोगों पर असर करे । मैं समझता हूं कि अगर किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी दफ्तर में काम करता हो भले ही उसकी पर्सनलिटी की परवाह न की जाय लेकिन जिसकी जिलाधीश बनना है उसके लिये यह टैस्ट जरूर रहना चाहिये । मैं श्री भक्त दर्शन जी से सहमत हूं कि आज हमारे दफ्तरों में काम करने का स्तर गिर रहा है । असल बात यह है कि आज हम पढ़ाई के तरीके को देखें तो उसी से इसका पता चल जायेगा । और पढ़ाई को जाने दीजिये, कल की अंग्रेजी की बहस के बाद मैंने पांच, सात बच्चों से बातचीत की । यहां की बहस से उनकी समझ में यह आया कि अब अंग्रेजों के लिये इस देश में स्थान नहीं है । अंग्रेजी के लिये आज से नहीं, दस बारह साल से हम कोशिश कर रहे हैं, कांस्टिटुएन्ट असेम्बली के दिनों में हमने बड़ी बहस मुबाहसा किया और उसके बाद तय किया कि अंग्रेजी के लिये हमारे यहां स्थान नहीं है । आज बारह साल बीत गये । दो साल बाद वह विद्यार्थी गैग्रुएट हो जायेंगे जो उस वक्त पर प्रथम श्रेणी में प्रवेश हुये थे । ऐसे वक्त में जिन के दिमाग में एक अन्दाजा था, एक ख्याल था कि अंग्रेजी के लिये कोई स्थान नहीं है, आज भी उन को पता नहीं है कि देश में अंग्रेजी का कोई स्थान है कि नहीं था । काफी स्थान है । अक्सर जो तरीका काबिलियत को नापने का है वह यह है कि अंग्रेजी के ज्ञान से उसे नापा जाता है । इसलिये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके हिन्दी या जो इलाकाई भाषायें हैं उनमें इम्तहान को जारी करें । क्योंकि दरअसल आज जो भरती हो रही है वह आज के लिये नहीं हो रही है । आखिर

[चौ० रणवीर सिंह]

अंग्रेजी को तो जाना ही है। बारह साल हो गये हैं, और पांच साल बाद, सात साल बाद, आठ या नौ साल बाद के बाद अंग्रेजी को यहां से जाना है। आज जो सिर्फ अंग्रेजी के अच्छे लिखने वाले हैं उनका ही स्तर अच्छा माना जाय तो यह जरूरी नहीं है कि आने वाले देश के लिये वह कोई बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या कर्मचारी साबित हो सकें।

मुझे एक और अर्ज आप से करनी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरी सर्विसेज के बारे में लिखा गया है कि वे गलत खबरें देते हैं। यह एक बड़ी अजीब बात है कि जो लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भरती होने के उम्मीदवार हुए आम तौर पर उन लोगों ने यह छिपाने की कोशिश की कि वे सरकारी नौकर हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी शख्स गलतबयानी करता है तो वह बहुत गलत चीज है उन आदमियों के साथ क्या किया जाय यह देखना तो होम मिनिस्ट्री का काम है लेकिन हम को सोचना चाहिय कि इससे क्या नतीजे निकल सकते हैं ?

उसकी एक वजह यह हो सकती है कि शायद उन नौजवान क्लर्क्स आदि सरकारी नौकरों को उनके मुहकमे वाले इस आई० ए० एस० के इम्तिहान में आसानी से एप्लाई करने की इजाजत न देते होंगे और इसलिये वे इस बात की कोशिश करते हैं कि हम यह जाहिर न होने दें कि हम सरकारी नौकर हैं। इसलिये यह जो आपत्ति आती है वह इसलिये आती है कि उन पर कुछ पाबन्दियां हैं और उनको हटाया जाना चाहिये।

अब इसी तरह एन० डी० ए० के सिलसिले में जो ऐज की बात है, अब मुझे पता नहीं कि आया उसमें कोई सुधार हो सकता है या नहीं।

अब यह जो इंडस्ट्रियल पूल की बात है और उसको लेकर जो हमारे भाई लोग टीका टिप्पणी करते हैं और देश का निज़ाम चलाने वालों पर अविश्वास करते हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि ऐसा अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में अभी कुछ दिन पहले तक कोई आदमी यह मानता नहीं था कि डिक्टेटरशिप के बगैर कोई समाजवाद आ भी सकता है और इस बात को भी नहीं मानता था कि जो आदमी काम चलाने वाले हैं वह पता नहीं किस ख्याल के हों और वह भरती होंगे और वह अफ़सर होकर इस देश के अन्दर समाजवाद को लायेंगे भी या नहीं। इस देश के अन्दर दोनों ही ख्याल के लोग हैं और अजीब क़िस्म के तजुर्बे हो रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ हमको थोड़ा बहुत जैसे कई दफ़े देखा गया है जो एक खींचतान होती है और हमारे देश की नीति कुछ और होती है और जो हमारे हाकिम हैं उनके मन का रुझान कुछ दूसरा है मैं यह तो नहीं चाहता कि जो कांग्रेस पार्टी के हों उन्हें इनमें भरती किया जाय लेकिन एक बात मैं ज़रूर चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे वह यूनियन का हो अथवा स्टेट्स का उन्हें भरती करते वक्त यह देखना चाहिये कि आया यह उम्मीदवार दिमागी तौर पर समाजवाद के हक़ में है, पलिब्क सैक्टर के बढ़ाने के हक़ में है या प्राइवेट सैक्टर के बढ़ाने के हक़में है।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (भंडारा-रक्षित-अनुसूचित-जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रतिवेदन सन्तोषजनक नहीं लगा। प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ पर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं, उन्हें भी सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। यदि हम कुछ और प्रयत्न करते, तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता था और अनुसूचित जातियों के लोग अधिक संख्या में विभिन्न सेवाओं में लिये जा सकते थे। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम श्रेणी की स्थायी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोग ०.६ प्रतिशत हैं। इसी श्रेणी

†मूल अंग्रेजी में

की अस्थायी सेवाओं में यह अनुपात .८ प्रतिशत है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की विशेष भर्ती में भी अनुसूचित जातियों के केवल २६ और अनुसूचित आदिम जातियों के केवल ५ व्यक्ति ही बुलाये गये। प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा है कि इस मामले में अवश्य कोई बात है कि भर्ती के समय इस मामले की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि इन जातियों के लोगों को कुछ अधिक सख्या में लिया जाय। आयोग ने अपनी मर्जी से ११३ अनुसूचित जातियों के और ३४ अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को चुना यद्यपि वे लिखित परीक्षा में असफल हो गये थे। प्रशासनिक सेवा में केवल ७ अनुसूचित जातियों और ३ अनुसूचित आदिम जातियों के लोग नियुक्त हुये। ऐसे भी उदाहरण हैं कि आयोग की सिफारिश होने पर भी कई लोग नहीं नियुक्त किये गये।

†**श्री दातार** : यह गलत बात है।

†**श्री बालकृष्ण वासिनिक** : नियुक्तियां करने के मामले में सरकार को व्यापक अधिकार प्राप्त है। वह चाहे तो लोक सेवा आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा कर सकती है, परन्तु शायद सरकार ने ऐसा किया नहीं, परन्तु यह ठीक है कि जिन लोगों की लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की है, उन्हें अभी तक नियुक्त किया नहीं गया। यह बाद तो केन्द्रीय सरकार के एक उपमन्त्री ने भी मानी है, परन्तु मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। यह बात प्रकट हो गयी है और मंत्री महोदय को इस मामले की छानबीन करनी चाहिये और जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने का यत्न करना चाहिये।

†**श्री दातार** : मैं अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय का आभार मानता हूं कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का एक ठीक स्तर निश्चित कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग महत्वपूर्ण संविहित निकाय है। संविधान द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि सरकारी पदों पर भर्ती कार्यकारिणी द्वारा न होकर आयोग द्वारा हो और ठीक ढंग से हो यह काम संघ लोक सेवा आयोग ही करता है। अतः हम सब का कर्तव्य है कि हम आयोग के कार्य का उच्च स्तर कायम रखने में पूर्ण रूप से सहायक हों।

मुझे इस बात का खेद है कि श्री माथुर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं न तो ठीक है और न उचित। उन्होंने जिस आधार पर ये बातें कही हैं बिलकुल गलत हैं। लोक सेवा आयोग अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करता आ रहा है। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि उचित पदों पर उचित व्यक्ति ही नियुक्त किये जायें। हमारे संविधान में इस सम्बन्ध में बहुत ही ऊंचे स्तर निर्धारित हैं। संविधान के अनुच्छेद ३१६ में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। राज्यों के लोक सेवा आयोगों की नियुक्ति राज्यपालों द्वारा की जाती है इसका एक महत्वपूर्ण परन्तुक है जिसमें कहा गया है कि इन सेवा आयोगों में वही लोग नियुक्त होंगे जिन्हें सेवा की शर्तों और प्रशासन का काफी गहन अनुभव हो। परन्तुक में कहा है :

> "प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति, होंगे, जो अपनी-अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम-से-कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं।"

अतः हमें तो इस स्तर को कायम रखना है।

इसके अतिरिक्त हमें गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी नियुक्त करना होता है। यह ऐसे लोग होते हैं, जिनका देश के सार्वजनिक जीवन में काफी ऊंचा स्थान होता है। पूरा प्रयत्न किया जाता है कि उच्चतम योग्यता वाले लोगों को ही ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाये। इसमें हम किसी प्रकार का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

साम्प्रदायिक अथवा अन्य भेदभाव नहीं करते । हम तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग रखे जायें । मेरे माननीय मित्र ने एक नियुक्ति का उल्लेख किया है । वह इसलिये नहीं नियुक्त किये गये थे कि वह किसी विशेष जाति के हैं, प्रत्युत् यह कि वह योग्य थे और उन्हें प्रशासन का बहुत अधिक अनुभव था ।

अतः मेरा कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग बड़े शानदार ढंग से कार्य कर रहा है, हमें उसकी आलोचना करते हुये कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे उसका गौरव कम हो । यदि कोई विशेष सम्प्रदाय का व्यक्ति नियुक्त कर लिया गया है तो इसका यह मतलब कभी नहीं कि उसका किसी आयोग के चेयरमैन पर प्रभाव था ।

इस सम्बन्ध में मैं अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और विनियमों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान लीजिये, आपको राज्य की सेवाओं में से किसी व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें नियम के अनुसार हमें 'पदोन्नति' शब्द पर विचार करना होगा । उसे राज्य की सेवाओं से पदोन्नति देकर अखिल भारतीय सेवाओं में रखना है नियम संख्या ४ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार पदोन्नति होगी । सबसे पूर्व एक प्रारम्भिक समिति में मामला जाता है । उसमें किस प्रकार विचार होता है उसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ।

"प्रत्येक समिति कुछ समय के पश्चात् अपनी बैठक करेगी, यह समय साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगा और इसमें असैनिक सेवा विनियमों के सभी सक्रिय सदस्यों के मामलों पर विचार किया जायेगा ।"

अब आप समझ सकते हैं कि 'सभी' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है । कुछ लोगों के सम्बन्ध में जो शिकायत मेरे माननीय मित्र ने की है वह निराधार है । सभी ऐसे लोगों के मामलों पर विचार किया जाता है, जो आठ वर्ष की सेवा प्रथम जनवरी को पूर्ण कर चुके हैं । इस प्रकार सूची तैयार हो जाने के पश्चात् जैसा कि पैरा ५ में उल्लेख है कि समिति राज्य असैनिक सेना के ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करती है, जो कि नियम ४ की शर्तों को पूर्ण करते हों और समिति के विचार से पदोन्नति के योग्य हों । यह पहली समिति है, जो सारे मामले पर विचार करती है और उसके समक्ष योग्यता के अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं होता । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है । हर प्रकार की योग्यता को भी देखना पड़ता है । वरिष्ठता और कनिष्ठता को भी देखना पड़ता है । समझ लेना चाहिये कि योग्यता ही सबसे बड़ी चीज है और उसके लिये लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना होता है । नियम ५ के अनुसार इस प्रकार तैयार की गयी सूची को राज्य सरकार आयोग के पास भेज देती है इस प्रकार हमारे नियमों में पूर्ण रूप से संरक्षण की व्यवस्था है । अन्तिम स्वीकृति संघ लोक सेवा आयोग से ही मांगी जाती है । विशेष हालतों में ही परिवर्तन किये जाते हैं। प्रारम्भिक सूची तैयार करते समय भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को सम्मिलित किया जाता है । अतः मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल गलत है । मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि उन्हें इधर उधर की रिपोर्टों पर विश्वास नहीं करना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथर** : मैंने कौनसी बात गलत कही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : उन्होंने कई एक बातें कही है उन्हें चाहिये था कि इनके बारे में सबसे पहले मुझ से पूछते। मैं राजस्थान की भर्ती के मामले की जांच पड़ताल करता। ऐसे मामलों में केवल आलोचना से ही काम नहीं चलता। आलोचना के साथ साथ प्रमाण भी प्रस्तुत करना होता है। यदि कोई सूचना किसी माननीय सदस्य को प्राप्त हो, तो वह हमें बतायें हम उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। मैं सारे सदन को और विशेषकर माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्ण सावधानी बरती है कि कोई गलत बात न हो।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री बतायें कि मेरी कौन सी बात गलत है ?

मैंने कहा है कि कुछ लोगों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया और कुछ को नहीं बुलाया गया। क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि मेरी कही हुई एक भी बात गलत है ?

†**श्री दातार** : तुरन्त इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को इण्टरव्यू के लिये २४ घंटों में ही बुला लिया गया था। मुझे इसकी छानबीन करनी होगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : परन्तु वह यह नहीं कह सकते कि बात गलत है, हां, वह इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं।

†**श्री दातार** : हमें कुछ उच्च स्तर बनाये रखने हैं। हमें इस महान संस्था की प्रतिष्ठा और गौरव को हर हालत में कायम रखना है। इस के साथ ही हमारी सेवाओं की लोगों की नैतिकता पर भी इस का गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। किसी पर गलत आरोप लगाया जाना तो रिकार्ड पर आ जाता है, परन्तु आरोप यदि गलत निकले, तो बाद में यह तथ्य रिकार्ड पर नहीं आता। अतः मेरा कहना है कि मेरे माननीय मित्र को, जोकि बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, गलत बात नहीं कहनी चाहिये। किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिस से लोक सेवा आयोग पर कोई आंच आये।

कुछ अन्य बातों पर भी मुझे आश्चर्य हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के विवाद को सामान्यतः सेवाओं का विवाद बना लिया गया है। हम संस ् के प्रति उत्तरदायी हैं और इस सत्र में भी गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय सेवाओं के सम्बन्ध में कई बातों का उत्तर दिया गया है। कुछ भी हो जो कुछ भी बातें सामने आई हैं, मैं जहां तक सम्भव होगा, संक्षेप से उन का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

सब से प्रथम यह कि आयोग का कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की ओर लोगों का अधिक ध्यान है। अन्य प्रकार की सेवाओं की ओर जैसे भारतीय विदेशी सेवा या अन्य टेकनिकल सेवाओं की ओर लोगों का अधिक ध्यान नहीं है। आयोग ने कहा है कि सेवा शर्तों में सुधार किया जाये। विभिन्न प्रकार के वेतन क्रम मेरे सामने हैं और मेरा कहना है कि प्राविधिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रकार के कार्यों के लिये, जो वेतन-क्रम हम दे रहे हैं, वह प्रशासनिक सेवाओं के मुकाबले में यदि बहुत अच्छा नहीं है, तो बुरा भी नहीं कहा जा सकता।

प्रशासनिक सेवाओं में कनिष्ट वेतन-क्रम ३५० रु० से ६५० रु० तक है और वरिष्ट क्रम ८०० रु० से १८०० रुपये है। भारतीय पुलिस सेवा में कनिष्ट वेतन-क्रम ३५० रु० से ८५० रुपये तक है और वरिष्ठ ६०० रु० से ११५० रुपये तक है। सामान्यतः यही क्रम सभी केन्द्रीय सेवाओं के हैं। थोड़े बहुत अन्तर हो सकते हैं, और वे भी छोटे स्तर की सेवाओं में, ऊंचे स्तर की सेवाओं में नहीं। औद्योगिक प्रबन्ध पूल में तो सात क्रम हैं और सब से अधिक क्रम २७५० रुपये तक का है। प्रशासनिक सेवाओं में बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वे ३००० रुपये तक जा सकते हैं ।

†**श्री दातार:** बहुत ही थोड़े लोग । उच्च स्तर के स्थान तो बहुत ही कम हैं । यदि मैं भूल नहीं करता तो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या लगभग १५०० है शायद इन में से १० या १५ लोग ही १८०० रुपये के स्तर तक पहुंच पाते हैं । इन लोगों के लिये अलग अलग वेतन-क्रम हैं । जो ७ श्रेणियों में बंटे हुए हैं । ये २५०० रु० से ६०० रु० तक हैं । अतः इन सब बातों को देखते हुए इन वेतन-क्रमों को सुधारने की तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती । ये वेतन-क्रम बहुत अच्छे हैं और इन में वृद्धि करना कठिन है । मैं इस अवस्था में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि केन्द्रीय वेतन आयोग सारे मामले पर विचार कर रहा है । कुछ माननीय सदस्यों ने वेतन वृद्धि की बात कही तो मुझे उस पर आश्चर्य हुआ । इस के साथ ही सदन में यह भी कहा गया कि वेतन-क्रम बहुत ऊंचे हैं और विशेष कर ऊपर के पदों के । हमें तो दोनों परस्पर विरोधी विचारों का ध्यान रखना है । मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय वेतन आयोग इस प्रश्न के विविध अंगों पर विचार करेगा । देश की आर्थिक अवस्था का ध्यान रखते हुए अधिकारियों को मुनासिब वेतन देने पर विचार किया जायेगा ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** (सागर) : विभिन्न राज्यों में उच्चतम वेतन-क्रम पाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार :** इस समय मेरे पास संख्या नहीं है । मैं मुख्य सिद्धान्तों की बात कर रहा हूं इस में विशेष व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है । प्रथम बार हम ने विरोधी पक्ष के सदस्यों के मुंह से यह बात सुनी है कि अच्छे लोगों को कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं की ओर आकृष्ट करने के लिये वेतन क्रम बढ़ाये जाने चाहियें । खैर, केन्द्रीय वेतन आयोग इस पर विचार करेगा । मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम विभिन्न प्रकार की प्राविधिक अथवा गैर प्रशासनिक सेवाओं को अच्छा वेतन-क्रम दे रहे हैं ।

व्यक्तित्व परीक्षण की भी बात कही गई है । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसे समाप्त कर देना चाहिये, परन्तु कुछ कह कहना है कि यह आवश्यक है । व्यक्तित्व परीक्षण केवल कुछ मामलों में ही रखा गया है और उस के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है । प्रशासनिक सेवाओं में जहां पदाधिकारियों को सारे जिले की स्थिति को नियंत्रण में रखना होता है, वहां विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का होना बड़ा आवश्यक है । पुलिस सुपरिंटेंडेंट अथवा जिलाधीश केवल वही लोग बनाये जा सकते हैं जिन का अच्छा व्यक्तित्व हो । इन पदों पर नियुक्त होने वाले लोगों का योग्य और सचेत होना आवश्यक है । कई मामलों में स्थिति को संभालने के लिये तुरन्त निर्णय करने की जरूरत होती है और थोड़ी सी कमजोरी से भी काम बिगड़ जाता है । अतः इस प्रकार के मामलों में केवल शैक्षिक विषयों की योग्यता से ही काम नहीं चल सकता । अतः व्यक्तित्व परीक्षण बड़ा आवश्यक है । यह देखना ही पड़ता है कि व्यक्ति का विकास कैसा होगा और वह अपेक्षित कार्य को किस प्रकार करेगा । कई बार ऐसे मामले आ उपस्थित होते हैं कि उन्हें मानवीय ढंग से हल भी करना होता है और प्रशासन की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है । इस प्रकार के कार्य के लिये अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही अपेक्षित होता है । अतः लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होने पर व्यक्ति की इन योग्यताओं का परीक्षण हो जाता है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** इस तरह से मंत्रियों का भी व्यक्तित्व परीक्षण होना चाहिये ? उन्हें तो सारे देश का नियंत्रण करना होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** हम तो प्रत्येक समय आप की अनुकम्पा पर आश्रित हैं। मंत्रियों को प्रत्येक समय आग से खेलना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि हम इस परीक्षण में सफल हैं।

पहले व्यक्तित्व परीक्षण में कम से कम निर्धारित अंक प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जा सकता था, चाहे उस की अन्य परीक्षाओं का परिणाम अच्छा क्यों न हो। पर अब नियम बदल दिये गये हैं और अब सब परीक्षाओं के प्राप्तांक मिला कर यदि कोई पास हो जाता है तो उसे ले लिया जाता है। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस प्रकार लिये गये पदाधिकारी कैसा काम कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वे काम अच्छा कर रहे हैं पर अभी से कुछ कह देना समय से पूर्व होगा। सामूहिक तौर पर प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा में नये भर्ती होने वाले अच्छा काम कर रहे हैं। हम सारे राष्ट्र के अच्छे-से-अच्छे लोगों में से इन सेवाओं के लिये चुनाव करते हैं। विश्वविद्यालय की डिग्री के अतिरिक्त उन्हें जीवन के अन्य व्यापक क्षेत्रों का तथा सामान्य ज्ञान भी काफी होना चाहिये। इस के साथ ही उन का अपना दृष्टिकोण और व्यक्तित्व भी होना चाहिये। यही कारण है कि सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं संघ लोक सेवा आयोग इस मामले में काफी सचेत रह कर कार्य करता है। पांच मिनिट में ही सारा व्यक्तित्व परीक्षण का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। व्यक्ति के सामान्य ज्ञान का परिचय प्राप्त करने के हेतु उस से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान प्रविधिक ज्ञान से भी अधिक महत्व की बात है। कभी-कभी उन्हें उसी समय किसी विषय पर भाषण देने के लिये भी कहा जाता है। सारे दिन में केवल ८ और १० लोगों को ही निपटाया जा सकता है। फिर आयोग पूर्ण रूप से यह जानने की कोशिश करता है कि अमुक व्यक्ति का किस दिशा में उचित रूप से विकास होगा। आयोग के साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिये। सलिये तो सारे अंकों को एकत्रित करने के नये प्रयोग का हम ने परीक्षण किया है। देखें यह कैसा चलता है। मानसिक चेतना के साथ साथ व्यापक दृष्टिकोण का होना भी बड़ा ही आवश्यक है। देश और विश्व की सामान्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी होना भी परम आवश्यक है। कारण यह है कि उस व्यक्ति को लाखों आदिमियों पर नियंत्रण करने के अतिरिक्त और भी कई विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं।

कहा गया है कि सरकार लोगों को नियुक्त कर के वर्षों उनको अस्थायी ही रखती है। यह बात गलत है। कई बार तो विभाग ही अस्थायी होते हैं। उस में तो यह शिकायत हो ही नहीं सकती कि उन्हें स्थायी नहीं किया जाता। दूसरे जो लोग काफी लम्बे अर्से तक अस्थायी रहते हैं, उन के लिये नियम बना दिया गया है कि यदि उन की तीन वर्ष की सन्तोषजनक सेवा है, तो उन्हें अस्थायी घोषित कर दिया जाय। इस के साथ ही वित्त मंत्रालय ने दो तीन वर्ष हुए आदेश दे कर ८० प्रतिशत अस्थायी लोगों को स्थायी करा दिया था। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अस्थायी कर्मचारियों की छंटकी कर दी जाये ? यदि नहीं, तो एक दम उन्हें स्थायी कैसे किया जा सकता है। विभिन्न क्रमों के पदाधिकारियों की आकृत संख्या निर्धारित है, किसी समय इस में वृद्धि भी करनी पड़ती है। परन्तु सभी अस्थायी पदाधिकारियों को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। छंटनी हम करना नहीं चाहते। हम उन्हें अच्छी सेवा शर्तों में रख रहे और समय आने ही जितने लोगों को स्थायी करना सम्भव होगा, कर दिया जायेगा। हाल ही में हम ने नियम बनाया था और वह नियम सदन के समक्ष रखा भी था कि अब कोई मंत्रालय और विभाग पूर्व अनुमति लिये बिना किसी भी प्रकार अस्थाई स्थानों का निर्माण नहीं कर सकेगा दूसरे ऐसे सभी अस्थायी पदों के लिये जो एक वर्ष से अधिक चलने वाले होते हैं संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। यदि मंत्रालय यह निश्चय करता है कि ३ या ६ महीनों बाद कोई विशेष स्थान स्थायी हो जायेगा, तो उस सम्बन्ध में तत्काल

†मूल अंग्रेजी में

आयोग की सलाह लेनी होती है । हम ने इस सम्बन्ध में नियम बनाये हैं और चाहते हैं कि अस्थायी कमचारियों की अवस्था में सुधार हो । उन्हें स्थायी बनाने के लिये हमने उन्हें नियमित अस्थायी संस्थापन में रख दिया है । स्थान रिक्त होते ही वे स्थायी बना दिये जाते हैं । पांच वर्ष पूर्व के नियमित अस्थायी संस्थापन के सभी व्यक्ति स्थायी घोषित किये जा चुके हैं । अब हम ने दूसरा नियमित अस्थायी संस्थापन आरम्भ किया है ।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि विभिन्न मंत्रालयों में ३० से ६० प्रतिशत तक लोग अस्थायी हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि कोई कारण आने पर इन सभी अस्थायी व्यक्तियों की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं तब भला हम उन्हें किस प्रकार अस्थायी बना सकते हैं । एक ओर हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं । यह भी ठीक नहीं है । हम केवल एक विहित संख्या तक व्यक्तियों को अस्थायी बना सकते हैं । साथ ही हम सभी अस्थायी व्यक्तियों की छंटनी भी नहीं करना चाहते हैं । स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर भी पूणतः व्यावहारिक है । हमने उन के हितों की रक्षा के लिये ही उन्हें रखा हुआ है । यदि सरकार इस संबंध में उदारतापूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाती तो उन में से बहुत से व्यक्तियों की बहुत पहिले ही छंटनी हो गई होती ।

मेरे माननीय मित्र ने यह पूछा है कि औद्योगिक व्यवस्था पुंज के अधीन विभिन्न मंत्रालयों के लिये पृथक पृथक रूप से कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। कुछ ही मंत्रालयों को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । हमने उन से विभिन्न वेतन क्रमों की आवश्यक व्यक्तियों की संख्या मांगी थी । तथापि उन्हें इस कार्य में कठिनता अनुभव हुई इतने पर भी उन्होंने विभिन्न वेतन-क्रमों के अधीन पृथक-पृथक व्यक्तियों की सिफारिश की है । हम यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को खपाना चाहते हैं । हम तत्काल ७५ व्यक्तियों को नियुक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम और व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे । वस्तुतः हम इस संबंध में जो कुछ कर रहे हैं वह इस प्रकार है । वेतन-क्रम के अनुसार विभिन्न सिफारिशें की गई हैं । मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है । वेतन-क्रमों के अनुसार अधिकारियों के नाम दिये गये हैं । वेतन स्तर संबंधी आयोग की सिफारिशें तैयार करते हुए उनकी उचित पदों पर नियुक्ति की जायेगी । बहुत से सदस्यों ने आलोचना करते समय सरकरी व्यवस्था को लोहे का ढांचा कहा गया है । यह बात गलत है यह व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है । उसे सरकारी कार्य को पूर्णतः कुशलता से चलाना है । अतः माननीय सदस्यों को ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिये । क्योंकि योजनाओं को क्रियान्विति के लिये हमारी सरकारी नौकरों पर ही निर्भर रहना होता है । उन के सम्बन्ध में ऐसी बातें करना उचित नहीं है । यदि कोई ऐसा उदाहरण सरकार के समक्ष लाया जायेगा तो सरकार उस पर विचार करेगी और उचित कार्यवाही करेगी, तथापि सारे अधिकारियों को अनुदार कहना और यह आरोप लगाना कि वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं राष्ट्र हित के प्रतिकूल है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने यह सुझाव दिया है कि आयोग में एक न्यायाधीश भी रहना चाहिये । इस काम में सेवा संबंधी समस्याओं पर विचार करना होता है । इस के लिये न्यायाधीश होना आवश्यक नहीं है । पिछले १० वर्षों में वहां एक न्यायाधीश भी थे । संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुछ अनर्हतायें भी होती हैं । वे पद निवृति के पश्चात् सरकारी सेवा में नहीं आ सकते हैं । अतः इस पहलू पर भी विचार करना होता है । जब न्याय संबंधी पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं तो बम्बई में यह प्रथा है कि सामान्यतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी जिस में लोक सेवा आयोग के सदस्य थे । इस प्रकार जब कभी उन की सेवाओं की आवश्यकता होती है उन का लाभ उठाया जाता है ।

जब कभी सामान्य क्षेत्र से बाहर की बातें होती हैं और टैक्नीकल ज्ञान आवश्यक होता है तो संघ लोक सेवा आयोग सहायक सदस्यों की सहायता लेता है। यद्यपि संघ आयोग उन की राय मानने को बाध्य नहीं है तथापि उम्मीदवार के चुनाव में उन के टैक्नीकल ज्ञान, अनुभव तथा प्रशासनिक अनुभव की सहायता की जाती है। व्यक्ति उपलब्ध होते हैं तो टैक्नीकल पदों के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं। अयोग ने ऐसी ७५ महत्वपूर्ण टैक्नीकल पदों का उल्लेख किया है। कई मामलों में अधिसूचना जारी करने और विज्ञापन देने के पश्चात् भी हमें उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिले। इसीलिये आयोग ने हमारी सहमति से ऐसे व्यक्तियों के मामले पर भी विचार किया जिन्हों ने आवेदन भी नहीं किया था। इसलिये हमें विदेशों में स्थित भारतीय निवासियों को नियुक्त करना होता है और हम ने उन की एक सूची बनाई हुई है। अक्सर यह होता है कि आयोग का एक सदस्य विदेश जाता है वह उमीदवार के संबंध में सारे तथ्य तथा उस के व्यक्तित्व के संबंध में अपनी राय लिख लेता है। भारत लौटने पर बोर्ड उस सारे कामले पर विचार करता है। इसलिये ऐसे मामलों में मनमानी करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उन व्यक्तियों को अपने व्यय पर यहां बुलाना संभव नहीं है और न यह संभव है कि उन्हें यहां तक आने का सारा व्यय दिया जाय अतः यह प्रथा अपनायी जाती है। इस में सन्देह नहीं कि यह कार्य एक हो सदस्य के द्वारा किया जाता है तथापि सामान्यतः बोर्ड के अध्यक्ष ही विदेश जाते हैं।

केरल के माननीय सदस्य ने कहा था कि केरल निवासियों में यह भावना फैली हुई है कि उन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। वस्तुतः यदि कहीं न्यायोचित व्यवहार किया जाता है तो वह अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सेवाओं में होता है जहां केवल योग्यता के आधार पर निर्णय किया जाता है। अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में भी उन्हों ने अनुचित बातें कहीं हैं हम ने अपने नियमों में ही यह उल्लिखित किया है कि अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में नियमों में ढ़ील दी गई है।

जहां तक संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों का प्रश्न है पहिले वे केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते थे तत्पश्चात् हम ने सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के सहयोग से यह नियम बनाया कि प्रादेशिक भाषाओं के पांच या छः समाचार पत्रों में भी यह विज्ञापन दिये जायें। केरल के सम्बन्ध में एक लोक प्रिय पत्र लिया गया जिस का नाम शायद मनोरमा था। यद्यपि हम ने केवल पांच भाषाओं के पत्रों का चुनाव किया तथापि हम ने केरल तथा वहां के लोकप्रिय पत्र को वर्षों पहिले मान्यता दी। परीक्षा केन्द्र वहीं स्थापित किया जा सकता है जहां विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होती हैं। केरल से उतने विद्यार्थी परीक्षाओं में नहीं बैठते जितना एक केन्द्र खोलने के लिये आवश्यक हैं। यदि वहां से परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाय तो वहां भी एक केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता है।

यह सामान्य प्रश्न उठाया गया था कि स्तर गिरता जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न पहिले भी उठाया था। हम शिक्षा मन्त्रालय के सहयोग से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय को इस प्रश्न पर राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के परामर्श से विचार करना होगा।

इस प्रश्न पर तुरन्त विचार होना चाहिये—इस पर सम्बद्ध पदाधिकारी विचार कर भी रहे हैं। हमें स्तर के ऊंचा उठने से निस्सन्देह प्रसन्नता होगी।

हिंदी आदि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण के प्रश्न भी किये गये थे। हमारे पास संसदीय समिति तथा आयोग का प्रतिवेदन आ गया है और यथासम्भव शीघ्र हम इन में की गयी सिफारिशों पर विचार करेंगे।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग आई० ए० एस० में जाते हैं वह उतना परिश्रम अब नहीं करते जितना कि पहले अफसर लोग किया करते थे ।

†**श्री दातार** : यह बात ठीक नहीं है । हमारे आई० ए० एस० पदाधिकारियों के प्रति भी यह उचित नहीं है। मैं ने स्वयं इन पदाधिकारियों द्वारा जिले में किया जा रहा अच्छा काम देखा है । अत्यन्त नम्रता से मैं यह कहता हूं कि मैं ने माननीय सदस्य की अपेक्षा अधिक जिले देखे हैं । मैं समझता हूं कि हमारे पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं । केवल उन्हें प्रशासनिक कार्य ही नहीं करना पड़ता बल्कि वे विकास का कार्य भी कर रहे हैं । उन्हें जनता के सहयोग से ही यह काम करना होता है ।

श्री विभूति मिश्र : जब मिनिस्टर साहिब वहां नहीं रहते उस वक्त भी वह इसी तरह काम करें तो उन के लिये यह कहा जा सकता है

†**श्री दातार** : इसी बात का पता लगाने का प्रयत्न तो मैं ने किया है । मैं ने पाया है कि काम अच्छा हो रहा है और हमारी आकांक्षा भी स्तर को बढाने की है । फिर हरिजनों को भी ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे । यह कहा नहीं जा सकता कि उन की संख्या कम है । इस संख्या में उन जातियों के विकास के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि होगी दुर्भाग्य से हरिजनों ने शिक्षा की ओर देर से ध्यान दिया है अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर आग्रह न करें कि एक व्यक्ति को केवल हरिजन होने के नाते ही ले लिया जाये । हम ने उन के लिये स्तर में ढ़ीली दी है । किन्तु स्तर को बिल्कुल ही छोड़ा नहीं जा सकता । आखिर इस समय हमें ज्यादा कुशल लोगों की आवश्यकता है । हम ने इतनी ही ढ़ील दी है कि उस से दक्षता पर बुरा प्रभाव न पड़े । उन की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है ।

मेरे मित्र गलत कह रहे हैं, क्योंकि आयुक्त के प्रतिवेदन पर हुए वादविवाद पर अभी हाल ही में, मैं ने बताया था कि हम ने इलाहबाद विश्वविद्यालय से १०० विद्यार्थियों को पढाने की प्रार्थना की है और लगभग ७५००० विद्यार्थियों का खर्च हम उठाते हैं । हरिजनों का उद्धार इस प्रकार की रचनत्मक कार्यवाही से हो सकता है । हम आवश्यकतानसार संरक्षण भी देते हैं । किन्तु हमें राष्ट्र के व्यापक हितों पर भी ध्यान रखना पड़ता है जिसे हम एक कल्याणकारी राज्य का रूप दे रहे हैं । इस के लिये अधिक दक्षता की आवश्यकता है । अतः यह कहना ठीक नहीं कि उन की संख्या कम है । इन पदों को किसी को खुश करने के लिये ही नहीं दिया जा सकता ।

प्रथम श्रेणी तथा प्रथम ग्रेड के पद महत्वपूर्ण पद होते हैं । जहां तक भारतीय प्रशासनिक किसी की विशेष भर्ती का सम्बन्ध था, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं । लिखित परीक्षा के बाद पहले संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्ररीक्षार्थियों को चुना । शायद उन की संख्या २६ थी । हम ने आयोग से प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो वह इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बलाये । अतः इन २६ के अतिरिक्त उन्हों ने १०० और लोगों को चुना । हरीजनों के सात और आदिम जातियों के ३ या ४ उम्मीदवारों को सब से इंटरव्यू ले लेने के बाद चुना गया था । पहले तो २६ ही चुने गये थे ।

हमें एक न्यूनतम स्तर तो रखना ही है । हरिजन सदस्यों को हमारी कठिनाइयां समझनी चाहियें । हमें उन से पूरी सहानुभूति है । किन्तु कुछ कठिनइयां हैं । गत तीन चार वर्ष में संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । १०२ में से ७ का चुनाव बुरा नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** (नासिक) : जब २६ चुने गये थे केवल सात क्यों लिये गये ?

†**श्री दातार**: २६ उम्मीदवार तो इंटरव्यू के लिये चुने गये थे। वस्तुतः कुल मिलाकर २०,००० उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे । लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने इंटरव्यू के लिये १००० लोगों को

---

†मल अंग्रेजी में

चुना। पहले पहल २६ हरिजनों को इंटरव्यू के लिये चुना गया हम ने अनुभव किया यह संख्या पर्याप्त नहीं है अतएव आयोग ने इंटरव्यू के लिये १०० और हरिजनों को बुलाया। यह चुनाव केवल इंटरव्यू के लिये था। पहले इंटरव्यू के लिये आयोग ने केवल २६ व्यक्तियों को चुना था।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार आयोग को वह शिकायत नहीं कर सकती कि आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की अलग अलग सूचियां बनवाये। माननीय मंत्री यह आसानी से करवा सकते हैं।

†**श्री दातार** : इस प्रतिवेदन से हमें प्रसन्नता हुई है। उस में इससे ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमें पता है कि वे क्या कर रहे हैं।

हमें उन पर पूरा भरोसा करना पड़ता है। अतः मैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उन के परिश्रम तथा ईमानदारी के काम पर धन्यवाद देता हूं।

इस सभा के लगभग सभी सदस्यों ने भी आयोग के सदस्यों के काम की सराहना की है और यह बड़ी खुशी की बात है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन पर जो २४ नवम्बर १९५८ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) निलभों के बारे भें प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) नियम, १९५५ (३-३-५९ तक संशोधित रूप में), जो १३ मार्च, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये थे, में रूपभेद करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं यह संकेत करना काहता हूं कि मेरा तात्पर्य आधे घंटे की चर्चा से था। मेरा ख्याल था कि यह इन नियमों के सम्बन्ध में विचार करने का प्रस्ताव नहीं है और इन में संशोधन नहीं किया जा सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का यह निर्णय है कि जब ऐसे नियम सभा पटल पर रखे जाते हैं तो सभा को उनमें रूपभेद करने का अधिकार है, चाहे अधिनियम में वैसा कहा गया हो अभवा नहीं। ये रूपभेद या संशोधन इस प्रकार होंगे कि सभा उन की सिफारिश करेगी और सरकार तदनुसार रूपभेद करेगी।

दूसरी बात यह है कि इस विषय के लिये आधे घण्टे का समय ही तय किया गया था।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम्)** : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस के लिये कुछ समय और दिया जाय। संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है, अतः उसे अगले सत्र तक स्थगित कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि सभा सहमत हो कि संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर विचार को अगले सत्र के लिये स्थगित कर दिया जाये तो मैं इसके लिये ३० मिनट के बजाय ४५ मिनट देने के लिये तैयार हूं। परन्तु हमें पांच बजे तक कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिये क्योंकि आज अन्तिम दिन है। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि आज हम इसी प्रस्ताव को लें ?

†**अनेक मानय सदस्य :** जी हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तो संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर अगले सत्र में चर्चा होगी ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्:** (कुम्भकोणम्) मेरा निवेदन है कि इन नियमों में संशोधन करना हमारे लिये अनुचित होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसमें अनौचित्य की कोई बात नहीं है । यदि सभा उन में कोई रूपभेद करना चाहती है तो वह सरकार से वैसी सिफारिश कर सकती है। इस में कोई अनियमितता नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : जब मैं ने समाचारपत्रों में यह पढ़ा कि सरकार ने केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) नियम, १९५५ में संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों को कुछ रियायतें दी हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। परन्तु जब मैं ने उन संशोधित नियमों को पढ़ा तो मालूम हुआ कि कोई विशेष रियायतें नहीं दी गई हैं। कुछ धारायें जो १९५७ में डाक तथा तार कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी के समय जोड़ी गई थी, अर्थात् नियम ४क और ४ख , उन्हें नहीं हटाया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य भाषण देने लगे। पहले उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने चाहियें ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सिफारिश करती है कि तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ के उत्तर के सम्बन्ध में १३ मार्च, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये ३-३-५९ तक संशोधित केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) नियम, १९५५ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :

(१) नियम १ के उपनियम (२) में दूसरे परन्तुक एवं व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाये, अर्थात्—

"परन्तु शर्त यह है कि नियम ३क, ९, नियम १० के उपनियम (२) की व्याख्या, नियम ११, नियम १२ का उपनियम, (२), नियम १३, नियम १५ का उपनियम, (१), (२), और (३) नियम १६, १७ और १८ ५०० रुपये मासिक अथवा उस से कम वेतन पाने वाले और रेलवे से भिन्न किसी भी सरकारी संस्थानपन में अराजपत्रित पदधारण करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे; "

(२) नियम ४ (क) निकाल दिया जाय ।

(३) नियम ४ (ख) निकाल दिवा जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) नियम ५ के उपनियम (१) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये, अर्थात्—

"परन्तु शर्त यह है कि यह मंजूरी उस सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो ऐसे सरकारी कर्मचारियों की किसी ट्रेड यूनियन अथवा सेवा संघ का पदधारी हो ऐसे ट्रेड यूनियन अथवा सेवा संघ के किसी भी प्रकाशन के सम्बन्ध में, आवश्यक नहीं होगी।"

(५) नियम ६ के खंड (१) के परन्तुक में "ट्रेड यूनियन" के पश्चात् और "सर्विस ऐसोसियेशन" शब्द जोड़ दिये जायें।

पिछले दिन सभा में यह बताया गया था कि १९५७ में नियम ४ क और ४ ख सम्मिलित किये जाने से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि निमम ४क का उल्लंघन करने के लिये ९४१ व्यक्तियों पर दोषारोपण किया गया। इनमें से २०७ को दंडित भी किया जा चुका है। शेष मामलों में अभी विचार किया जा रहा है। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नियम ४ क और ४ख का बहुत विरोध करते हैं। पता नहीं उन्हें अब तक वापस क्योंनहीं लिया गया है।

नियम १ के उपनियम (२) के दूसरे परन्तुक में कुछ संस्थापनाओं के कर्मचारियों को कुछ नियमों से छूट दी गई है। मेरा संशोधन यह है कि वह छूट समस्त सरकारी कर्मचारियों को दी जानी चाहिये जिन का वेतन ५०० रुपये तक है। इस प्रकार का भेदभाव ठीक नहीं कहा जा सकता। सरकारी कर्मचारियों का आचरण बहुत संतोषजनक रहा है इसलिये इस नियम ४क को हटा लिया जाना चाहिये।

इस के बाद नियम ४ख को लीजिये। उसमें कहा गया है कि कोई कर्मचारी किसी संघ में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जबतक उसके रजिस्ट्रेशन के ६ महीनों के अन्दर वह मान्यता न प्राप्त करें। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में मान्यता परिनियत नहीं है। वरन् विवेक पर निर्भर है। उदाहरण के लिये देहरादून में सर्वे आफ इंडिया के अन्तर्गत एक संघ है जो पिछले दस वर्षों से भारत सरकार से लिखा पढ़ी कर रहा है परन्तु उसे अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। मेरा निवेदन है कि यह संविधान के अनुच्छेद १९ के विरुद्ध है। जिस में नागरिकों को स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है। नियम ४(ख) कर्मचारियों को ऐसे संघ में सम्मिलित होने के लिये बाध्य करता है जो उन की पसन्द का न हो। इसलिये इस नियम को समाप्त किया जाना चाहिये। जहां तक मान्यता दिये जाने का प्रश्न है केवल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा पोषित संघों को ही सरकार मान्यता देती है। यही नहीं दी गई मान्यता को भी इच्छानुसार वापस लिया जा सकता है जैसा कि मेरे संघ के संबंध में किया गया था। यह हमारे मौलिक अधिकारों के उपहास है।

मेरे चौथे संशोधन में यह कहा गया है कि ट्रेड यूनियनें अथवा सेवा संघों को अपने विचार प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता दी जाये। अभी न तो सरकारी कर्मचारी समाचार पत्र में कोई खबर निकलवा सकते हैं और न वक्तव्य दे सकते हैं।

इस प्रकार मेरे सारे संशोधन स्वीकार किए जा सकते हैं यदि हम वास्तव में प्रजातांत्रिक अधिकारों में विश्वास करते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उनको स्वीकार करलें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस से सरकार का नुकसान हो। यदि समय होता तो मैं इस बात के प्रमाण उपस्थित करता कि बहुत से देशों में सरकारी कर्मचारियों को हमारे यहां से कहीं ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। मैं कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेत हूं। मैं यह नहीं चाहता कि वे सदा प्रदर्शन करते रहें। परन्तु जो मांगें ठीक हों उन के संबंध में प्रदर्शन करने का अधिकार उन को अवश्य मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संशोधनों को स्वीकार करें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ५-६ लाख सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं। हमारे देश में ट्रेड यूनियन संगठन बहुत कम है। इन संशोधित नियमों से भी ट्रेड यनियनों के निर्माण को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। दूसरी पंच वर्षीय योजना में स्पष्ट कहा गया है कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो ट्रेड यनियनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। परन्तु इन नियमों से ट्रेड यनियनों के स्वस्थ विकास में अड़चन होती है। नियम ४-क और ४-ख संविधान की भावना के विरुद्ध हैं। उन्हें किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता।

सरकार कर्मचारियों की मांगों की ओर तब तक कोई ध्यान नहीं देती जब तक कि वे कोई धमकी न दें। दूसरे वेतन आयोग की स्थापना की मांग की गई थी परन्तु वह तब तक नहीं मानी गई जब तक कि डाक तथा तार कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस नहीं दिया। प्रत्येक ट्रेड यूनियन हड़ताल को मान्यता देती है। सरकार ने ५-६ लाख कर्मचारियों को इस अधिकार से वंचित कर रखा है। ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया है तथा इसका क्या औचित्य है ? मेरा अनरोध है कि माननीय मंत्री इस पर पुनर्विचार करें।

नियम ४(ख) के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसे संघ का सदस्य नहीं हो सकता जिसको मान्यता न प्राप्त हो। यह ट्रेड यूनियन अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है। इस बन्धन को हटाया जाना चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के संघ का सदस्य बन सके। खेद है कि ट्रेड यनियन अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। उसमें समस्त संघों के लिये संविहित मान्यता का उपबन्ध किया गया था। परन्तु सरकार उसके विपरीत छोटी-छोटी बातों पर मान्यता वापस ले लेती है। मेरा अनरोध है कि माननीय गृह मंत्री अनिवार्य मान्यता के लिये कोई नियम बनायें।

इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियनों के पद धारियों द्वारा वक्तव्य जारी किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। यदि कर्मचारियों की कोई कठिनाइयां हैं तो उन्हें व्यक्त करने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिये। इसके लिये पत्र-पत्रिकायें निकाल सकते हैं। जब ये कठिनाइयां पत्रों द्वारा अधिकारियों की जानकारी में लाई जायेंगी तभी तो उनका निराकरण किया जा सकेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं इन चीजों में संशोधन किया जाय।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): मैं केवल एक बात का संकेत करना चाहता हूं। नियम १ में यह कहा गया है कि नियम १८ ५०० रुपये या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर एक जीवित पत्नी रहते हुए दूसरा विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। मेरे विचार से यह असंगत है। कम वेतन पाने वाले एक से अधिक विवाह कर सकें यह विचित्र बात है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं भी संक्षेप में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम इन आचार नियमों में कर्मचारियों के आन्दोलन के परिणामस्वरूप किये गये परिवर्तनों के लिये मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। इन नियमों में कुछ कर्मचारियों को छूट दी गई है। परन्तु अन्य कर्मचारियों को यह छूट क्यों नहीं दी गई ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बतायें कि उनको छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात नियम ४-क और नियम ४-ख के सम्बन्ध में है जिसके सम्बन्ध में श्री त० ब० विट्ठल राव तथा श्री स० म० बनर्जी काफी प्रकाश डाल चुके हैं। श्री दौलता द्वारा प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम ६ में जो संशोधन संख्या ५ रखा गया है वह बहुत सादा है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा उसके स्वीकार न किये जाने का क्या कारण है ?

चौथे कर्मचारियों द्वारा रेडियो पर भाषण दिये जाने तथा समाचार पत्रों में लेख लिखे जाने पर कुछ अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। क्या ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, फ्रान्स आदि देशों में भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध हैं ? फिर क्या कारण है कि ये प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं ?

माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री ने मांगों पर चर्चा के दौरान यह कहा था कि नियम ४-क के कारण सामान्य ट्रेड यनियन कार्यों को कम नहीं किया जायेगा। इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि इन नियमों में उपयुक्त परिवर्तन किये जाय, यदि किन्हीं कर्मचारियों को छूट नहीं दी जाती है तो सभा को उसके विशेष कारण बताये जायें।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : ये नियम केवल मध्यवर्गीय सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू हैं। अन्य सात प्रकार के कर्मचारियों को इनसे विमुक्त रखा गया है। इन लोगों पर ये आचार नियम तो लागू किये जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके पक्ष में क्या व्यवस्था की गई है ? संविधान के अनुच्छेद ३११ में यह व्यवस्था जरूर है कि उसे नोटिस दिया जाना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : प्रतिरक्षा कर्मचारियों को विमुक्त तो अवश्य किया गया है, पर वे अनुच्छेद ३१० के कारण, इस अनुच्छेद ३११ का कोई लाभ ही नहीं उठा सकते। उच्च-न्यायालयों ने ऐसे सभी मामले खारिज कर दिये हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता और प्रतिरक्षा संस्थान इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : लेकिन संविदा की शर्त के अनुसार, हरकार एक महीने का नोटिस देकर किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकती है। न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यही तो कठिनाई है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : लेकिन तब वह अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत नहीं होगा, माननीय सदस्य जो उदाहरण दे रहे हैं वह औद्योगिक इकाइयों का है। वहां सरकार नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकती है। उनको विमुक्ति दी गई है। यदि सरकार संस्थायें बनाने का अधिकार दे दें, तो फिर उन में कोई व्यवस्था ही नहीं रह जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

इसके लिये, माननीय सदस्य ने अनुच्छेद १९(१)(ग) का हवाला दिया है, जो संस्थायें या संघ बनाने के अधिकार के सम्बन्ध में है। लेकिन वह व्यवस्था, अनुच्छेद १९(४) के अधीन है, जिसमें कहा गया है :

> "उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।"

इसलिये, इन नियमों के क्षेत्राधिकार में सरकारी बाबू लोग ही आते हैं, जिन्हें निवृत्ति-वेतन ही नहीं, सरकार द्वारा जुटाई गई अन्य बहुत सी सुविधायें भी मिलती हैं। वे अनुच्छेद ३११ का भी लाभ उठा सकते हैं।

†**श्री दातार :** सब से पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद १९ इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि, अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारियों पर सरकार कुछ प्रतिबन्ध लगा सकती है। अभी हाल के आदेशों में भी कई ऐसे प्रतिबन्ध हैं जो, संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन किये बिना, सरकारी कर्मचारियों पर लगाये जा सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनता है, तो वह केन्द्रीय असैनिक सेवा आचार नियम के अधीन रहना स्वीकार कर लेता है, इसलिये अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत भी इन नियमों को मान्य ही समझा जायेगा। इस सम्बन्ध में, शरू से ही कुछ नियम बने हुए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता, पर जिन्हें कोई भी निजी नागरिक कर सकता है। अभी हाल में कुछ ऐसी घटनायें हुई थीं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, हड़तालों की कुछ ऐसी धमकियां सरकार को दी गई थीं कि उनसे सारी प्रशासकीय व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया था। इसीलिये, समूचे राष्ट्र के हित को देखकर, यह उचित समझा गया कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसी हड़तालें करने का अधिकार नहीं रहना चाहिये। इसीलिये नियम ४(क) में यह व्यवस्था रखी गई है :

> "कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों सम्बन्धी किसी भी मामले के सिलसिले में किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा और न किसी भी रूप में कोई हड़ताल करेगा।"

इस व्यवस्था को अत्यावश्यक समझा गया है।

नियम ४(ख) के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारी उन संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। विभिन्न सरकारी कर्मचारियों में भी अन्तर होता है। एक मोटे तौर पर सभी सरकारी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो असैनिक सरकारी कर्मचारी होते हैं। वे सरकार के विभिन्न विभागों में काम करते हैं—वे प्रशासकीय सेवाओं में होते हैं, प्रबन्धकों के पदों पर होते हैं। उनको एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। उनके लिये कुछ नियम बने हुए हैं। और, दूसरी श्रेणी में औद्योगिक कर्मचारी आते हैं।

पहले जब यह नियम बनाया गया था, तब इसे केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम में शामिल किया गया था। तब प्रश्न यह उठा था कि यह नियम सामान्यतया असैनिक कर्मचारियों पर लागू होगा या नहीं, हालांकि केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम दोनों श्रेणियों की सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

सेवाओं पर लागू किये जा सकते हैं। प्रश्न यह था कि अमान्य संस्थाओं में शामिल होने या हड़तालों में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने वाला यह नियम औद्योगिक श्रमिकों पर भी लागू होना चाहिये।

सभी जानते हैं कि श्रमिकों के सम्बन्ध में हमारे यहां दूसरा ही विधान है, और उसके अन्तर्गत सरकार के अधीन श्रमिकों सहित, सभी औद्योगिक श्रमिकों पर दूसरे ही तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इसलिये, केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम में ४(क) और ४(ख) जोड़ने के बाद इस पूरे प्रश्न पर विचार किया गया कि ये प्रतिबन्ध औद्योगिक कर्मचारियों पर भी लागू किये जायें या नहीं।

इस सिलसिले में कई मंत्रियों से परामर्श किया गया था। उसके बाद, सरकार ने निर्णय किया कि इन नियमों को सभी औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू करने की बजाय औद्योगिक कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को इनसे विमुक्त कर दिया जाये। इसीलिये विमुक्तियां दी गई थीं। अब वर्तमान नियम में एक परन्तुक जोड़ दिया गया है, जिसमें विशेषकर इन दो नियमों से कुछ श्रेणियों को विमुक्त कर दिया गया है। संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्यों ने मुख्यतया इन दो नियमों —४ (क) और ४(ख) का ही उल्लेख किया है।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम के संशोधित रूप में कहा गया है कि वे नियम सामान्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। रेलवे कर्मचारियों के अपने नियम अलग हैं, जो अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिये बनाये गये नियमों के अनुकूल हैं।

फिर, यह भी व्यवस्था की गई :

> "यह भी व्यवस्था की जाती है कि नियम ३क, ४क और ४ख ५०० रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले और इनमें से किसी भी संस्थान में अघोषित पदों पर रहने वाले, सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे.....।"

श्री त० ब० विट्ठल राव ने इस स्थिति को थोड़ा समझा है। उनका मत है कि चूंकि इन नियमों के प्रवर्तन से सेवाओं या संस्थानों की कुछ श्रेणियों को विमुक्त कर दिया गया है, इसलिये सभी सरकारी कर्मचारियों को इनसे विमुक्त कर देना चाहिये। ध्यान देने की बात है कि कुछ संस्थानों के कर्मचारियों को यह विमुक्ति रियायत के तौर पर ही दी गई है हालांकि कुछ मापों में वे भी अन्य औद्योगिक कर्मचारियों की तरह ही हैं। हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि यह एक रियायत ही है। इसलिये कि इन संस्थापनों के कर्मचारियों या सदस्यों पर इन नियमों को प्रभावी बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है। इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है—पत्तनों, गोदियों, प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त प्रतिरक्षा संस्थापनों, लोक निर्माण संस्थापनों में विशेष कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों (वर्क चार्ज्ड स्टाफ) आदि को ही यह रियायत दी गई है।

कुल सात श्रेणियों के संस्थापनों को विमुक्ति दी गई है। अब भारतीय सदस्य चाहते हैं कि इसी तरह सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को विमुक्ति दे दी जाये।

सरकार ने इस पर काफी विचार किया है और यथासम्भव अधिक से अधिक विमुक्तियां दे दी हैं। सरकार चाहती है अत्यावश्यक सेवाओं के संचालन में कोई भी किसी किस्म की अड़चन पैदा न हो। सरकार ने सोच कर देख लिया है कि वह इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती

नियम ६ देखिये हालांकि नियम ४ख में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी अमान्य संस्था या कार्मिक संघ का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन नियम ६ के साथ एक परन्तुक भी जोड़ा

[श्री दातार]

गया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कार्मिक संघों या संस्थाओं के सदस्यों को अपने विचारों का सदाशयपूर्ण व्यक्तिकरण करने का अधिकार रहेगा ।

कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार कार्मिक संघों के सदस्यों को सदाशयपूर्ण ढंग से अपने विचार व्यक्त करने या अपने कष्ट बताने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहती । नियम ४क और ४ब को नियम ६ के परन्तुक के साथ रख कर ही पढ़ना चाहिये । मैं समझता हूं कि इतनी गारण्टी काफी है ।

जिन संस्थापनों को विमुक्त नहीं किया गया है, उनके कर्मचारी अपनी दशा या अपनी दशा के सुधार के सम्बन्ध में सदाशयपूण ढंग से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । इन सभी चीजों को देखते हुए, अब सरकार इन नियमों में और अधिक संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती । वैसे तो यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किये जा सकते थे, लेकिन कुछ श्रेणियों को विमुक्ति देने में सरकार ने रियायत ही की है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर और आग्रह न करें ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** ये नियम ब्रिटिश शासन-काल में बनाये गये थे । उस समय भी आज जितनी ही हड़तालें होती थीं तब सरकार ने उनका संशोधन ही क्यों न नहीं किया।

†**श्री दातार :** आज तो कुछ मामलों में परिस्थिति उससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई है । नियमों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना ही पड़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इन प्रस्तावों पर आग्रह किया जा रहा है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** इनको मौखिक मतदान के लिये रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि इन विधेयकों के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५९; और

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५९

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभी माननीय सदस्यों के सक्रिय सहयोग के लिये उनका बड़ा आभारी हूं । इस सत्र में बहुत से ऐसे विषय सामने आये, जो बड़े विवादग्रस्त थे । लेकिन सभी ने बड़े संयम से उन पर चर्चा की । मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य अगले सत्र में फिर एक नयी ताज़गी लेकर लौटेंगे, जिससे कि और अधिक कार्य किया जा सके और जनता को विश्वास दिलाया जा सके कि संसद् जनता के अधिकारों और उसकी स्वतन्त्रता की संरक्षक है । अब सभा अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई

---

†मूल अंग्रेजी में

[शनिवार, ९ मई, १९५९
१९ वैशाख, १८८१ (शक)]

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	७६२३
अध्यक्ष महोदय ने डा० केशवलाल विट्ठलदास ठक्कर के, जो अन्तःकालीन संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।	
उसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७६२३–२४
निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—	
(१) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिनियम की प्रथम अनुसूची की तालिका 'क' के विनियमों में कुछ परिवर्तन करने वाली दिनांक २ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५२१ की प्रति ।	
(२) उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८ की एक प्रति ।	
(३) जाली पारपत्रों की जांच के सम्बन्ध में विवरण की एक प्रति ।	
(४) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की सातवें सत्र में हुई बैठकों (ग्यारहवीं से तेरहवीं) के कार्यवाही-सारांश ।	
राज्य सभा से सन्देश	७६२४—२६, ७६७०
(१) सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेशों की सूचना दी कि राज्य-सभा निम्नलिखित विधेयकों को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्तावों से सहमत है :—	
(क) भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक ।	
(ख) भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक ।	
(ग) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक ।	
(घ) समवाय (संशोधन) विधेयक ।	

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से सन्देश—(क्रमशः)

(२) सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त इन संदेशों की सूचना भी दी कि राज्य-सभा को, लोक-सभा द्वारा ६ मई, १९५९ को पारित निम्नलिखित संशोधनों के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(क) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५९ ।

(ख) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५९ ।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ७६२६

अठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७६२६—२९

श्री स० म० बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्यों में असाधारण वृद्धि और उसके बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की ओर खाद्य और कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ७६२९

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों पर लागू करने वाली अधिसूचनाओं के सभा-पटल पर रखे जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विशेषाधिकार का प्रश्न ७६३०

अध्यक्ष महोदय ने श्री फ्रैंक एन्थनी को उस विशेषाधिकार प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी, जो वह ७ मई, १९५९ को उठाना चाहते थे और जो अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी उनके द्वारा २४ अप्रैल, १९५९ को प्रस्तुत किये गये संकल्प के सम्बन्ध में एक सदस्य द्वारा उनके विरुद्ध कही गयी कुछ कथित बातों के सम्बन्ध में था ।

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ७६३०, ७६३१—७१

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय असैनिक कर्मचारी (आचार) नियमों के बारे में प्रस्ताव . . ७६७१—७८

केन्द्रीय असैनिक कर्मचारी (आचार) नियम, १९५५ में रूपभेद के बारे में श्री स० म० बनर्जी ने पांच प्रस्ताव प्रस्तुत किये । गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई

दूसरी लोक-सभा के सातवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	९ फरवरी से ९ मई, १९५९ (९० दिन)	
२. बैठकों की संख्या	६५	
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या	४२७ घण्टे २८ मिनट	
४. मत-विभाजनों की संख्या	१३	
५. सरकारी विधेयक :—		
(१) सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	१०	
(२) पुरस्थापित किये गये	२१	
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखे गये	२	
(४) प्रवर समिति को सौंपा गया .	कोई नहीं	
(५) संयुक्त समिति को सौंपे गये .	५	
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	कोई नहीं	
(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित .	१	
(८) पारित किये गये	२४	
(९) राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के वापस किये गये	११	
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित वापस किये गये	२	
(११) सत्र की समाप्ति पर लम्बित .	११	
६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक :—		
(१) सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	८५	
(२) पुरःस्थापित किये गये	१५	
(३) वापस लिये गये . .	४	
(४) सत्र की समाप्ति पर लम्बित .	९२	
७. सरकारी संकल्प :—		
(१) प्रस्तुत किया गया . .	१	
(२) स्वीकृत हुआ . .	१	
८. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प :—		
(१) प्राप्त हुए .	१०१५	
(२) स्वीकृत हुआ .	१	(संशोधित रूप में)
(३) कार्य-सूची में सम्मिलित किये गये	४३	
(४) वापस लिये गये	२	
(५) अस्वीकृत हुए . . .	३	

९. सरकारी प्रस्ताव :—

(१) प्रस्तुत किये गये	३
(२) स्वीकृत हुए	३

१०. गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव :—

(१) प्राप्त हुए	८६
(२) गृहीत किये गये	१८
(३) प्रस्तुत किये गये	५

११. नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव :—

(१) प्राप्त हुए	५
(२) गृहीत किये गये	५
(३) प्रस्तुत किये गये	५

१२. अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा २

१३. आधे घण्टे की चर्चा ५

१४. अविलम्नीय लोक महत्व के विषयों की संख्या, जिनकी ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा जिन पर मंत्रियों ने वक्तव्य दिया या वक्तव्य को सभापटल पर रखा १९

१५. स्थगन प्रस्ताव :—

(१) प्राप्त हुए	३८
(२) गृहीत किये गये	१
(३) अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी	३७

१६. पूछे गये प्रश्न :—

(१) तारांकित	२३१०
(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत, जिनको अतारांकित बना दिया गया)	४२८१
(३) अल्प सूचना प्रश्न	३३

१७. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित :—

(१) कार्य मंत्रणा समिति	५
(२) विशेषाधिकार समिति	२ (आठवां और नवां)
(३) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	३
(४) याचिका समिति	१ (छठा)
(५) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	१२ (चौंतीसवां से पैंतालीसवां)
(६) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	१ (पांचवां)
(७) नियम समिति	कोई नहीं
(८) सामान्य प्रयोजन समिति	कोई नहीं